खण्ड-394, अंक-4
शुक्रवार, 22 पौष, शक संवत् 1911
(12 जनवरी, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य .	क
विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	3
जनपद मुरादाबाद में खाण्डसारी उद्योग मालिकों द्वारा कम कीमत पर गन्ना क्रय करने के विरोध में चक्का जाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विद्यालय प्रांगण में किये जाने जा रहे आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित चार ब्लाकों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	31
जनपद देवरिया में मछलियों में फैली संक्रामक बीमारी के रोकथाम की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद अल्मोड़ा के चौकुनी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में आग लगने की दुर्घटना की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद वाराणसी व मिर्जापुर को जोड़ने वाले वच्छाव वेटावर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद बांदा के नरैनी ब्लाक में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	34
दिनांक 11 जनवरी 1990 के प्रश्नोत्तर काल के दौरान प्रयोग किये गये शब्द "शिखण्डी" को असंसदीय होने के कारण कार्यवाही से निकाल दिये जाने का मा0 अध्यक्ष का निर्णय	35
विरोध पक्ष को अनुमति मिलने के बावजूद माइक आन न किये जाने तथा मंत्रियों द्वारा प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	36
श्री राज्यपाल द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन हेतु आहूत किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	36
वर्तमान सत्र में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नियम 56 की सूचनाओं को न लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	40
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में प्रश्नों के लिए निर्धारित समय न दिये जाने के संबंध में श्री पंचानन राय का औचित्य का प्रश्न . .	42

राज्य बिजली बोर्ड का वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखे जाने तथा बोर्ड का टैरिफ बढ़ाने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 42

जनपद आजमगढ़ के नागर क्षेत्र जीयनपुर में मुख्य मार्गों तथा सम्पर्क मार्गों के किनारे पानी के निकास की व्यवस्था कराने विषयक याचिका (उपस्थित की गई) 45

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 45

उत्तर प्रदेश दशम् विधान सभा के वर्ष 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं तीस स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना .. 46

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं तीस स्थाई समितियों के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जानें का प्रस्ताव (स्वीकृत) 47

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 48

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित किया गया) 48

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1990 (पुरःस्थापित किया गया।) 49

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरः स्थापित किया गया) .. 49

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित किया गया) .. 49

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरः स्थापित किया गया) .. 50

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित किया गया) .. 50

नियम 301 के अन्तर्गत अस्वीकृत की गई श्री देव कुमार यादव की सूचना को सुने जाने की मांग (जारी) .. 50

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 51

नियम 301 के अन्तर्गत अस्वीकृत की गई श्री देवकुमार यादव की सूचना को सुने जाने की मांग 51

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 52

श्री मुहम्मद सईद भ्रमर और श्री रामतेज के सदस्य विधान सभा के मूल राजनीतिक दल "लोकदल" (ब) का जनता दल में विलय की सूचना .. 98

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) 100

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) .. 101
संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 के अनुसमर्थन का संकल्प (स्वीकृत) 103
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 103
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 104
नत्थी 105

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 12 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
उमाकान्त बाजपेयी, श्री	फतेहपुर	राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
चन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
बदन सिंह, श्री	आगरा	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री	टिहरी गढ़वाल	सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास

श्री कल्यान सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नियम 311 में सूचना दी है कि सदन के नियमों को निलम्बित करके उक्त सूचना में दिये गये विषय पर चर्चा कराई जाय । उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर, 1989 को एक नोटीफिकेशन करके उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 200 करोड़ रुपये का विद्युत अधिभार लगा दिया गया है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका लिखित आ गया है, उसका उत्तर मिलेगा।

श्री कल्यान सिंह–

प्रश्नों में आप इस पर चर्चा का मौका नहीं देंगे, लेकिन इससे प्रदेश के लाखों लोग प्रभावित हैं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 200 करोड़ रुपये का अधिभार लगा दिया है । इससे प्रदेश की जनता में गम्भीर असंतोष व्याप्त है । सारी औद्योगिक इकाइयां ठप हो रही हैं । यह मंहगाई को भी प्रभावित करेगा । मेरा कहना है कि नियमों को निलम्बित करके 311 में सदन में इस पर चर्चा करावें ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्नकाल के उपरान्त आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल में व्यवस्था कहां होती है?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखें कि नियम क्या है? इसमें कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकता है । मा0 कल्यान सिंह जी ने यह प्रस्ताव करने के लिए अपनी सहमति मांगी है कि आज सदन के सारे नियमों को निलम्बित कर दिया जाय क्योंकि बिजली के अधिभार में अंधाधुंध वृद्धि के कारण सारा प्रदेश चिंतित है । चाहे इधर के मा0 सदस्य हों या उधर के इस टैरिफ के लिए आक्रोश है । जिस तरह से यह टैरिफ बढ़ाया गया है और जिस तरह से लघु उद्योग विनाश के कगार पर खड़े हो गये हैं, हमने सरकार से कई बार इस बारे में मांग की लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी । मान्यवर, पिछली सरकार के जनहित विरोधी कार्यों को समाप्त करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है, इसलिए इस पर आपकी अनुमति चाहते हैं ...

(व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हूं, आप कृपया बैठिए । मुझे दुख है कि हमारे आप जैसे दोनों वरिष्ठ सदस्य इस तरह से नियमों के उल्लंघन की बात कर रहे हैं । आप नियम 311 पढ़ लें । उसमें है कि अध्यक्ष की सहमति से आप उठा सकते हैं । मैंने कहा कि प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं । मेरी सहमति नहीं है । जब मेरी सहमति नहीं है तो कैसे 311 में कह रहे हैं? आप प्रश्नकाल के बाद कह सकते हैं। मेरी सहमति होती तो आप कह सकते थे । मैं कह रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद उठा लीजियेगा ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं । पुरानी सरकार के पापों को धोने और कोढ़ों को साफ करने की जिम्मेदारी इस जनहितकारी सरकार की है । मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । जो 200 करोड़ रुपये का टैरिफ बढ़ाया गया है, इससे औद्योगिक विकास अवरुद्ध है । मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार की ओर से कुछ कह दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या एक, नत्थी–क के लिए मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुला रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

प्रश्नकाल में मैं इस तरह की अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने निर्णय दे दिया है ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय नेता भारतीय जनतापार्टी कल्यान सिंह जी, और माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता व्यक्त की है और वह चिन्ता सही भी है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा भेजों की थपथपाहट)

मेरा यह अनुरोध है कि नियम 311 की अभी आवश्यकता नहीं है । अभी थोड़े समय में ही अल्पसूचित सवाल है, उस समय आप देखेंगे कि जो आपकी चिन्ता है, उस चिन्ता पर कुछ न कुछ आपसे बात करेंगे और सदन में कुछ कहेंगे । मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 311 जो है, उसकी जरूरत नहीं है ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी, 1990

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री राम छवीला, श्री राजधारी तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सरकार ने प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को पहली जनवरी, 1990 से एक सौ रुपये मासिक दर से वृद्धावस्था पेंशन देने का फैसला किया है ? यदि हां, तो सभी व्यक्तियों को पेंशन बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल दिनांक 1 जनवरी, 1990 से वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित 65 वर्ष की न्यूनतम आयु को घटाकर 60 वर्ष तथा पेंशन की धनराशि को 60 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया है, जिसके शासकीय आदेश प्रसारित किए जा चुके है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उनकी स्पष्टवादिता के लिए, उन्होंने जबाब में किसी तरह की लीपा-पोती नहीं की है । लेकिन, जो उत्तर आया है उससे निश्चित रूप से मैं मर्माहत हुआ हूं । श्रीमन्, हमारे राष्ट्रीय मोर्चा की यह स्पष्ट घोषणा थी चुनाव के समय, जिसे वचनबद्धता कहा जा सकता है, कि 60 वर्ष के लोगों के लिए हम पेंशन स्वीकार करेंगे सत्ता में आने के बाद । श्रीमन्, इसी के साथ-साथ यह भी बात थी कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का अंत करने के लिए कार्य करेंगे । यह हमारी वचनबद्धता है । पब्लिक कमिटमेंट के बारे में मेरा सवाल था दो हिस्सों में, पहले हिस्से में है कि क्या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को पेंशन दी जायेगी और दूसरे हिस्से में है कि क्या यह कांग्रेस शासन में जो फार्म के लेने से लेकर पेंशन की मंजूरी तक और पेंशन मिलने तक जो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चलता था, इसको रोकने के लिए कदम उठायेंगे ? दूसरे पार्ट के बारे में उत्तर मिला है कि प्रश्न नहीं उठता । श्रीमन्, यह दोनों मुद्दों पर हमारी वचनबद्धता है पब्लिक कमिटमेंट है जनता से । इसलिए श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्री जी इस सारे मसलों को मंत्रिपरिषद् के समक्ष दोबारा विचार करने के लिए रखेंगे और मंत्रि परिषद् से इस बात का अनुरोध करने की कृपा करेंगे कि

वह केन्द्रीय सरकार से संस्तुति करे कि इन पब्लिक कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए वह प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान या आर्थिक सहायता दे ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी वहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और प्रदेश के संसाधनों से वाकिफ हैं । आपका अंदाजा होगा कि कितना भार सरकार पर पड़ रहा है इसे 100 रुपये करने में । जो मैनिफेस्टों था उस पर गालिबन गौर नहीं किया, निर्बल एवं निराश्रित, हमें कोई मानक मानना पड़ेगा । यही मानक हमारे मैनिफेस्टो में था । उसी मैनिफेस्टो के अनुसार, उसी के तहत यह फैसला लिया । मैं चाहूंगा कि आप मैनिफेस्टो पर एक नजर डालें । मैनिफेस्टो की मंशा के मुताबिक इसे किया गया । जहां तक दूसरी आपको आशंका है कि कहीं ऐसा न हो जो होता रहा है कि उसमें सही लोगों को लाभ न पहुंच पाये । सही लोगों को ही लाभ पहुंचेगा और बीच के जो रास्ते थे वह सब बन्द कर दिये जायेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में था कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा । मंत्री जी की कुर्सी पर आंच आ रही थी । मुख्यमंत्री जी के बिना पूछे जवाब दे दिया। तीन तारीख को हरदोई में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 60 वर्ष के सभी लोगों को पेंशन दी जायेगी । जो सरकारी नोटिफिकेशन गया, वह क्राइटेरिया बन कर गया, जो पिछली सरकार का था । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहले तो यह स्पष्ट करें कि कथनी और करनी में अंतर नहीं रखोंगे, बात कही गयी थी, वह किस हद तक लागू करेंगे ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अब तक 65 वर्ष की आयु के कितने लोग प्रदेश में पेंशन पा रहे थे और अब 60 वर्ष की आयु कर देने से पेंशन पाने वालों की संख्या कितनी हो जायेगी और क्या उसके लिए अलग धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारी कथनी और करनी में विल्कुल फर्क नहीं है क्योंकि जो कहा गया था, वही किया गया है और मैं मुख्यमंत्री के बिहाफ पर जवाब दे रहा हूं । ऐसा नहीं है कि जो मैनीफेस्टो में कहा गया था, वह नहीं किया जा रहा है । अब कितने लोगों को यह पेंशन मिलेगी, इसके बारे में सूचना एकत्र करनी पड़ेगी और इसमें समय लगेगा ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, माननीय अग्रवाल साहव ने जो कहा कि हमारी कथनी और करनी में भेद है, उसके संबंध में मैं बता दूं कि शुरू से ही हम लोग कहीं भी रहे हों, चाहे विपक्ष में रहे हो अथवा चाहे सरकार में रहे हो, कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रखा । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो निराश्रित, विधवाओं, वृद्ध आदि लोगों को पेंशन दे रही थी, उनकी संख्या करीब एक लाख के ऊपर थी, इसको हमने विसंगति समझा और जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने और यहां पर जनता दल की सरकार ने फैसला किया और कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को पेंशन दी जायेगी, इसमें सभी शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया था । पिछली सरकार जो 60 रुपया महीना

पेंशन दे रही थी, उसको हमने बढ़ाकर 100 रुपया किया है । अब मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारी कथनी और करनी में जब भेद होगा, तो हम लोगों को इस कुर्सी पर एक दिन भी बैठने का अधिकार नहीं होगा ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु कर दी है और इसे बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया है और इन्हीं सब घोषणाओं के आधार पर यह आज उस तरफ बैठे भी हैं । इन्होंने कहा कि संसाधन के आधार पर हम पेंशन देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि यह आज यहां स्पष्ट घोषणा कर दें कि कितने प्रतिशत 60 वर्ष की उम्र के लोगों को यह पेंशन दिला देंगे ? क्योंकि घोषणायें होती रहती हैं और पता चला कि एक गांव में 100 लोग हैं और केवल 2 लोगों को मिल रहा है और 98 लोग महरूम हैं । यह भी स्पष्ट कर दें कि अगर किसी गांव में 20 बढ्ढे लोग रह रहे हैं तो क्या यह सभी को पेंशन दिला देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार ने जो नीति, जो मानक निर्धारित किया है, उस मानक के अन्दर जितने भी 60 वर्ष के लोग होंगे, उन सभी को पेंशन दिया जायगा, इसमें कोई कोटा वाली बात नहीं है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने दूरदर्शन पर मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की थी कि पेंशन देते वक्त आर्थिक स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखा जायेगा और जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग होंगे, उन सभी को पेंशन दी जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने पेंशन देने की घोषणा की थी, वह किस तिथि से लागू होगी और क्या उसमें आर्थिक आधार का ध्यान दिया जायगा, या 60 वर्ष के उम्र के सभी व्यक्तियों को यह पेंशन अनुमन्य की जायेगी?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं कई बार कह चुका हूं कि जो मानक निर्धारित किए गये हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर पेंशन दी जायेगी और पहली जनवरी से यह लागू कर दिया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन व माननीय श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, अब इसमें कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–2 पर श्री कल्याण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये ।)

विद्युतदरों में अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जारी नोटीफिकेशन को रद्द किये जाने एवं त्रिदलीय समिति के गठन की मांग

**2–श्री कल्याण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विद्युत दरों में अप्रत्याशित वृद्धि से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नोटीफिकेशन दिनांक 17-10-89 को निरस्त करने की मांग को लेकर फेडरेशन आफ उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीज, एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 13-12-89 को उनसे मिला था और दिनांक 12-12-89 को कोई ज्ञापन दिया था ? क्या इसी सम्बन्ध में राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन का एक प्रतिनिधि मण्डल पुनः दिनांक 25-12-89 को मुख्य मंत्री जी से मिला था और उस दिन भी उन्हें दिनांक 25-12-89 का ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उपरि संदर्भित ज्ञापन क्या हैं ? दोनों ज्ञापनों में क्या-क्या मांगें की गई हैं और इस पूरे प्रकरण में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की हैं ? क्या सरकार उपर्युक्त दोनों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

जी हां, फेडरेशन आफ यू0 पी0 इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन द्वारा दिनांक 12-12-89 को एक ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को 13-12-89 को दिया गया तथा राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन द्वारा भी दिनांक 25-12-89 को एक ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को 25-12-89 को प्राप्त हुआ ।

दोनों ज्ञापन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विद्युत दरो में वृद्धि से संबंधित बोर्ड के नोटीफिकेशन दिनांक 17-10-89 को रद्द करने के संबंध में हैं ।

दोनों संगठनों ने मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जारी दिनांक 17-10-89 के नोटीफिकेशन को निरस्त करने के साथ-साथ यह भी मांग की हैं कि इस पर विचार करने के लिए एक त्रिदलीय समिति का गठन किया जाय । ज्ञापन विचाराधीन हैं ।

दोनों ज्ञापनों की प्रतियां † सदन के पटल पर रखवा दी गयी हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध हैं कि नियम–311 में तो आपने व्यवस्था दे दी थी और अपनी सहमति नहीं दी और हमने आगे कुछ नहीं कहा । अब सदन के अंतर्गत यहां यह प्रश्न आया हैं । सदन के माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं चाहे इस पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, इसलिए प्रश्नोत्तर काल में इस पर थोड़ी चर्चा करवा दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली के जो रेट्स बढ़े हैं, वे दो प्रकार से बढ़े हैं । एक तो प्रति यूनिट के हिसाब से रेट बढ़े हैं और दूसरा फिक्सड चार्ज के रूप में रेट बढ़ाये गये हैं । फिक्सड चार्ज के रूप में जो रेट बढ़ाये गये हैं, उनका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में केवल अपना ही एक ऐसा राज्य हैं जहां पर बोर्ड ने फिक्सड रेट के रूप में चार्ज बढ़ाये हैं अन्य किसी राज्य में ऐसा नहीं हैं । इसके पीछे जो कारण हैं वह यह हैं कि बोर्ड में बेईमानी

† छापी नहीं गयीं ।

व भ्रष्टाचार के कारण जो घाटा हो रहा है, अपनी चोरी छिपाने के लिए इस फिक्सड रेट के चार्ज को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव लाया गया और 17-10-1989 को इसका नोटिफिकेशन हो गया । पिछली सरकार को तो उससे कोई लेना-देना नहीं था । आज जो सरकार उधर बैठी हुई है । माननीय श्री तिवारी जी जैसे दूरदृष्टा राजनीतिज्ञ ने यह भांप लिया था कि उनकी सरकार तो जानी ही है, इसलिए ऐसा काम कर दिया जाय कि जो दूसरी सरकार आये वह जनता में जाने से बदनाम हो जाय । फिक्सड रेट बढ़ाने से व प्रति यूनिट दाम बढ़ाने से चाहे वह मसाला कूटने वाली मशीन हो, आटा पीसने वाली मशीन हो या अन्य कोई और छोटी इकाई है, बन्द होने की स्थिति में आ गई है । अगर वे बन्द हो जाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ेगी, यदि बन्द नहीं होती हैं तो जो बिजली के दाम बढ़ाये गये हैं, उससे मंहगाई बढ़ेगी । दोनों स्थितियां भयंकर है और आज प्रदेश में गहरा असंतोष व्याप्त है । उद्योगों के विकास के लिए, मंहगाई अधिक न होने पाये, बेरोजगारी न होने पाये, इसके लिए क्या वर्तमान लोकप्रिय सरकार जो जनता की आकांक्षाओं के साथ आई है, आज सदन में इस बात की घोषणा करेगी कि विद्युत के बढ़े हुए सब के सब दरों को समाप्त किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री कल्यान सिंह जी ने जो नियम–311 के अंतर्गत उठाकर चिन्ता व्यक्त की थी, वह चिन्ता सही है । अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही नहीं, अपितु हमारी इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की है और उसके साथ ही साथ सरकार की नीति है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे और छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे । यह जो इस सरकार की नीति है इसको देखते हुए माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी और माननीय तमाम सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने विद्युत परिषद् को आदेश दे दिया है कि उस पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी एक उत्तर दिया । ज्ञापन में एक दूसरी बात भी है । उन्होंने पुनर्विचार का आश्वासन दे दिया है । ज्ञापन में एक दूसरी बात भी है, नोटीफिकेशन निरस्त करने के साथ-साथ यह भी मांग की गयी है कि इस पर विचार करने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया जाय । प्रातः काल लोग मुझसे मिले हैं । उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर कनेक्शन्स को काटा जा रहा है, इसी 15 तारीख को प्रदेश में हड़ताल होने जा रही है । एक ही आश्वासन चाहता हूं कि जब तक सरकार इस पर विचार करके अंतिम निर्णय नहीं लेती तब तक आदेश दे दिया जाय कि किसी भी उद्यमी का कनेक्शन काटा नहीं जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सही है कि 17-10-89 को जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उसी समय यह परिषद् ने विद्युत की दरें बढ़ायी हैं और यह भी सच है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जनभावनाओं को देखते हुए और माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए यह घोषणा की है कि पुनर्विचार किया जायगा । मैं आपके जरिये समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि 15 तारीख को जो प्रस्तावित हड़ताल है,

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिये हैं कि बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार किया जायगा, तो 15 तारीख को किसी प्रकार की हड़ताल न करें । जहां तक इस सम्बन्ध में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो कहा कि कनेक्शन न काटे जायं तो माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद वह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि किसी प्रकार की शिकायत सामने आये ।

(विरोधी पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन स्पष्ट हो गया है । अब आप लोग बैठें ।

श्री कल्यान सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जनहित के प्रश्न पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया । मैं समझता हूं कि वह बढ़ी हुई दरों को समाप्त करने पर ही विचार कर रहे होंगे । मैं दो चीजों की जानकारी चाहता हूं, एक तो इस पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा और दूसरा कि शासन के विचाराधीन जो मामला है उसके लिए तब तक क्या सरकार यह आदेश निर्गत करेगी कि बढ़े हुए चार्जेज के बिल्स उपभोक्ताओं को न भेजे जायं और उनके कनेक्शन न काटे जायं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जहां तक माननीय कल्यान सिंह जी के सवाल का सम्बन्ध है, यही सवाल मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी किया था, तो मैं शासन की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के बाद इस तरह की स्थिति नहीं आयेगी कि किसी के कनेक्शन कट जांय, सरकार इस मामले में. . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, पहले आप माननीय मंत्री जी को अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए, आप लोग तो उनकी बात सुने बिना ही पहले ही खड़े हो गये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सभी अनुभवी हैं। जब एक हमारे सहयोगी मंत्री उत्तर दे रहे हैं अगर उस उत्तर से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का । जब सवाल पूछा गया है, पहले आप उसका उत्तर तो सुन लीजिए उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम जवाब दे देंगे

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं अपने सवाल को फिर दोहराये देता हूं। हमारे दो सवाल हैं जिसमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया गया है । एक सवाल तो यह है कि क्या सरकार ऐसे आदेश निर्गत करेगी कि जो बढ़े हुए रेट हैं फिक्स चार्जेज या दूसरे चार्जेज उनके बिल नहीं जायेंगे और उसके कारण किसी का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा और दूसरा कि विचाराधीन प्रश्न पर अंतिम निर्णय सरकार कब तक ले लेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता भा0 ज0 पा0 श्री कल्यान सिंह ने दो सवाल पूछे । जहां तक कनेक्शन काटे जाने का सवाल है और जो रेट बढ़े हैं, उनका अगर केवल यह है कि बकायेदारी, तो उनका कनेक्शन नहीं काटा जायेगा । हां, अगर उनका पिछला बकाया है तब उनका कनेक्शन काटा जायेगा । दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जहां तक सरकार के निर्णय लेने का सवाल है, सरकार को खुद इस बात की चिन्ता है शीघ्र निर्णय लेने के बारे में क्योंकि जो नये रेट बढ़े हैं उसका बहाना पुराने बकायेदार लेकर अवमूल्यन करें, यह ठीक नहीं है । 17 अक्तूबर के बाद जो नये रेट बढ़े हैं उसके कारण कोई कनेक्शन नहीं काटा जायेगा, लेकिन पुराने बकायेदारों पर यह बात लागू नहीं होगी ।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न सं0 1 पुकारे जाने पर]

श्री सत्य प्रकाश विकल–

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर ही नहीं आया है । इसलिये मैं इस पर प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्ट उत्तर आ गया है ।

[शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम तथा सेवा योजना मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की योजना चलाया जाना कठिन लगता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर समझ में नहीं आया, इसे फिर से पढ़वा दें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

असल में आपकी न सुनने की आदत पड़ी हुई है इसलिये आप बाद में भी नहीं सुन पा रहे हैं ।

(मंत्री जी द्वारा दुबारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इससे पहले के उत्तर से जो आशा बंधी थी इस समय का उत्तर सुन कर वह आशा निराशा में बदल गयी । प्रश्न हमने यह किया था कि मान्यवर, जो स्थिति है, जनता से जब हम वोट मांगने गये तो उस समय हमने कई आश्वासन दिये । उस तरह का यह भी एक वायदा था कि उन सभी व्यक्तियों को, नौजवानों को जो कि काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको काम की गारन्टी दी जायेगी और अगर उनको काम नहीं दे पाये तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने सम्बन्धी मामला शासन के विचाराधीन है और तीसरी बात यह जैसा कि अन्य सरकारें जैसे मध्य प्रदेश व अन्य अपने यहां के बेरोजगारों को किसी न किसी रूप में बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं, जब कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह मामला विचाराधीन ही नहीं है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, श्रम एवं सेवा योजन कार्यालय जैसा कि माननीय गुप्ता जी स्वयं जानते होंगे कि इस विभाग का काम रोजगार दिलाना नहीं है, बल्कि पंजीकरण कर रोजगार के साधन जुटाने की प्रक्रिया का करना है, जिन कारखानों या संस्थानों से आवश्यकता आयी है, उन्हें पंजीकृत लोगों के नाम भेज दिए जाते हैं, वे उनमें से पात्र लोगों को ले लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने मा0 मंत्री जी की बात को बड़े गौर से सुना उन्होंने हमारे काम को और आसान कर दिया, उनका कहने का आशय जो मैं समझ सका हूं वह यही है कि उनके विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह किसी को रोजगार दिलायें, लेकिन जहां तक संवैधानिक प्रक्रिया का सवाल है, उसके तहत इनकी जिम्मेदारी भले ही न हो, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वह जानते हैं कि यह जिम्मेदारी सरकार की है और वह इस विषय में क्या कर रहे हैं, कृपया स्वयं ही इस ओर कुछ प्रकाश डाल दें कि शासन की नीति इस बारे में क्या है?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं मा0 सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर बैठकें हो रही हैं, विचार विमर्श चल रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से पिछली सरकार ने जो छोड़ा है, उनको देखते हुए नये सिरे से संसाधनों को जुटाने में समय अवश्य लगेगा और इनके होते ही इन मामलों में विचार-विमर्श किए जायेंगे, इसके प्रयास बराबर जारी हैं ।

(शोर)

श्री नकली सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहा एक ओर बेरोजगारी का मामला बड़े पैमाने पर जवानों व नवजवानों के मध्य व्याप्त है वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था पेंशन संबंधी मामले भी बड़े ही पैमाने पर अन्तर्ग्रस्त हैं । इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया माननीय मंत्री जी को यह निर्दिष्ट

कर आप इन दोनों मामलों पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर दें ताकि कुछ स्पष्ट नीति निर्धारित हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों के माईक की व्यवस्था जरूर खराब है, और अगले सत्र में ठीक हो जायेगी, लेकिन आप हमारी सहायता करें, आप शान्त रहें तो निश्चित रूप से सुनाई पड़ेगा । लेकिन एक ओर तो माइक की व्यवस्था खराब है और दूसरी ओर व्यवधान हो जाता है ।

श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन–

मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो न केवल नेता सदन हैं, बल्कि जनता दल के नेता भी हैं, क्या चुनाव के दरम्यान जनता दल ने यह घोषणा की थी कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी का भत्ता दिया जायेगा या नहीं ? चुनाव घोषणा की थी या नहीं ?

एक सदस्य–

(शासन पक्ष की ओर से) यह तो हमारे मैनिफेस्टो में है, आप पढ़ लीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

काजी साहब को घोषणा का ज्यादा अन्दाज है, क्योंकि अभी-अभी दिल बदला है और दिमाग बदला है, यदि हर तरह से दिल और दिमाग पर जोर देंगे तो घोषणा मालूम हो जायेगी । ऐसी कोई घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं की है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा क्योंकि यह बड़ा अहम सवाल है कि क्या भारत सरकार ने काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिये कोई कमेटी बनायी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप दुबारा प्रश्न कर दें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

श्रीमन्, मैं दुबारा अनुरोध कर रहा हूं, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसी बिन्दु से संबंधित, भारत सरकार ने काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई है ? यदि हां, तो उसकी विषय वस्तु क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सूचना की जरूरत है ।

श्री रवीन्द्र नाथ त्रिवाठी–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हमारे दल की स्पष्ट और घोषित नीति है कि बेरोजगारों को काम देने के लिए हम बराबर प्रयास करेंगे और हम यह कोशिश करेंगे कि संसाधन मुहैया करें

कि अगर रोजगार न दे पायें तो ऐसी व्यवस्था करें कि बेरोजगारी का भत्ता दिया जाये । हमारा पब्लिक कमिटमेंट था कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करायेंगे तो क्या श्रम मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से संस्तुति करेंगे कि इस पब्लिक कमिटमेंट को देखते हुए और फिर कांग्रेस द्वारा इस प्रदेश के खजाने को खाली करने की स्थिति को देखते हुए विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगी, जिससे हम और हमारी सरकार इस पब्लिक कमिटमेंट को पूरा कर सके?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी हमारे दल के माननीय सदस्य ही नहीं, नेता भी हैं और उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र को खुद ही घोषित किया है और जनता के बीच बोले हैं, तो सवाल क्या उठता है । राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने यह फैसला किया है । जो चुनाव घोषणा-पत्र में है । काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जोड़ा जायेगा तो अगले सत्र में ही लोक सभा में आपको पता चल जायेगा । यह तो चुनाव घोषणा पत्र में है ही । जब मौलिक अधिकारों से कार्य के अधिकार को जोड़ा जायेगा तो संस्तुति का सवाल कहां उठता है?

*2–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[दूसरे मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाल श्रमिकों के कल्याण की योजना

*3–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिक सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत से अपने परिवार की रोजी जुटाने के लिए काम पर लगे रहते हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है ? क्या बाल श्रमिकों की समस्याओं के स्थायी निराकरण के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाल श्रमिक प्रमुख रूप से घरेलू, वर्कशाप, दुकानों एवं अन्य ऐसे नियोजनों में नियोजित हैं जो बाल नियोजन अधिनियम, 1986 से आवृत्त नहीं हैं ।

इन बाल श्रमिकों की निश्चित संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

बाल श्रमिकों का शोषण रोकने हेतु बाल नियोजन (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया गया है इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 व 2 में उल्लिखित नियोजनों में निषिद्ध किया गया है ।

बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ केन्द्रीय सरकार के सहयोग से मिर्जापुर, भदोही के कालीन उद्योग, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग, मुरादाबाद के पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताला/कुण्डी उद्योग में परियोजनाएं चलायी जा रही हैं । इन परियोजनाओं का मुख्य

उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वासन, उनके स्वास्थ्य हेतु पुष्टाहार, उनके जीवन स्तर में सुधार, उन्हें व्यवसायपरक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा सुलभ कराना तथा उनके परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ दिलाना है । इसमें अभी सर्वे का कार्य चल रहा है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे बाल श्रमिक जिनकी उम्र 6 वर्ष, 8, 10 और 12 वर्ष है जो चायखानों में, होटलों में, घरों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं गरीबी की वजह से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते हैं और उनको 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया देकर छुट्टी दी जाती है.

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री राज किशोर सिंह–

प्रश्न कर रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे बाल श्रमिकों के लिए क्या कोई व्यवस्था यह सरकार करेगी जिससे इनका जो शोषण हो रहा है वह बन्द हो और उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें उजरत मिले, ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे?

दूसरा सवाल यह है कि क्या ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में यह सरकार तत्काल सर्वेक्षण कराने का कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सही है कि हमारे देश और प्रदेश में या समाज में ऐसे बच्चे जो इस तरह का काम करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए । यह बड़े दुख का विषय है। सरकार की इन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति है और इसके लिये जो कानून बने हुए हैं उनका पालन नहीं हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि उन नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा । जो नियम बने हुए हैं उनको यदि सख्ती से लागू किया जाय तो उम्मीद की जाती है कि इसमें कमी आयेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत 9 से 13 साल के बच्चे कठोर श्रम करने से प्रतिबंधित हैं। यदि जानकारी है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी उद्योगों में लगे 4 से 14 साल तक के बच्चे जो प्रतिबंधित श्रम कानून के अन्तर्गत आते हैं भट्टियों से 6 इंच के फासले से कांच उठा कर लाते हैं और हीट के कारण गिर जाते हैं, इस कानून का अभी तक पालन न करने का क्या कारण है और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या शासन इस कानून को पूरी तरह लागू करने की कोशिश करेगा?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कल्याणकारी योजनायें हैं उनका प्रारूप क्या है और वह किस प्रकार से उनके कल्याण के लिए उन योजनाओं को नये परिपेक्ष में जैसा कि इस सरकार से अपेक्षा की गयी है चलायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैंने पहले ही कहा कि यह अफशोसनाक है और यह नहीं होना चाहिए । इसके लिए कानून भी बना हुआ है । मैंने अधिकारियों से बात भी की है खासतौर से फिरोजाबाद का शीशा का काम बड़ा सख्त काम है इसका असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है। इसका सरकार को पूरा एहसास है। मैंने आदेश दिये हैं कि जहां इस तरह का काम हो रहा है उसमें कानून का पालन किया जाय और जो इसका पालन न करे उसे मैक्समम पनिशमेंट जो हो सकता है किया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने प्रश्न किया है जो इस प्रतिबंधित श्रम का पालन नहीं कर रहे हैं जिनको इसका पालन कराना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा कल्याणकारी योजना का नये परिपेक्ष में क्या प्रारूप है?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय सदस्य को इसका अंदाजा हो जायेगा अगले सत्र में जब बैठेंगे कि पिछली सरकार के काम में और इस सरकार के काम में क्या नुमायां फर्क है?

प्रदेश के कतिपय सहायता प्राप्त हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को सरकारी अनुदान बन्द किये जाने का मामला

*4–श्री अमर नाथ यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे सहायता प्राप्त हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को गत 4 वर्षों से अनुदान देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो हरिजनों की इस संस्था का अनुदान किन कारणों से बन्द कर दिया गया? क्या यह सत्य है कि इसमें से अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जो 10 वर्षों से भी अधिक समय से हरिजन विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहे हैं किन्तु उनको आवर्तक सूची में नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष अनुदान प्रदान करेगी और पात्र विद्यालयों को आवर्तक सूची में रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ऐसे प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक गत 2 वर्षों से अपनी मांगों के लिए आन्दोलनरत हैं? यदि हां, तो उनकी न्यायोचित मांगों को कब तक स्वीकार किया जायेगा?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

(क) कतिपय पाठशालाओं को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

(ख) धनाभाव के कारण।

(ग) पात्र पाठशालाओं को सीमित वित्तीय स्थिति के अन्तर्गत आवर्तक अनुदान की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(घ) सीमित वित्तीय संसाधनों तथा संस्था के पात्रता क्षेत्र में आने पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) अध्यापकों के मांग पत्र समय-समय पर प्राप्त हुए हैं तथा उनके द्वारा आन्दोलन भी किया गया था ।

(छ) गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अमरनाथ यादव–

मान्यवर, पिछली सरकार द्वारा हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों की सदा उपेक्षा की गयी और इस सरकार से बड़ी आशायें लेकर मैंने यह प्रश्न किया था । माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनका अनुदान बन्द कर दिया गया, वित्तीय संकट के कारण कुछ नवीन विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया । तो वह कृपा करके बतायेंगे कि जिन विद्यालयों को अनुदान बन्द कर दिया गया है उनको तत्काल अनुदान देने का प्रयास करेंगे?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है हरिजनों के बारे में तो मैं आश्वस्थ कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार हरिजनों के उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयास करने के लिए कृत संकल्प है । जहां तक इस प्रश्न का संबंध है मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि दो तरह की शिक्षण संस्थायें है एक तो वह शिक्षण संस्थायें जो आवर्तक अनुदान सूची में हैं और दूसरी वह जो अनार्वतक अनुदान सूची में हैं । श्रीमन्, 1972 के पूर्व से कुछ पाठशालायें ऐसी चल रही थीं जिनकी तादाद लगभग 295 थी, ऐसी समस्त शिक्षण संस्थाओं को आज भी नियमानुसार आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित करते हुए उनको अनुदान दिया जा रहा है ।

उसके बाद 119 और शिक्षण संस्थायें ऐसी थीं जिनका परीक्षण कराने पर उन्हें भी आवर्तक सूची में शामिल कर लिया गया है ।

तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की संस्थायें हैं जो कि अनावर्तक सूची में हैं, जिनकी संख्या 867 है, उनको परीक्षण कराने के बाद जो मानक पूरी करती हैं उनको सीमित संसाधनों के बावजूद भी अनुदानित करेंगे ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जिन विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया है क्या वह फर्जी हैं इसीलिए बन्द किया गया है ? इस प्रकार की बहुत सी फर्जी संस्थायें हैं जिनको अनुदान दिया जा रहा है, क्या उनकी जांच करायेंगे ? आपने बहुत ही अच्छे कार्य कर अधिकारियों को दण्डित किया है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं क्या बहुत से ऐसे विद्यालयों को आवर्तक सूची में जिन्हें शामिल नहीं किया गया है उन्हें शामिल करके अनुदान देंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया हम पुनरीक्षित करा रहे हैं और मानक जो विद्यालय पूरी करते हैं उनको आवर्तक अनुदान सूची में रखेंगे । कुछ मानक जो हैं उनको मैं बताना चाहता हूं जैसे पहला मानक है कि संचालन 10 वर्षों से अधिक होना चाहिए । दूसरा मानक ऐसे विद्यालय जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित

जाति के छात्र पढ़ते हैं और उस विद्यालय में ऐसे अध्यापक जो ट्रेन्ड हैं, यह समस्त यदि मान्यतायें, मानक पूरी करते हैं और हमारे द्वारा जांच कराने के बाद हम यदि सत्य पाते हैं तो सीमित संसाधनों के अनुसार माननीय सदस्यों की भावना का आदर अवश्य करेंगे ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, अनुसूचित छात्रों को सहायता दी जा रही है प्रिंसिपल द्वारा तो उसमें घूसखोरी हुई तो चेक द्वारा छात्रवृति दी जा रही है लेकिन अब चेक देने से पहले लोग उस पैसे को ले लेते हैं जिसके मेरे पास उदाहरण हैं चेक से पहले पैसा ले लेते हैं और उसके बाद चेक मिलता है और बीच में पैसा खाया जा रहा है । इसलिए क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे छात्रों को पूरा पैसा मिल सके ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैंने देखा कि वर्ष 1986, 1987 और 1988 का प्रदेश के तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना था जो नहीं मिल पायी । मैंने चिन्ता व्यक्त किया और अधिकारियों की जो पहली मीटिंग बुलाई उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दिये कि इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि 26 जनवरी, 1990 तक प्रदेश के तमाम छात्रों की छात्रवृत्ति जो बकाया है 1986 से उसका भुगतान करा दिया जाये और यदि नहीं किया जायेगा तो उपेक्षा बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इसी परिप्रेक्ष्य में इस वित्तीय वर्ष के लिए कड़े निर्देश दिये हैं कि फरवरी का कोई दिन निश्चित कर लिया जाये कि कम से कम 75 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाये । मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने हरिजनों के प्रति जो उपेक्षा-पूर्ण नीति अपनाई थी, अपनी कथनी और करनी में अंतर किया था उसको दूर कर हम समस्त योजनाओं में उनको सारी सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प हैं ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह हमारी पक्की जानकारी है कि पिछली सरकार के समय में हरिजन पाठशालाओं के नाम पर बहुत से फर्जी प्राइमरी स्कूल खुले थे कागज पर, वह फर्जी चलाए जा रहे थे और उनका पैसा कुछ लोग गबन कर रहे थे, अपनी जेबें भर रहे थे, तो क्या आप ऐसे विद्यालयों की जांच करायेंगे और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया ।)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, अभी जैसा मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने यह देखा कि वर्ष 1986, 1987 व 1988 में कई जगह लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जब यह देखा है तो यह कहां पर व कौन छात्रवृत्तियां हैं और उनकी संख्या कितनी है और अब क्या वह उनको अविलम्ब छात्रवृत्तियां दिलाने की कृपा करेंगे और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों से यह लापरवाही हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गौरी शंकर भइया आपको प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन उसका अधिकार मुझे है कि मंत्री जी उत्तर दे या न दें । यह मेरा अधिकार है और मंत्री जी का भी है वह उत्तर चाहे दें या न दें . . (व्यवधान) मैंने दूसरे माननीय सदस्य को मौका दे दिया . . (व्यवधान) वह चाहें तो आपको उत्तर दे दें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

पिछली सरकार के जमाने में बहुत से प्राइमरी पाठशाला फर्जी तौर पर चलाए जा रहे थे और इनका अनुदान एक संगठित गिरोह के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार ऐसे मामलों की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करेगी ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से चाहूंगा कि यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है, तो उसे वह मुझे दे दें और वैसे मैंने अपने अधिकारियों को इस विषय में पहले ही अवगत करा दिया था कि फर्जी संस्थाओं के नाम पर पैसा न लिया जाए । यदि किसी विशिष्ट स्कूल या संस्था के बारे में माननीय सदस्य को जानकारी हो, तो मुझे दे दें, जिन्होंने भी दिया होगा फर्जी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदैव होता रहा है, एक परम्परा रही है, यदि कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य को हो तो आप उनके कार्यालय में जाकर उन्हें वह जानकारी दे दें ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी हेतु 250 की आबादी के बजाय सौ की आबादी पर हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

*5–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड की छितरी एवं दूर-दूर तक फैली आबादी और पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए दो सौ पचास की आबादी के बजाय सौ की आबादी पर हैण्ड पम्प लगाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यह नीति निर्धारित की गई है कि 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल समस्या का समाधान किया जाए । तद्नुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में समस्याग्रस्त ग्रामों में 2 हैण्ड पम्प, एक हरिजन बस्ती में एवं एक अन्य बस्ती में लगाकर पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी तक 250 की आबादी पर एक हैण्ड पम्प लगाये जाने का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है । अतः 250 की आबादी के बजाय 100 की आबादी पर हैण्ड पम्प लगाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या जो है वह पहाड़ी क्षेत्र की समस्या से ज्यादा भीषण और विकराल है माननीय मंत्री जी इसको जानते हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, कि 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प नहीं लगा पाए । पहला सवाल मेरा यह है कि 250 की आबादी पर यह कब तक एक हैण्डपम्प देने की योजना पूरी हो जायेगी ? दूसरी बात बुन्देलखण्ड में दो-तीन किलो-मीटर से लोग पानी लाते हैं वहां की छितरी आबादी है, तो बुन्देलखण्ड की भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए 100 की आबादी पर हैण्डपम्प देने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

बुन्देलखण्ड में 4550 गांव आबाद हैं । अब तक 4147 गांव ऐसे हैं जो समयाग्रस्त गांव हैं । 3817 गांव में पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है । श्रीमन्, आपने पूछा है कि कब तक इसकी व्यवस्था कर लेंगे, तो हमीरपुर जनपद में 861 समस्याग्रस्त गांव में 723 गांव में व्यवस्था की जा चुकी है । 138 गांवों में कार्य प्रगति पर हैं । ललितपुर में 565 में 411 गांव में व्यवस्था की जा चुकी है । शेष 50 गांवों में मार्च तक व्यवस्था की जानी है । जनपद जालौन झांसी में गैर आबाद गांव को छोड़कर सबको लाभान्वित करने की व्यवस्था की जा चुकी है । बांदा में शेष 20 गांव हैं जहां कार्य प्रगति पर है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में पेयजल समस्या बनी हुई है ! माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश का भू-गर्भ जल सर्वेक्षण रिमोट सेंसिग जो पानी की खोज करता है । भू-गर्भ जल सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं (व्यवधान) उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है और वित्तीय संसाधनों की कमी होने पर भी प्राइवेट कम्पनियों से संस्थाओं से काम लिया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है यह माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या है, मैं माननीय सदस्य की इस भावना से सहमत हूं । पानी का पता लगाने के लिए हम कई एजेंसियों का प्रयोग करते हैं । बुन्देलखण्ड के इलाके में पानी का पता लगाना अति आवश्यक है । जो व्यवस्था चल रही है वह जनहित में चल रही है अतः उसे समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में भीषण पेयजल की समस्या को देखते हुए यह जो छोटे गांव हैं, मजरे हैं जहां के लोगों को 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है तो ऐसे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है, जो छोटे-छोटे मजरे हैं उनके लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था है ?

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर ।)

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी जवाब नहीं आया है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ रहा है ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

पेयजल की समस्या केवल बुंदेलखण्ड में ही नहीं है बल्कि यह समस्या सारे उत्तर प्रदेश में है। सरकार ने, पिछली सरकार ने राजस्व विलेज का एक मानक बना रखा था । मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व विलेज का मानक न रखकर गांव को मानक इंडिया मार्क-II हैण्ड पंप लगाने की नीति निर्धारित की जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस माननीय सदस्य का उत्तर दूं । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

जिसका प्रश्न आप महत्वपूर्ण समझते हों उसका उत्तर दें, आपको पूरी छूट है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आपको धन्यवाद, आपने छूट दे दी कि जिसका चाहें जवाब दें। मा0 वर्मा जी ने प्रश्न किया था कि बांदा जिले में वह गांव जिनकी आबादी ढाई सौ से कम है वहां पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। तो मान्यवर, अगर वह गांवों की सूची दे देंगे तो निश्चित रूप से पेयजल की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमती सिया दुलारी–

मान्यवर, बांदा जिले में पेयजल की विकट समस्या है। तो इस समस्या का हल करने के लिये क्या कोई विशेष सर्वे करायेंगे जिससे वहां की पेयजल समस्या का हल हो सके और जनता को पानी मिल सके?

(व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सिया दुलारी जी को प्रश्न करने के लिए कहा, उन्होंने प्रश्न किया है ।

(व्यवधान)

अगर इस स्थिति में कोई भी माननीय सदस्य यह बता दे कि उन्होंने क्या सुना, तो मैं मान लूं ।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जो बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही में न लाया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती सिया दुलारी–

मान्यवर, मेरे जनपद बांदा में पेयजल की विकट समस्या है, मेरे प्रश्न को मान्यवर उत्तर दिलवा दें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्या अपना प्रश्न दोहरा दें ।

श्रीमती सिया दुलारी–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि बांदा में पेयजल की विकट समस्या है, उसको हल करने के लिए क्या कोई विशेष योजना या सर्वे कराया जा रहा है ? मैं जानना चाहती हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीया सदस्या ने जो सवाल किया है, शायद उन्होंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा होगा कि 5 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जब बांदा गये थे, उस समय वह दो करोड़ रुपये की घोषणा कर आये थे, बांदा की पानी की व्यवस्था के लिए और इसके अतिरिक्त 300 हैंड पम्प की और घोषणा हमने की थी । यह हमारा वादा है कि बांदा में जल संकट न रहे, पिछली सरकार के जमाने में चित्रकूट में दर्जनों तीर्थ यात्री पानी न मिलने के कारण मर गये, इसलिए सरकार को सभी को चिन्ता है कि बांदा में पानी की जो समस्या है, उसे विशेष समस्या मानकर हम वहां पर विशेष व्यवस्था करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, पानी के संकट में लोग मरे तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जानकारी का स्रोत क्या है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शालीनता बरतें, नेता सदन के बाद क्या आप सन्तुष्ट नहीं है?

(तारांकित प्रश्न संख्या–7 पुकारे जाने तथा मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नेता विरोधी दल से या उनके सहयोगियों से कहूंगा कि जब प्रश्न–7 का उत्तर आ गया तो उसके उपरान्त आप लोग इस तरह का व्यवधान कर रहे हैं। मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने लिखित दिया है वह भी सुनाई नहीं दिया। मेरी बात आप सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। न मेरे पास लिखित में जवाब आया है और न मुझे यहां कुछ सुनाई पड़ा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कई तरीके हैं। आप अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा आप इस तरह से समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। आप आगे कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता जी, माननीय सदस्यगण यह जानना चाहते हैं.

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह सुनने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण यह जानना चाहते हैं कि आपने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया कि बुन्देलखण्ड में पानी के अभाव में कई स्थानों पर मृत्यु भी हो गयी। तो माननीय सदस्यगण यह जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्थान या संख्या उपलब्ध है? यह जानना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि यह विशेष सुविधा और इन्तजाम बांदा और बुन्देलखण्ड में क्यों किया गया, यह दिन के उजाले की तरह से सर्वविदित है कि चित्रकूट में पिछले साल और इस साल पानी के अभाव में मौतें हुईं और सदन में इस पर चर्चा हुई और इसीलिए वहां पानी की व्यवस्था करने का विशेष इन्तजाम कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति है?

(घोर व्यवधान)

अगर यह आंकड़े चाहते हैं तो आपको अधिकार है, इस पर चर्चा करा ली जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मा0 अध्यक्ष जी यह दोहरी व्यवस्था नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो गया, अब आप बैठें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, कालोनियों में उत्तर प्रदेश में रहने वाले किरायेदारों

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री भोला नाथ–

मान्यवर, जब नेता सदन चर्चा स्वीकार कर रहे हैं, तो आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं ?

किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सेमीखेड़ा (बरेली) में ओवर टाइम करने वाले श्रमिकों का भुगतान एवं उसके बर में कमी की शिकायत

6–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सेमीखेड़ा, बरेली में शुगर मिलों पर लागू स्थायी आदेश की धारा (ज) के अनुसार त्योहारों की छुट्टियों में काम कराने का ओवर टाइम वेतन वर्ष 84-85, 85-86, 86-87, 87-88 व 88-89 का भुगतान श्रमिकों को किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि फेडरेशन की अन्य मिलों जैसे मझौला, बीसलपुर में भुगतान किया जा रहा है? क्या किसान सहकारी मिल्स लि0 सेमीखेड़ा बरेली में वर्ष 84-85, 85-86 व 86-87 से कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को शुगर वेज बोर्ड के निर्णय के अनुसार वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सेमीखेड़ा, बरेली में वर्ष 84-85, 85-86, 86-87, 87-88 व 88-89 में श्रमिकों को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि
जनवरी, 85 से दिसम्बर, 85	370	13,301–90
जनवरी, 86 से दिसम्बर, 86	248	19,769–37
जनवरी, 87 से दिसम्बर, 87	485	1,44,138–24
जनवरी, 88 से दिसम्बर, 88	485	1,40,166–54
जनवरी, 89 से अगस्त, 89	457	81,779–69

नोट :–नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जी हां। मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स, वीसलपुर, पीलीभीत के श्रमिकों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	श्रमिकों की संख्या	भुगतान की गयी धनराशि
1984–85	648	2,00,693 33
1985–86	647	2,40,315-30
1986–87	625	2,50,000-00
1987–88	623	2,03,833-33
1988–89	667	2,27,669-32

मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स, मझोला, पीलीभीत में यद्यपि भुगतान किया गया है, परन्तु कारखाने के अभिलेख श्रम न्यायालय में जमा होने के कारण विवरण उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

जी नहीं। अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 1984-85 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में कार्यरत अस्थाई कर्मकारों को शुगर वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं दिया गया है । जांच के समय पाये गये कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में सवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणियां जारी कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में श्रमिक कालोनियों के आवासों को उनमें रहने वाले किरायेदारों को सौंपने की योजना की जानकारी

7–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 की श्रमिक कालोनियों का स्वामित्व उनमें रहने वाले किरायेदारों को सौंपने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें कितना समय लगेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में श्रमिक कालोनियों को श्रमिकों को आवंटन के लिए भारत सरकार की सहायता से बनाया गया था, न कि बेंचने के लिये । यह सही है कि कालोनियों का स्वामित्व इनमें रहने वाले किरायेदारों को सौंपने के लिए मांगे शासन को प्राप्त होती रहीं हैं, परन्तु उन्हें बेचने से श्रमिक कालोनियों के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

ग्राम ईंडा जनपद अल्मोड़ा को गंगास नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की मांग

*8–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के ग्राम ईंडा पो0 ईंडा जो कि जनपद का सबसे बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाला ग्राम है, में पेयजल की

समस्या को लेकर यहां की स्थानीय गंगास नदी से पानी उपलब्ध कराने हेतु ग्रामवासियों द्वारा बराबर मांग की जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त ग्राम में पेयजल की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरीफिया लाल जुवांठ)–

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम ईंडा तथा अन्य समीपवर्ती राजस्व ग्राम नैथानादेवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से लाभान्वित है, जिसका रख-रखाव कुमायूं जल संस्थान, रानीखेत द्वारा किया जा रहा है। उक्त ग्राम को गंगास नदी से पम्पिंग कर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

योजना के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण ग्राम ईंडा को पेयजल सुचारु रूप में उपलब्ध नहीं होता है । इस ग्राम को प्रस्तावित दूनागिरी पम्पिंग पेयजल योजना में पुनर्गठन हेतु सम्मिलित किया गया है परन्तु बड़ी लागत की पम्पिंग योजना होने के कारण धन उपलब्ध नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

ग्रीष्म काल में नैनीताल में जल संकट को दूर करने की स्थायी व्यवस्था

*9–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1989 के ग्रीष्म काल में नैनीताल में भारी जल संकट पैदा हो गया था जिससे नागरिकों को बहुत असुविधा हुई? यदि हां, तो भविष्य में इसके सुधार के लिए सरकार क्या कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरीफिया लाल जुवांठा–

कुमायूं जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल नगर की पेयजल व्यवस्था वर्ष 1989 के ग्रीष्मकाल में सामान्य रूप से ठीक रही है। मात्र यदा-कदा विद्युत व्यवस्था में व्यवधान होने के कारण ही पेयजल की आपूर्ति में व्यवधान रहा है। माह अप्रैल, मई व जून में प्रत्येक वर्ष पर्यटकों की अधिकता से प्रायः पेयजल की कमी महसूस की जाती है।

नैनीताल नगर की पेयजल व्यवस्था में जल की बढ़ोत्तरी के लिए 20 एम0 एल0 डी0, के शुद्धिकरण प्लान्ट का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक कार्यक्रम में भी इस नगर की योजना को सम्मिलित किया जा रहा है जिसके कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार ।

मथुरा एवं आगरा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग

*10–श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली में यमुना का सम्पूर्ण पानी रोक लिया जाता है तथा मथुरा-आगरा में यमुना में आने वाले पानी में दिल्ली गाजियाबाद से

हिण्डोन नदी का गन्दा पानी मिल जाता है जिसका शोधन नहीं हो पाता है जिससे आगरा की जनता को अशुद्ध तथा हानिकारक पानी पीना पड़ता है? यदि हां, तो शासन जनता को शुद्ध पेयजल देने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां। दिल्ली में यमुना का करीब-करीब सम्पूर्ण पानी रोक लिया जाता है।

जी हां।

जी नहीं। प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए आगरा जल संस्थान द्वारा शुद्धीकरण हेतु निर्धारित मात्रा में रसायनों का प्रयोग करके निर्धारित मानक के अनुरूप जल की आपूर्ति नगर में की जाती है । इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न क्षेत्रों 1152 इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा जनपद गाजियाबाद को नगरपालिका बनाये जाने की मांग

*11–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा जनपद गाजियाबाद को नगर पालिका बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नोएडा को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव जिलाधिकारी गाजियाबाद से 6-1-90 को प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त ही अंतिम निर्णय लेना सम्भव होगा।

आगरा जनपद में पेयजल सुविधा हेतु जमुना नदी पर बैराज बनाये जाने की मांग

*12–श्री किशन गोपाल–

क्या सरकार आगरा में पेयजल की भीषण समस्या के समाधान हेतु जमुना नदी पर कोई बैराज बनाने की योजना बना रही है जिससे भविष्य में आने वाले ग्रीष्म काल में पेयजल समस्या का निराकरण हो सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

बैराज बनाने की योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

13–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

शहर बरेली में स्वर्गीय सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रतिमा लगाये जाने की मांग

1—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय सत्य प्रकाश अग्रवाल की बरेली शहर के किसी उपयुक्त स्थान पर प्रतिमा लगाने की वर्षों से मांग चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बरेली की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए स्वर्गीय श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रतिमा लगवाने की यथाशीघ्र आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

स्व0 श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रतिमा रामपुर बाग स्थित पार्क में स्थापित किये जाने के संबंध में श्री दिलीप आर्य, सभासद नगर महापालिका बरेली का प्रस्ताव नगरमहापालिका स्तर पर विचाराधीन है।

स्व0 श्री सत्य प्रकाश की प्रतिमा लगवाने का प्रस्ताव नगर महापालिका से शासन में प्राप्त होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर महापालिका में अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति का औचित्य

2—श्री अमर नाथ यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका में अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी का पद सृजित है? यदि नहीं, तो वाराणसी नगर महापालिका में अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी के नियुक्ति का क्या औचित्य है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर महापालिका वाराणसी में वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी का पद सृजित नहीं है। नगर महापालिकाओं में निर्वाचन के पूर्व उप प्रशासक के पद सृजित थे। निर्वाचन के उपरान्त उसको देखते हुए उप प्रशासक को अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी के पद को रखने या न रखने के बारे में मामला शासन के विचाराधीन है।

3—श्री अमरनाथ यादव—

[पहले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4—श्री अमरनाथ यादव—

[दूसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 49 के अन्तगत स्थानान्तरित]

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के आडिट रिपोर्ट 1988-1989 में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

5–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में आडिट रिपोर्ट 1988-89 के अनुसार सहायक श्री बैजनाथ निगम को दोषी बताया गया है? यदि हां, तो संबंधित दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर कतिपय गांवों में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की मांग

6–श्री राम पाल वर्मा–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सीतापुर रोड स्थित ब्रह्मनगर, पतौरा-गंज व इरादतनगर ग्रामों की सीमा व उनमें मौजूद सड़कें अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 4516ए/11-7-86-1 के (87)-83, दिनांक 3-2-1987 की अनुसूची के अनुसार लखनऊ नगर के रूप में सम्मिलित होकर नगरमहापालिका लखनऊ के अधीन व नियंत्रण में है? क्या उल्लिखित ग्रामों की सड़कों के निर्माण व अनुरक्षण का कार्य अब नगर महापालिका लखनऊ द्वारा किया जायेगा? यदि हां, तो सीतापुर रोड डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पतौरागंज, ब्रह्मनगर, सचिवालय हाउसिंग कालोनी को जाने वाले मार्ग का निर्माण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

प्रश्नगत सड़कों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

बरेली नगर महापालिका को एक करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने की मांग

7–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर महापालिका के गठन के बाद से अभी तक कितनी आर्थिक सहायता शहर के विकास के लिए दी गयी है? क्या सरकार बरेली महानगर के विकास के लिए नगर महापालिका को एक करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगर महपालिका बरेली के गठन से अध्यावधिक ऋण तथा अनुदान के रूप में क्रमशः 3,21,12,000/- तथा रु0 1,42,06,400 अर्थात कुल अंकल 4,63,18,400/- आर्थिक सहायता के रूप में नगर के विकास के लिए दिये गये हैं। बरेली महानगर के विकास के लिए नगरमहापालिका को एक करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

नेवादा मंगारी जनपद वाराणसी में पेयजल योजना के अन्तर्गत लगे नलकूप का कार्य पूरा कराने की मांग

8–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में पेयजल योजना के अन्तर्गत नेवादा मंगारी में एक नलकूप की बोरिंग कर दी गयी है और उसकी पाइप लाइन तथा अन्य कार्य अब तक नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार इस नलकूप के सभी कार्य जल्द से जल्द कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है । अन्य कार्य जैसे–पम्प हाउस, टंकी तथा पम्पिंग प्लाण्ट के कार्य भी किए जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य किये जा रहे हैं।

वर्ष 1991 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

कुंवार या ताड़ी ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में व्याप्त जल संकट को दूर करने की मांग

9–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान कुंवार या ताड़ी ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में पेयजल संकट है? यदि हां, तो इसको देखते हुए ताड़ी या कुवार में एक पेयजल का नलकूप लगाने पर विचार करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

ताड़ी एवं कुवार गांवों में इण्डिया मार्क–2 के दो-दो हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं जिससे उक्त ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उक्त दोनों गांवों को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अनेई ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है।

लखनऊ नगर के कतिपय मोहल्लों में सीवर लाइन बिछाने की मांग

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-167/89 दिनांक 19-10-89 को पूर्व नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ जो मोहल्ला कन्धारी बाजार लोध पुरवा एवं पठानों की बारादरी लखनऊ में सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में है? क्या पत्र के जबाब में पूर्व नगर विकास मंत्री ने अपना पत्र संख्या 3754/वी0 आई0 पी0 दिनांक 30-10-89 सचिव, नगर विकास को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीवर लाइन डाली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त सीवर लाइन कब तक डलवा दी जायेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

जी हां।

सीवर लाइन डलवायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

11–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[पहले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री डी0 आर0 दोहरे जिला सेवा योजना अधिकारी उरई जिला जालौन को गलत ढंग से कार्यमुक्त किया जाना

12–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री डी0 आर0 दोहरे, जिला सेवा योजन अधिकारी, जालौन स्थान-उरई को बिना स्थानान्तरण आदेश के 12-12-1987 एवं 11-1-88 को कार्य भार से मुक्त किया गया ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्यवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या सरकार श्री डी0 आर0 दोहरे को 12-1-88 से अब तक के कार्य काल का वेतन देने का कष्ट करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है ।

13–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[पहले मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड कोट के लिए अलकनन्दा से पम्पिंग योजना के निर्माण की मांग

14–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में इंजीनियरिंग कालेज के शिलान्यास के अवसर पर पौड़ी/रामलीला मैदान में आयोजित एक

सार्वजनिक सभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह ने विकास खण्ड कोट के लिए अलकनन्दा से पम्पिंग योजना के निर्माण करवाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक योजना के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध कराई जा सकेगी ? क्या यह सच है कि प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन कब तैयार कर, मुख्य अभियन्ता उ0 प्र0 जल निगम, देहरादून, को प्रस्तुत किया गया था और मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत हेतु शासन को प्रस्तुत करने में विलम्ब करने का कारण क्या है ? इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां, कोट पम्पिंग योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत 1324.00 लाख रु0 मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, देहरादून के कार्यालय में दिनांक 30-5-88 को प्रेषित किया गया था । कोट पम्पिंग ग्राम समूह पेयजल योजना एक वृहद पम्पिंग योजना है जिसमें अलकनन्दा नदी से 1263 मी0 ऊंचाई पर पानी पम्प किया जाना प्रस्तावित है, भारत सरकार के टेक्नोलोजी मिशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मल्टी स्टेज पम्पिंग योजनाओं के स्थान पर सस्ती टेक्नोलोजी की योजनाओं की सर्वेक्षण व अनुसंधान कराया जाय । शासन द्वारा भी यह निर्देश दिये गये थे कि मल्टी स्टेज पम्पिंग योजनायें जो अधिक लागत की हैं उनके स्थान पर रेनवाटर हार्विस्टिंग की अल्प लागत की योजनाओं के संबंध में सर्वेक्षण कराया जाय । अतः प्रश्नगत योजना जो कि मल्टी स्टेज पम्पिंग योजना है, का प्राक्कलन शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः इस विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है ।

15–श्री केदारनाथ सिंह तथा श्री गणेश दीक्षित–

[दूसरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[12 बज कर 20 मिनट]

जनपद मुरादाबाद में खांडसारी उद्योग मालिकों द्वारा कम कीमत पर गन्ना क्रय करने के विरोध में चक्का जाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 जनवरी, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं––(1) श्री चन्द्र विजय सिंह की जनपद मुरादाबाद में गन्ने की कम कीमत पर क्रय से चक्का जाम कराने के सम्बन्ध में, (2) श्री जय शंकर पाण्डेय की जनपद फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय में छात्रों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के सम्बन्ध में, (3) श्री दीप नारायण की जनपद आजमगढ़ की मोहनगर ढेकमा, लखा तथा लालगंज ब्लाकों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, (4) श्री राम छबीला की जनपद देवरिया में मछलियों में फैल रही बीमारी के सम्बन्ध में, (5) श्रीमती सरस्वती तिवारी की जनपद अल्मोड़ा में उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम की बस में आग लगने से 14 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में,

(6) श्री राज किशोर सिंह की जनपद वाराणसी व मिर्जापुर को जोड़ने वाले बच्छांव-बेटावर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में और (7) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की जनपद बांदा की नरैनी ब्लाक में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

यह सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

श्री चन्द्र विजय सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान जनपद मुरादाबाद की तहसील विलारी के गन्ना किसानों द्वारा मुरादाबाद अलीगढ़ बदायूं राजमार्ग पर खांडसारी उद्योग में गन्ने के कम कीमत पर खरीदने के विरोध में चक्का जाम कर दिया है जिससे लाखों की संख्या में यातायात ठप्प हो चुका है । लाखों की संख्या में लोगों को परेशानी है तथा इस पर सरकार द्वारा हल न किये जाने पर आन्दोलन बड़ा रूप लेने की सम्भावना है । अतः सरकार पर तुरन्त कार्यवाही करके किसानों को गन्ने का खांडसारी उद्योग से उचित दाम दिलाने की कार्यवाही करें ।]

जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय फैजाबाद के छात्रों द्वारा विद्यालय प्रागंण में किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय शंकर पाण्डेय–

[मान्यवर, पिछले 9-1-90 से का0 सु0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अयोध्या, फैजाबाद में एक दर्जन छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर का0 स0 साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्रागंण में छात्र नेता फूलचन्द्र यादव के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे हैं छात्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और छात्रों के स्वास्थ्य और मांगों को लेकर फैजाबाद जनपद के विभिन्न अंचलों में छात्रों में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है । छात्रों की मांग भी ऐसी है जैसे कि छात्रावास का निर्माण महाविद्यालय परिसर में डाकघर सिटी बस चलाने की व्यवस्था छात्रों का पुनः प्रवेश इत्यादि जो जिला प्रशासन तथा छात्रों के बीच मतैक्य से तय हो सकती है और विस्फोटक स्थिति से बचाया जा सकता है ।

मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि आप अपने माध्यम से जिला प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दें ।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित चार ब्लाकों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री दीप नारायण–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र में मेहनगर हरिजन बाहुल्य है जहां पर लगभग 46 प्रतिशत हरिजन निवास करते हैं इसके आधार पर इस क्षेत्र को सरकार को

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सुरक्षित घोषित किया इन हरिजनों की हरिजन बस्तियां बिजली के अभाव में आज भी काफी अंधेरे में पड़ी हुई हैं। पिछली सरकार ने कुछ गांव का विद्युतीकरण किया परन्तु लगभग ढाई सौ ग्राम सभायें जहां पर कई-कई हरिजन बस्तियां हैं में बिजली की लाईन न होने से गरीब हरिजनों को हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मेरा क्षेत्र 4 ब्लाकों में (मेहनगर, ठेका, तरवा तथा लालगंज) है। जहां पर गरीबी के कारण लोग अपने धन से बिजली लेने में असमर्थ रहते हैं।

ऐसी दशा में हम सरकार से प्रबल मांग करते हैं कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा मेंहनगर (सुरक्षित) के समस्त गांवों की सभी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण कराया जाय।]

जनपद देवरिया में मछलियों में फैली संक्रामक बीमारी के रोकथाम की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम छबीला–

[मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। देवरिया जनपद में मछलियों में एक विशेष प्रकार की संक्रामक बीमारी फैल गई है जिससे सारी मछलियां मरती जा रही हैं। मछली खाने से कई लोग भयंकर रूप से बीमार पड़ गये हैं। मत्स्य पालकों की बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हो रही है। प्रशासन द्वारा रोकथाम की कोई व्यवस्था न करने के कारण लोगों में भय तथा आशंका व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय तथा मत्स्य पालकों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाय।]

जनपद अल्मोड़ा के चौकुनी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में आग लगने की दुर्घटना की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं।

दिनांक 28-12-89 को जनपद अल्मोड़ा में चौकुनी नामक स्थान पर उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस में आग लग जाने के कारण 22 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार की घटना जनपद में खेरना के पास भी 10 जनवरी, 1988 में हुई थी जिसमें 12 लोगों की जल कर मृत्यु हो गयी थी तथा कई गम्भीर रूप से घायल हो गये थे।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन ही आवागमन का एक मात्र साधन है और बसों में सुरक्षा आदि के प्रबन्ध न्यूनतम हैं । यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू है तथापि अवैध शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है और शराब माफिया गिरोह बसों/ट्रकों तथा अन्य वाहनों के माध्यम से शराब बनाने हेतु अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं जो इन बस अग्निकाण्डों का प्रमुख कारण है जिसे रोकने में प्रशासन अक्षम सिद्ध हो रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस चौंकुनी बस अग्निकाण्ड की जांच सी0 बी0 आई0 के माध्यम से कराने की कृपा करें ताकि दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिल सके व ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तथा जनता अपनी सुरक्षा महसूस कर सके।]

जनपद वाराणसी व मिर्जापुर को जोड़ने वाले वच्छाव-बेटावर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लाक वच्छांव-बेटावर सम्पर्क मार्ग लम्बे समय से अपेक्षित है। यह मार्ग वाराणसी जनपद को मिर्जापुर जनपद से जोड़ता है। इस मार्ग से नित्य वाराणसी व मिर्जापुर के नागरिक अपने व्यवसाय व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आते जाते हैं किन्तु लगभग 4 कि0 मी0 लम्बा यह मार्ग अत्यन्त दयनीय दशा में पड़ा हुआ है यहां तक कि मिट्टी का भी कार्य नहीं हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप विकास का कोई कार्य न होने से इस क्षेत्र के गांव पिछड़ेपन के शिकार है। इस मार्ग के पक्का बन जाने से सवारी व माल गाड़ियों का आवागमन सरल हो जायगा और क्षत्र की आमदनी कई गुना बढ़ जायेगी तथा सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । सम्पर्क मार्ग न बनने से जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतएवं उक्त समस्या को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से तत्काल बच्छांव-बेटावर मार्ग के निर्माण करने की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के नरैनी ब्लाक में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के असिंचित एवं उपजाऊ क्षेत्र में राजकीय नलकूप न लगने से रबी की फसल सूख जाने से किसानों में भीषण असन्तोष एवं रोष व्याप्त है, किसानों द्वारा लगातार, मीटिंग प्रदर्शन शुरू है स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, लूक, धौरहो, मऊ, टिटिहरा, बदौंसा, बधेलाबारी, जबरापुर, , घोरिया, फतेहगंज, कल्याणपुर रौली कल्याणपुर, छतैनी, महुई, कुलसारी, सदा, नीबी, मटखना, रानीपुर कालिंजर, करतल आदि गांवों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण रबी की फसल या तो बोई नहीं गयी जो बोई गयी है वह भी सूख गयी है । इस क्षेत्र का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया । किसानों द्वारा अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल करने की योजना भी बना रहे हैं, दिनों दिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मांग करता हूं उपरोक्त अविलम्बनीय समस्या पर तुरन्त सर्वेक्षण कराकर टेस्ट बोर कराते हुए पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के द्वारा राजकीय नलकूप लगवायें जायें ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक मिनट में पहले व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए । प्रश्नों के संबंध में अगर आप आज्ञा दें तो मैं शुरू करूं ।

श्री अध्यक्ष–

बोलिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह व्यवस्था जानना चाहता हूं प्रश्नों के सन्दर्भ में कि आप विद्वान हैं, अनुभवी हैं, क्या आप सदन में नयी परम्परा और पद्धति स्थापित कर रहे हैं कि जब माननीय सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति देते हैं तब वह प्रश्न करता है और संबंधित मंत्री उत्तर देते हैं । अब नयी परम्परा के अनुसार एक समय में 3 सदस्यों को बुला देते हैं । इससे मा0 मंत्री उलझन में पड़ जाते हैं कि किसका उत्तर दें ? मैं व्यवस्था चाहता हूं कि केवल एक ही सदस्य को बुलाएं । आप खुद ही कह दें कि यह प्रश्न उत्तर देने लायक नहीं है यदि आप ऐसा समझते हैं । जिससे कि माननीय मंत्री जी को पता लग जाय कि किसका उत्तर देना है । दूसरी व्यवस्था की बाबत यह कहना चाहता हूं कि सदन को व्यवस्थित रखिये । यह सदन में कौन क्या बात कह रहा है किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो नयी परिपाटी आपके द्वारा संचालित हो रही हैं, वह न करें, पुरानी परिपाटी के अनुसार ही कार्यवाही चलायें और सदन को व्यवस्थित करने लिये व्यवस्था करें । इन सब चीजों पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, इस बात को मैं इसके पहले भी दो बार कह चुका हूं माननीय सदस्यगण को यह अधिकार है कि वह मेरी अनुमति से प्रश्न करें । प्रश्न करने के उपरान्त यह निर्णय पीठ का होता है कि इस प्रश्न का उत्तर देना माननीय मंत्री जी के लिए आवश्यक है या नहीं । एक-दो ऐसे उदाहरण केवल प्रस्तुत हुए हैं इसी सत्र में बिना उत्तर के दिये माननीय मंत्री जी के मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकारा है । उस सम्बन्ध में मैंने बिल्कुल यह स्पष्ट किया कि यह मेरा अधिकार था । मैं समझ रहा था कि उत्तर आ चुका है या आना आवश्यक नहीं है । दूसरी चीज को माननीय मंत्री जी से स्पष्ट कर दिया कि सदन में कोई सदस्य भावना व्यक्त कर रहा है । माननीय मंत्री जी को पूरा अधिकार है उसका स्पष्टीकरण दें और सही उत्तर दें । इसीलिए कोई परिपाटी में परिवर्तन नहीं है । यह मेरी व्यवस्था है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न नियम 300 में दिया है ।

(व्यवधान)

दिनांक 11 जनवरी, 1990 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान प्रयोग किये गये शब्द 'शिखण्डी' को असंसदीय होने के कारण कार्यवाही से निकाल दिये जाने का मा0 अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं, पहले वह सुन लें ।

कल दिनांक 11 जनवरी, 1990 को प्रश्नोत्तर काल के दौरान "शिखण्डी" शब्द का प्रयोग किया गया था । तब मैंने यह कहा था कि उक्त शब्द के संसदीय अथवा असंसदीय घोषित किये जाने के संबंध में मैं आज निर्णय लूंगा । मैंने लोक सभा की कार्यवाही दिनांक 17-11-66, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 25-3-81, मध्य प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 31-3-81 तथा लोक सभा की कार्यवाही दिनांक 1-12-88 का अवलोकन किया । इन सभी कार्यवाहियों में "शिखण्डी" शब्द को असंसदीय माना गया है ।

उक्त निर्णयों को अपनाते हुए मैं यह निदेश देता हूं कि कल की कार्यवाही से उक्त शब्द तथा संबंधित वाक्य निकाल दिया जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने भी मुझे एक पत्र लिखकर खेद प्रकट किया है। है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक औचित्य का प्रश्न दिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने खेद प्रकट कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

जी हां ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[***] सरकार ने जो भी कहा है हम उसका स्वागत करते हैं ।

नोट :–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, नियम 300 में मेरा भी औचित्य का सवाल है ।

विरोध पक्ष को अनुमति मिलने के बावजूद माइक आन न किये जाने तथा मंत्रियों द्वारा प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दी है, इसके बाद भी माईक आन नहीं किया जाता है । क्या कोई दूसरी नीति सदन में बन गयी है । अभी जब मैंने आपका ध्यानाकर्षण किया है तब माईक आन किया जाता है । इस माननीय सदन के हम लोग भी सदस्य हैं, कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं । सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो माईक आन हो जाता है । प्रश्नों के संबंध में जो उत्तर होते हैं और उसके बाद जो प्रश्न करते हैं उसमें जब सही उत्तर नहीं आता तब आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उत्तर मेरे प्रश्न से संदर्भित है या नहीं । प्रश्न कुछ होता है और उत्तर कुछ और आता है, इसी से विवश होकर हम लोगों को कुछ बात उठाना पड़ता है । वैसे हम लोग वचनबद्ध हैं कि आपको पूर्ण सहयोग देंगे लेकिन जब हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, तो हमें बात उठानी पड़ेगी । मैंने पूछा कि कितने लोग मर गये, तो यह जवाब दे रहे हैं कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है । मैं पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी, तो यह जवाब देते हैं कि ऐसा कार्य किया जायगा, जिससे सभी लोगों को छात्रवृत्ति मिल जाय। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आप अपनी पीठ से इन मंत्रियों को निर्देश दें कि वह अध्ययन करके आया करें और केवल कोरे कागज को पढ़कर जवाब न देने की कृपा करें, जिससे सदन का समय बर्बाद न हो और प्रश्नों का उत्तर भी सही आये ।

श्री राज्यपाल द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन हेतु आहूत किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत माननीय श्री प्रमोद जी का एक औचित्य का प्रश्न प्राप्त हुआ है, जिसमें माननीय सदस्य ने यह कहा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 10 जनवरी, 1990 को संयुक्त अधिवेशन के लिए आहूत किया था और विधान मण्डल को आहूत करने की दिनांक से ही सदन का सत्र प्रारम्भ माना जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद–175 (1) के अनुसार सदन का सत्र प्रारम्भ हो जाने पर महामहिम राज्यपाल महोदय कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करते किन्तु आश्चर्य का विषय है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 को उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1989 प्रख्यापित किया गया । यह मान्यता सर्वथा निराधार है कि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं

था । महामहिम राज्यपाल के आमंत्रण से स्पष्ट है कि राज्य विधान मण्डल सत्र में था तथा इस अवधि में कोई अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने को संविधान संगत नहीं कहा जा सकता ।

अब मैं इस पर अपना निर्णय दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, निर्णय देने से पूर्व मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात कह दें ।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अलोकतांत्रिक सरकार का पहला कारनामा आज सदन के सामने है। अपने आपको लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार ने हम सभी माननीय सदस्यों का इस अध्यादेश के माध्यम से गला घोंटा है । यह सामान्य परम्परा रही है और भारत का संविधान भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सदन की बैठक आहूत कर ली जायेगी, तब सरकार कोई बैसाखी का सहारा नहीं लेगी और कोई अध्यादेश निर्गत नहीं करेगी । लेकिन इस अलोकतांत्रिक सरकार ने, जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, से इतना भी सब्र नहीं हो सका और एक तरफ महामहिम राज्यपाल से विधान सभा आहूत करने का आग्रह किया और दूसरी तरफ सदन के आहूत हो जाने के बाद अध्यादेश जारी करके सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात किया । मैं यह कहूंगा कि यह सरकार कटघरे में खड़ी है, जिसने सम्पूर्ण सदन का अपमान किया है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो पुराने समाजवादी है और जिनका लोकतंत्र में बहुत विश्वास रहा है, ने एक गलती की है, अगर यह खड़े होकर क्षमा याचना कर लें, तो हम लोग इस बात को भूल जाने को तैयार हैं । मान्यवर, आप अपनी पीठ से इनको निर्देश दें कि भविष्य में जब कभी सदन की बैठक आहूत हो, तो यह सरकार इस तरह का कोई अलोकतांत्रिक कदम न उठाये और अध्यादेश का सहारा लेकर इस सदन का अपमान न करें । मैं चाहूंगा कि आप अपनी पीठ से निर्देश दें जिससे अब भविष्य में कोई अलोकतान्त्रिक काम न होने पाये ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्यमंत्री को पुकारे जाने पर एवं श्री पंचानन राय व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर–शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पंचानन राय जी आपकी नोटिस नम्बर–2 पर है । इसी विषय पर है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन्हें भी आप सुन लें ।

श्री पंचानन राय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर की पुस्तक "प्रैक्टस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" में परिभाषित किया गया है कि सेशन की तारीख वह होगी जो राज्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाल महोदय द्वारा आमंत्रण में मैन्सन की जायेगी । तारीख मैन्शन दो हैं । एक वह तारीख है जिस तारीख को राज्यपाल महोदय ने आमंत्रण जारी किया और दूसरी तारीख वह है, जिसमें सदन को आहूत किया गया है । इसका सहारा तो लिया जा सकता है जिस तारीख को उन्होंने संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया है । वह तारीख मैन्शन है । वास्तविकता यह है कि वह तारीख मैन्शन है जिस तारीख को उन्होंने संयुक्त अधिवेशन के लिए सदन को आमंत्रित किया है । मंत्रि परिषद् ने राज्यपाल महोदय को यह अनुसंशा करते हुए सदन को आहूत करने के लिए आमंत्रण पत्र जारी कर दिया गया । इस प्रदेश में तमाम तदर्थ अध्यापकों को विनियमित करने का सवाल आया तो यह कह दिया गया कि हमारी कैबेनेट ने फैसला किया है कि हम अध्यादेश से राज्य नहीं चलायेंगे । जब कोई जनहित का काम होगा तो अध्यादेश के द्वारा यह सरकार काम नहीं करेगी जब कोई तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय देना होगा तो अध्यादेश से यह काम चलायेंगे । जो अध्यादेश है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ नहीं हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सदन आमंत्रित हो गया और आहूत हो गया तो इनको धैर्य रखना चाहिए था और इस सदन को कान्फिडेन्स में लेकर एक विधेयक लाना चाहिए था और कानून बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए था । ऐसा न करके इस सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके का परिचय देकर सदन को आहूत करके अध्यादेश जारी करके दी है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, औचित्य का मामला उठाया गया है । अगर कोई माननीय सदस्य उसमें रुचि देना चाहता है और आपको सलाह देना चाहता है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी जो आज विपक्ष में सत्तासीन हैं, उनको आज लोकतंत्र की चिन्ता हो रही है । जब वह इधर बैठे थे तो जो कार्य उनको अच्छा लगता था, आज उसकी वह आलोचना करते हैं। आप संयम से, धैर्य से सुनें और सुनने की क्षमता रखें । इसमें कोई विवाद नहीं है कि संविधान, संसदीय परम्परायें, मान्यतायें उन सबका हमको आदर करना चाहिए और हमारा यह संकल्प है कि कोई भी कार्य संसदीय परम्पराओं व संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत हमारी सरकार नहीं करेगी ।मान्यवर, जो प्रश्न औचित्य का उपस्थित किया गया है माननीय प्रमोद तिवारी जी की ओर से और माननीय विद्वान सदस्य पंचानन राय जी की ओर से, उस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 2–3 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें व्यवस्था है कि दोनों सदन जब सत्र में हों तब कोई अध्यादेश नहीं लाया जा सकता । अगर दोनों सदनों में से एक सदन भी सत्र में न हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है और आपकी सरकार भी लायी है। श्री राज्यपाल द्वारा सदन को आहूत करने की तिथि के बाद भी अध्यादेश लाये गये हैं, आपकी सरकार की ही मिसाल दूंगा सदन बुलाया गया । 19-12-81 को, अध्यादेश जारी किया गया 15-1-82 को,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1983 में सत्र आहूत किया गया 11-1-83 को और अध्यादेश जारी किया गया । 1-2-83 को। इस संबंध में तमाम रूलिंग्स भी हैं कि एक सदन तो छोड़ दीजिये, दोनों सदनों में से एक भी सत्र में न हो और सरकार को आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी कर सकती है।

श्री प्रमोद कुमार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनादेश का पालन करना भी लोकतांत्रिक प्रणाली की मर्यादा है । चुनाव हो गये, जनता दल की सरकार बन गयी, कांग्रेस के लोग विपक्ष में चले गये, जो चुनाव हारे हुए हैं, वे विधायक निवास मे मंत्रियों के बंगले में आज भी पड़े हुए हैं, क्या यह जनादेश का अपमान नहीं हो रहा है? मैं अपील करूंगा, कि जो भूतपूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, अपने बंगले खाली कर दें, हमें इस अध्यादेश को लागू न करना पड़े । जो सवैधानिक आपत्ति उठायी गयी है, पहले भी अनुरोध कर दिया, यह किसी भी प्रकार औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसे खारिज किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न पहले सुन लें। जो कहा है सिद्धान्त रूप से उससे सहमत हूं । एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पहले उनसे कहेंगे जो हार गये हैं और आपके दल के महासचिव हैं, क्या पहले उनसे बंगला खाली करवाने की कोशिश करेंगे ?

एक सदस्य–

जो व्यक्ति देश में नहीं है, विदेश में है, उसका इलाज चल रहा है, उसके संबंध में कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को चुनौती देता हूं, 1980 में जो चुनाव हार गये हैं, आज तक आपके दल के लोग उस बंगले में काबिज हैं । पहले उनसे खाली कराइए तब इधर कहने के लिए हकदार होंगे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात ऐसी है जैसे सौ-सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय तिवारी जी तथा पंचानन राय जी के प्रश्न को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को भी सुना । इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि संविधान की धारा 175 या 174 केवल संयुक्त अधिवेशन में सम्बोधन करने से संबंधित है । संविधान की धारा 213 स्पष्ट रूप से कहती है कि, "उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों ।" इसलिए यह स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि जब सत्र चल रहा हो कोई दोनों में से, उस समय वह अध्यादेश प्रख्यापित नहीं हो सकता । इसलिए इस संबंध में आपने जो सूचना दी है उसे अस्वीकार करता हूं ।

वर्तमान सत्र में श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नियम 56 की सूचनाओं को न लिए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी जो माननीय पंचानन राय जी ने दी है, विधान सभा की नियमावली के नियम 56 के अंतर्गत सदस्यों के द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, नियमावली में कहीं यह व्यवस्था नहीं है कि जिस उपवेशन में महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करें, कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय या न किया जाय । कार्य मंत्रणा समिति में जो निश्चय कर दिया गया है, उसी निश्चय के अनुसार यह है कि आज उपवेशन में कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सदस्यों के अधिकार का हनन हो रहा है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, बड़ी दुहाई है कि इस प्रदेश में व्यवस्था बदल गयी है, लोगों को अपनी बात कहने की आजादी हो गयी है । चुन कर हम लोग भी आये थे और विपक्ष में बैठे हैं । बड़ा अरमान था कि जन जीवन की तकलीफों को मुखरित करेंगे । माननीय वर्तमान मुख्य मंत्री ने जो यह दिया इससे बड़ी निराशा हुई है कि हम लोग जन जीवन की तकलीफों को यहां सदन में नहीं उठा पा रहे हैं । माननीय सदस्यों को अधिकार प्राप्त है कि प्रदेश में लोक महत्व के अविलम्बनीय घटनाओं को जो कि घटित होती हैं उसको यहां पर उठायें, यह अधिकार हमसे छीना गया । मान्यवर, इस संबंध में मैंने नियमावली की धाराओं का उल्लेख किया है कि नियम 56 में अविलम्बनीय लोक महत्व की बातें शून्य प्रहर में उठाने का जो हम लोगों का अधिकार है उससे हम लोग वंचित हो गये हैं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी लेकिन नियम 56 नहीं लाया जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, उच्च सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कार्यस्थगन के प्रस्ताव भी विचारार्थ स्वीकार किये जा रहे हैं । यह दोहरा मापदण्ड है और हम जन प्रतिनिधि को इस सदन में लोक महत्व को अविलम्बनीय घटनायें नहीं प्रस्तुत करने दी जा रही हैं ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जन जीवन की आशाओं पर जो तुषारापात किया जायेगा, जन प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों से वंचित किया जायेगा । आज ही मैंने एक नोटिस भेजी, उस नोटिस को कार्यालय ने लेने से इन्कार कर दिया । जबकि सवाल ज्वलन्त है । यह सदन चार दिन का होगा उसमें भी जन प्रतिनिधि ज्वलन्त सवालों को यहां उठाने से वंचित रह जायेंगे और इस सदन में हमारा आना व्यर्थ चला जायेगा । इस औचित्य के प्रश्न के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे औचित्य के आधार पर विचार करें ताकि लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को इस सदन में उठाया जा सके ।

(व्यवस्था के प्रश्न पर एक साथ कई मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर–व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय मंत्री जी जो उत्तर देना चाह रहे हैं, मेरे औचित्य पर, वह नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक साथ 4-4 माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, नेता सदन भी यहां पर मौजूद हैं, कम से कम अपने सदस्यों को निर्देश दें कि एक वक्त में एक ही माननीय सदस्य खड़े हों ताकि सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

(शोर)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात कह रहा हूं कि माननीय पंचानन राय, तो एक विद्वान सदस्य हैं, कृपया सदन के बारे में ऐसी जानकारी दें, जिससे सदन को कम से कम लाभ हो और यदि इधर-उधर की बातें होंगी तो इसमें दोनों को नुकसान होगा । कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव यहां पर पेश हो चुका है । इस समिति में सभी दलों के माननीय सदस्य, सदस्य होते हैं जिसमें सारी बातें सर्वसम्मति से तय होती हैं । दूसरी बात राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के समय प्रदेश की समस्त समस्याएं सदन के संज्ञान में लाई जाती हैं, यही पुरानी परम्पराएं व मान्यताएं रही हैं, इसी आशय की आपकी पीठ से मान्यवर दी गयी रूलिंग्स भी हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राज्यपाल अभिभाषण की जब चर्चा हो रही हो तो ऐसे समय में नियम 56 की चर्चाएं स्वीकार न की जाएं, इस तरीके की बहुत सी रूलिंग्स हैं । इन सब आधार को देखते हुए इनका औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है दूसरे यह कि जब सदन ने सर्वसम्मति से कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को स्वीकार कर लिया तब भी इन्हें कार्य-स्थगन प्रस्ताव को यहां न लाना चाहिए ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह बात सर्वसम्मति से नहीं बल्कि प्रमोद कुमार द्वारा कही गयी बात को मानकर यह किया गया था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर सदन ने जब इस मामले की मंजूरी दे दी, तब इस प्रश्न को यहां **मा0 सदस्य द्वारा औचित्य के रूप में उठाना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा** कि मा0 सदस्य का मामला नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इसे अस्वीकार करने की कृपा करें ।

(घोर व्यवधान)

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने के कारण–शोर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर आप अपना निर्णय दे दें कि जब कोई मामला कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन में आ जाए और वह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय, तब फिर क्या कोई माननीय सदस्य यहां औचित्य के रूप में ला सकता है ?

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विद्वान भी हैं और विधायिका के पूरे जानकार भी हैं, दूसरे वह इतनी किताबें अपने पास रखे हैं, जिसे वह पढ़कर आए हैं, मैं तो केवल यही एक किताब ही पढ़कर आया हूं । वैसे मैं इस बात को अवश्य स्वीकार करता हूं कि सदन अपने कार्य के लिए जो भी नीति तय करेगा, वह सर्वोपरि है और वह उसी के मुताबिक चलेगा । मैं इसी आधार पर, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने कार्यों का संचालन करे, परन्तु नियमावली के अनुसार । इसी नियमावली के नियम 156 में यह प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया विराजें, आप वही बात दुबारा कह रहे हैं, जो सुनी जा चुकी है । कृपया बैठ जाएं ।

(शोर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके मामले में सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दी हैं अब आप हमारी व्यवस्था को सुनें । सदन अपनी प्रक्रिया का स्वयं स्वामी है और इस मामले में निर्णय सर्वसम्मति से इसी सदन में ले लिया गया है, इसलिए इसे अब मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री पंचानन राय–

जनता की भावनाओं का अनादर हो रहा है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री पंचानन राय सदन त्याग कर चले गये)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में प्रश्नों के लिए निर्धारित समय न दिये जाने के संबंध में श्री पंचानन राय का औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री पंचानन राय ने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के प्रश्नों का समय एक घंटा 20 मिनट निर्धारित है, किन्तु प्रश्नों के केवल एक घंटे ही लिया गया है, तो नियमावली का उल्लंघन हुआ है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को बताना है कि इसका समय 12.20 तक है, लेकिन 12.25 तक चला । कल 9 ही प्रश्न थे, उनका समय समाप्त हो गया और प्रत्येक दल के क्वेश्चन पड़ गये, तो मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

राज्य बिजली बोर्ड का वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखे जाने तक बोर्ड की टैरिफ बढ़ाने की अनुमति न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने भी नियम 300 में दिया है । उस पर डा0 दिनेश जौहरी, शिव प्रताप शुक्ल आदि कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और मैं समझता हूं कि वह नियम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

300 के अंतर्गत तर्क संगत भी है और अगर आपने मुझे कहने का मौका न दिया तो दुख होगा, जब कि आपने प्रमोद तिवारी जी को सुना और पंचानन राय जी को सुना। अगर मेरी सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है, तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना बाद को नत्थी हुई है । संभवत: देर से दी गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने 10 बजे के पहले दी है । बहुत वर्ष हो गये हैं, यहां पर बैठते हुए, ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं ।

मान्यवर, जब सदन के अधिकारों पर कटौती होती थी, तो दुख होता था, जब यह लोग इधर बैठते थे और यह लोग उधर बैठते थे । राय साहेब सदन के सर्वसम्मत निर्णय के खिलाफ बगावत कर रहे हैं । तो आप कृपा कर इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 1942 की धारा 61 की उप धारा (3) को देखें और इसी तरह से धारा 69 की उप धारा 5 को देखें, यह अंग्रेजी में है, मैं इनका रूपान्तर हिन्दी में कर दूंगा :

61 (3) दि स्टेट गवर्नमेंट शैल एज सून एज में बी आफ्टर दी रिसिप्ट आफ दि सेड स्टेटमेन्ट कव्ज इट टु बी लेड आन दि टेबुल आफ दि हय्उस आर एज दि केस में बी, हाउसेज आफ दि स्टेट लेजिस्लेचर, एन्ड दि सेड स्टेटमेन्ट शैल बी ओपेन टू डिस्कशन दयेरइन बट शैल बी सब्जेक्ट टु वोट।

आगे है –

69(5) दि स्टेट गवर्नमेन्ट शैल–

(ए) काज दि एकाउन्ट्स आफ दि बोर्ड टूगेदर विथ दि आडिट रिपोर्ट दयेरआन फारवर्डेड टु इट अन्डर सब-सेक्शन (4) टू बी लेड एनुअली बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, एन्ड ।

तो मान्यवर, इसमें शैल शाद का प्रयोग किया गया है । बोर्ड अपना वार्षिक लेखा आडिट रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष राज्य सरकार को देगा जो कि सरकार द्वारा विधान सभा के पटल पर रखा जायगा और उसके ऊपर इस सदन को डिसीजन लेने का अधिकार होगा । बोर्ड का अधिकार न हो । मान्यवर, यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि बोर्ड के क्रियाकलापों के बारे में यह सदन अपनी एकाउन्टेबिलिटी देखेगी । मान्यवर, मैं आपको याद दिलाता हूं कि दिनांक 14-3-89 को बोर्ड का 1985-86 का एकाउन्ट यहां पर पेश किया गया और वह भी उसका अधूरा भाग 1 और 2 ही प्रस्तुत किया गया। बोर्ड की सन् 1985-86 के लेखा-जोखा की जानकारी इस सदन को है । पांच वर्षों की जानकारी नहीं है । बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है जिसके कारण मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि भ्रष्टाचार वह करें, सम्पत्ति का दुरुपयोग वह करे, प्रति वर्ष घाटा वह करे और उसको पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं के ऊपर लाठी चलाई जाती है ।

मान्यवर, हमारे सामने दूसरे राज्यों के आंकड़े भी हैं । महाराष्ट्र में 9 पैसा प्रति यूनिट, पंजाब में 8 पैसा प्रति यूनिट और आंध्र प्रदेश में 5-5 पैसा प्रति यूनिट बिजली

दी जाती है । लेकिन उत्तर प्रदेश में गरीब किसानों से 24.6 पैसा प्रति यूनिट बिजली चार्ज की जाती है । अंधाधुंध तरीके से यहां पर बिजली चार्ज बढ़ाया जा रहा है । 30 रुपये की जगह 45 रुपये फिक्स कर दिया गया है और जहां पहले 68 पैसा बिजली का चार्ज था वह 98 पैसा कर दिया गया है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार ने उसकी रिपोर्ट देखी नहीं, पांच वर्षों की आडिट रिपोर्ट देखी नहीं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है इसको देखा नहीं और बिजली का चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। बिना उसकी एनुवल रिपोर्ट्स देखे बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया। मान्यवर यह आपके सामने है । मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के अधिकारों की रक्षा करें । विद्युत परिषद् के पांच वर्षों का लेखा-जोखा आया नहीं । इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि जब तक उसका लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया जाता, जब तक वह सदन में नहीं आता, उस पर चर्चा नहीं हो जाती जिसकी व्यवस्था इस एक्ट में दी गई है तब तक किसी भी प्रकार का टैरिफ बढ़ाने की व्यवस्था सरकार न करे ।

मान्यवर, संविधान और हमारी नियमावली में व्यवस्था है । आप सरकार को निर्देशित करें कि जब तक इस राज्य विद्युत बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार का कारण हम न जान लें, उसे देख न लें तब तक बिजली का टैरिफ बढ़ाने की अनुमति न दी जाय । मान्यवर, यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं । हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी इस औचित्य के प्रश्न को आपके पास लिखकर दिया है जिसमें डाक्टर दिनेश जौहरी, रवि कान्त गर्ग, रवीन्द्र शुक्ल, किशोरी श्याम, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, किशन गोपाल, श्याम देव राय चौधरी, कृष्ण स्वरूप वैश्य, शिव बहादुर, सुरेन्द्र सिंह आदि अनेक सदस्यों ने भी लिखकर दिया है । मान्यवर, भारत के संविधान और हमारी नियमावली जिसके तहत इस सदन की कार्यवाही नियमित होती है । उसके ही तहत मैंने यह औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अंतर्गत उठाया है और संदर्भित एक्ट 48 का उदाहरण दिया है । इसलिए इस सदन में राज्य बिजली बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण आना चाहिए । यदि नहीं आता है तो यह हमारे अधिकारों की कटौती हो रही है । मान्यवर, इसे आप औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें और सरकार को निर्देशित करें कि जब तक उसका वित्तीय विवरण सदन में नहीं आता तब तक टैरिफ बढ़ाने की अनुमति न दी जाय ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ साथी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जिनसे हमने काफी सीखा है, कभी-कभी... (व्यवधान) वे हमारे सहयोगी हैं। नियम 300 के अंतर्गत जो नियमावली में दिया हुआ है औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।" अध्यक्ष के संज्ञान में तो है लेकिन माननीय गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया है और इस का न तो सदन की कार्यवाही से संबंध है और न संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद से जिसका संबंध सदन की कार्यवाही से हो इन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है वह विद्युत परिषद् के कार्यों की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है । राज्य विद्युत परिषद् स्वयं एक आटोनामस बाड़ी है । यह किसी प्रकार से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । अगर माननीय गुप्ता जी इस पर चर्चा चाहते है तो वह नियमों के काफी जानकार हैं और विद्वान सदस्य हैं तो वह किसी दूसरे नियम में लाकर चर्चा करता सकते हैं । नियम 300 के अंतर्गत यह नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी और संसदीय कार्य मंत्री जी के विचारों को सुनने के उपरान्त मैं व्यवस्था देता हूं कि नियम 300 के अंतर्गत वहीं सूचनायें ग्राह्य हो सकती हैं जब संविधान अथवा प्रक्रिया नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन हो। यदि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अथवा अन्य अधिनियमों का उल्लंघन हो रहा हो तो नियम 300 लागू नहीं होता ।

टैरिफ के बारे में आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टरूप से भावना व्यक्त की और आश्वासन भी दिया है । इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र जीयनपुर में मुख्य मार्गों तथा सम्पर्क मार्गों के किनारे पानी के निकास की व्यवस्था कराने विषयक याचिका

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र जीयनपुर में मुख्य मार्गों तथा सम्पर्क मार्गों के किनारे पानी के निकास की व्यवस्था कराने विषयक सर्वश्री एवाद अहमद, राम कठिन सिंह, लेख तोवाब, तिलकू राम आदि निवासीगण जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10-1-1990 की बैठक में सदन के दिनांक 12 जनवरी, 1990 से 17 जनवरी, 1990 तक के कार्य-क्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

12 जनवरी, 1990 शुक्रवार–(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा– 5 बजे अपराह्न तक ।

(2) निम्नलिखित विधायी कार्य :–

(क) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(ग) संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार-आधा घंटा ।

दिनांक 13, 14 जनवरी, 1990 शनिवार तथा रविवार-बैठक नहीं होगी ।

दिनांक 15 सोमवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा-5 बजे अपराह्न तक ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 आधा घंटा ।

(ग) उत्तर प्रदेश मंत्री, और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990-आधा घंटा

दिनांक 16, 17 जनवरी मंगलवार बुधवार–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की संस्तुतियों से जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश दशम् विधान सभा के वर्ष 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं तीस स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश दशम् विधान सभा की वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और 30 स्थायी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

1–नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	बुधवार, 17 जनवरी, 1990 को अपराह्न 3.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की सम्वीक्षा तथा तिथि तथा समय	गुरुवार, 18 जनवरी, 1990 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय के कक्ष में)
3–नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार, 30 जनवरी, 1990 को अपराह्न 3.00 बजे तक

4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो,
मतदान :—

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति के लिए,	गुरुवार, 22 फरवरी, 1990 को,
	तथा
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए,	शुक्रवार, 23 फरवरी, 1990 को विधान पुस्तकालय में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक होगा

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, समितियों के निर्वाचन के लिये, परम्परा रही है, पिछले सत्र में, नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों अध्यक्ष को अधिकार दे देते रहे हैं कि दोनों से परामर्श करके नामों की घोषणा कर दें । मैं नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि उसी परम्परा के अनुसार प्रस्ताव ले आयें तो हम लोगों को सुविधा रहेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है वह ठीक है और पद्धति ऐसी ही रही है ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री आप प्रस्ताव करें ।

उ0 प्र0 विधान सभा की वर्ष 1989-90 के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति एवं तीस स्थाई समितियों के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1989-90 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया में सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1989-90 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें और यह निश्चय करता है कि

इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय, पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्यो-गिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि " यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1990†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 16 जनवरी, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1990†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक 1990 †

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक 16 जनवरी, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक 1990†

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पान्डेय)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विक्रमादित्य पान्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990‡

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(अगली मद लिये जाने हेतु श्री अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

नियम 301 के अन्तर्गत अस्वीकृत की गई श्री देव कुमार की सूचना को सुने जाने की मांग

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैंने बांदा की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत आपको एक सूचना दी थी । अब तक वहां पर करीब 20 करोड़ रुपये फिरौती के रूप में वसूल किये गये हैं । 12 लोग और 4 महिलाएं अब भी डकैतों के कब्जे में हैं और चार दिन से वहां के नागरिकों द्वारा थाना कमसिन का घिराव किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये इसका एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, इसमें जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी शलाका होती है और जो उसमें आती हैं व ली जाती हैं ।

---

†दिनांक 16 जनवरी, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

‡दिनांक 16 जनवरी, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

यदि आप बोलेंगे तो 41 सदस्यों को बोलना चाहिए जिन्होंने अपनी सूचना दी है । इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं, इसका नियम बना हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायण तिवारी–

जो सैकड़ों लोग मर रहे हैं उसको आप नहीं सुनेंगे इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें नियम बन चुका है । कार्यों का संचालन नियमों के अन्तर्गत होता है जो एक नियम बन चुका है उसका परिपालन हो रहा है । आपका शलाका में नहीं आया तो उसको आप दुबारा दे दें ।

(व्यवधान)

और कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 जनवरी, 1990 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई श्री देव कुमार यादव की सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री श्याम नारायन तिवारी, श्री देव कुमार यादव तथा श्री अमरमणि सदन के फ्लोर पर आ गए ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों पर चलूंगा मैं नियमों को छोड़कर चलने को तैयार नहीं हूं यह सदन बैठा है यह नियमों में परिवर्तन करे, मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग नियमों के विरुद्ध जाना चाहते हैं और उसमें मुझे भी शामिल करना चाहते हैं यह कैसे हो सकता है । यह सदन नियमों के तहत चलेगा ।

(श्री श्याम नारायन तिवारी, श्री देव कुमार यादव, श्री अमरमणि अपने अपने स्थान पर वापस चले गये)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

कल भी माननीय सदस्य इसमें मुझसे मिले थे मैंने कहा था कि मैं आपके इस मामले को दिखवा लूंगा । मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जो उन्होंने बातें रखी हैं मैं उनकी जांच करा लूंगा और किसी तरह से कोई अन्याय कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा ।

नेता, विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

समय देकर विस्तार से बातचीत कर लें यह मेरा कहना है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने कल भी बात की थी, वैसे यह जब चाहें आकर मुझसे बातचीत कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यहां पर है कि आप लोगों ने एक निर्णय किया, जैसे बहुत से सदस्य अपनी सूचनाएं देते हैं जैसे कि आज ही 41 सूचनायें प्राप्त हुई, पहले यह था कि सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी बात को लेकर सदन के अन्दर एक प्रभाव डालते थे और अपनी बात कहते थे इसमें यह परिपाटी डाली गई कि यह किसी के विवेक पर न छोड़ा जाए कि कौन कितने महत्व का है इसमें यह निर्णय हुआ कि इसमें शलाका सात अभ्यावेदन दे । वह जिन माननीय सदस्यों के अभ्यावेदन दे उन्हीं माननीय सदस्यों को समय दिया जाए और स्वीकार कराया जाए और इस पर शासन अपनी कार्यवाही करे । ऐसी परिपाटी अब हो गई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो सात माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हो गई हैं, तो 41 सदस्यों में से 34 सदस्य रह गये तो दो-तीन माननीय सदस्य ही क्यों वैल पर आए, क्यों नहीं 34 सदस्य आ गये, उनको भी अधिकार है, उन्होंने भी दिया है।

इस बारे में मैं विशेषकर नेताओं से आदर सहित निवेदन करूंगा कि जो भी आप निर्णय करें उसका पालन हो । यदि उसमें कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो इस सदन का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार परिवर्तन हो जायेगा । लेकिन जो आप निर्णय करें उस पर चलें ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे बात कर लें ।

[1 बज कर 20 मिनट]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उसके साथ साथ इस प्रदेश की 15 करोड़ जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिसने कि प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन करके, जन भावनाओं, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुये, इस प्रदेश में एक नयी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कामयाबी पूर्वक जीती । मान्यवर, प्रदेश की जनता पिछले कुशासन में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि चीजों से बुरी तरह से त्रस्त थी, मानवता कराह रही थी । दुनियां के किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में गरीबी की रेखा से नीचे रहने का उदाहरण नहीं होगा । देश और प्रदेश की 40 फीसदी जनता गरीबी की रेखा से नीचे रहकर कराह रही थी। प्रदेश की विकास की गति कम हो गयी, और प्रदेश में विकास योजनायें मृत प्रायः होती गयीं और हमारे यहां गरीबी बढ़ती गयी । इन सारी चीजों के प्रति जनता ने जनादेश करके एक नयी व्यवस्था परिवर्तन, एक नयी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया जिसके लिये मैं जनता के प्रति धन्यवाद अदा करना चाहूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में एक संक्षिप्त रूपरेखा होती है सरकार के भावी कार्यक्रमों की । बहुत से हमारे माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्णता का दर्शन करना चाहेंगे । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी केवल 5 सप्ताह हुए हैं इस सरकार को । 5 सप्ताह में हमारे पूरे भावी कार्यक्रमों जिनको हमारी सरकार करना चाहती है उनको सांकेतिक रूप में अभिभाषण में दर्शाया गया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता की सरकार जनता द्वारा बनी है और जनता के लिए काम करेगी । यह कल्याणकारी सरकार, जनहितकारी सरकार होगी । किसी व्यक्ति को इसमें सन्देह या सोच या प्रश्नचिह्न लगाने की आवश्यकता, मैं समझता हूं नहीं पड़ेगी ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं की ओर इशारा किया है कि हमारी प्राथमिकतायें क्या होंगी? हमारे मानवीय मूल्यों में जो पुरानी व्यवस्था के चलते गिरावट आयी है उसमें नयापन पैदा किया जाय और मानवीय मूल्यों को उन्नयन किया जाय और जनतांत्रिक मूल्यों में जो गिरावट आयी है उसको समाप्त किया जाय । यह देश और प्रदेश माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे ईमानदार, प्रधान मंत्री और माननीय मुलायम सिंह जैसे नौजवान कर्मठ, जुझारू मुख्य मंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा । हमारी प्राथमिकतायें होंगी कि गांवों के विकास में अधिक धन खर्च किया जाय । जैसा कि पहले जब जनता की सरकार बनी थी तो हमने नारा दिया था चलें गांव की ओर आज जनता ने पुनः जनादेश दिया है तो हमारी सरकार गांवों के विकास को प्राथमिकता देगी । प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने, शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने, स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जायगा । हम केवल आंकड़ों के शब्दजाल में नहीं उलझायेंगे बल्कि उपलब्धियां करके दिखायेंगे । हम चाहेंगे कि जो भी योजना बने उसका सही ढंग से कार्यान्वियन हो और जनता तक उसका लाभ पहुंचे । पिछली सरकार निरन्तर घोषणा करती रही कि 1990 तक हम प्राथमिक स्कूलों के भवन बना देंगे लेकिन आज 50 फीसदी से ज्यादा भवनहीन विद्यालय हैं । तो इस तरह की कपोल कल्पित घोषणायें हम नहीं करेंगे हम गांवों में प्राथमिक शिक्षा को सही रूप से पहुंचकर उसका स्तर ऊंचा उठाने का काम करेंगे । क्योंकि शिक्षा के उन्नयन का मतलब विद्यालय का भवन बना देना और अध्यापकों की नियुक्ति कर देना ही नहीं है, उसके लिए समुचित वातावरण बनाने की आवश्यकता है । इस सरकार की प्राथमिकता होगी कि ग्रामीण शिक्षा का समुचित विकास हो, प्रत्येक गांव को विद्यालय से सम्बद्ध किया जा सके और प्राथमिक शिक्षा के मामले में पूरा प्रदेश सेचुरेट किया जा सके । दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा की होगी । प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ मिल सके । अब दवाओं के बिक्री नहीं होने पायेगी और प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच सकेगा । अब डाक्टरों का फर्जी आंकड़े इकट्ठा करके पुरस्कृत होने का मौका नहीं मिलेगा और न फर्जी नसबन्दी के प्रमाण पत्र अब बिक्री का साधन बनेंगे । डाक्टर की प्रोन्नति योग्यता और जन सेवा के आधार पर होगी । नसबन्दी के फर्जी लक्ष्य इकट्ठा करना इस सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी । अगर भोर में हमारी गांव की महिलायें शौच के लिए न निकल जायं, तो सारे दिन मल को पेट में ढोती रहती हैं । यह विडम्बना है कि 40 साल देश को आजाद होने के बाद हुकूमत में बैठे लोगों ने ग्रामीण महिलाओं की इस दयनीय दशा पर ध्यान नहीं दिया ।

जनता दल की सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक गांव में शौचालयों की स्थापना की जायगी, जिससे कि प्रत्येक प्रदेश की ग्रामीण अबलाओं के संकटपूर्ण जीवन से छुटकारा दिलाया जा सके । हमारे मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेते हुए प्रदेश में वर्क कल्चर कार्य संस्कृति को जन्म देने का निर्णय लिया है, जिससे कि प्रदेश में काम करने का एक वातावरण बनेगा । भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी दण्डित होंगे तथा ईमानदार और कर्मठ अधिकारी जनसेवा में मनीषी पुरस्कृत होंगे । आज पूरे प्रदेश में नया वातावरण सृजित हो चुका है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कार्य पूरक रेजल्ट ओरियंटेड शैली प्रारम्भ किया है, उससे जो कार्यशील कर्मचारी होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायगा तथा जो अक्षम होंगे, उन्हें दण्डित किया जायगा । प्रदेश की विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जायगा । अब बीच में दलालों को किसी भी प्रकार से लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जायगा । सुरक्षा जैसे सौदों में पनपने वाले बड़े-बड़े दलाल अब बेनकाब होंगे तथा जनता सरकार में सार्वजनिक जीवन से दलाली का हमेशा-हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जायगा । आज हमारी सरकार के देखने में भले ही उतने खूबसूरत न हों उनका गाल उतना गुलाबी न हो, जितना कि हमारे सामने की ओर बैठे हुए पूर्व सरकार के मंत्री जी रहे हैं । लेकिन हमारे मंत्रियों में दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कुछ करने का भाव, संकल्प तथा सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने के प्रति जुझारूपन तथा प्रदेश के विकास के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है तथा जन कल्याण के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति है ।

जनता ने जो अटूट विश्वास इस सरकार को दिया है, पूरा विश्वास है कि यह सरकार उन जनभावनाओं का सही रूप से परिलक्षण करेगी तथा प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाने, प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प रहेगी । बीच कुर्सी पर बैठे हुए मंत्रियों को सादगी जीवन और ईमानदार चरित्र पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगा तथा प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा मिलेगी । इस सरकार का पहला प्रयास होगा कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त हो । आम जनता को सरकर की सुविधाओं का लाभ बिना किसी अधिभार के मिल सके । यह नमूना है कि 40 वर्ष आजादी के बाद आज भी तमाम एसे गांव हैं, जहां शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहो है । इस प्रकार से अन्य सुविधाओं का लाभ जनता तक नहीं जा सका है । जिस सरकार में पीने का पानी और खुली धूप भी उपलब्ध न हो, तो उस सरकर को उखाड़ फेंकना जनता का कर्तव्य था । इसीलिए जनता ने प्रदेश में नई व्यवस्था कायम की है । मुझे विश्वास है कि प्रदेश में अब धर्म के नाम पर भेद-भाव फैलाने वालों को कड़ा दण्ड दिया जायगा । प्रदेश में साम्प्रदायिक भावनाओं को पहल करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है । गत सरकार की तरह राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रदेश की साम्प्रदायिक सद्भावना को समाप्त नहीं होने दिया जायेगा जो साम्प्रदायिकता की आग भड़काकर अपने अपने स्वार्थों की रोटी सेकना चाहते हैं उन्हें बेनकाब किया जायेगा । प्रदेश के एक एक जन को इसमें विश्वास होगा यह सरकार प्रदेश में व्यापक परिवर्तन लायेगी । यह सरकार समाज के अन्दर लोगों में विश्वास पैदा करेंगी, प्रदेश के अल्पसंख्यकों में नया विश्वास पैदा करेंगी। पिछले प्रशासन ने पिछली सरकार ने जगह जगह दंगा कराया जिससे अल्पसंख्यकों के मन में एक भय व्याप्त हो गया था । मुझे विश्वास है कि इस सरकार के चलते कोई दंगा

नहीं होगा। यह सरकार एक नये विश्वास के साथ प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान देगी ।

मान्यवर, जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस सरकार का संकल्प है अभी तक 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की बात थी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 60 साल के ऊपर के लोगों को जिनकी जीविका की कोई सहारा नहीं है उनको 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये माहवार प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी । जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 100 रुपये माहवार पेंशन की व्यवस्था की जायेगी । हमारी माताएं बहनें जो विधवा हो गयी हैं उनको हमारी सरकार 100 रुपये प्रतिमाह देने का काम करेगी । इसके लिए पूर्व में निर्णय ले लिया गया है और फरवरी से यह व्यवस्था लागू हो जायेगी । मान्यवर, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उनके समुचित विकास के लिए ठोस कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं जिससे कि उनको जीविकोपार्जन और स्वावलम्बन के समुचित साधन मुहैया हो सकें । जो सैनिक अल्पायु में सेवानिवृत्त हो गये हैं उनके स्वावलम्बन, उनके नगरीय जीवन में रोजगार मुहैया कराये जायेंगे । उनको बैंकों से कुटीर उद्योगों के लिए ऋण दिलाने के लिए यह सरकार कृत संकल्प है और इसके लिए योजना तैयार कर रही है .

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी और युगान्तकारी परिवर्तन करने जा रही है । प्रदेश के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा गांवों के विकास पर खर्च होगा जिससे उसका सारा लाभ गांव के लोगों को मिलेगा । गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया जायेगा । मान्यवर, पूर्व सरकार मात्र घोषणाएं करती थी जैसा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गयी थी कि 1500 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा प्रत्येक गांव में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी जायेगी परन्तु यह सारी घोषणाएं मात्र कागज पर ही रहीं उनका समुचित कार्यान्वियन नहीं हो सका । मान्यवर, 1500 का निर्णय था लेकिन 4,000 तक की आबादी के गांव पड़े हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं यह सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति पूरी तरह से सजग है जो भी योजनाएं बनेंगी उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा । नियोजन में स्थानीय समस्याओं के समाधान का समुचित समावेश होगा । हमारी सरकार स्थानीय नियोजन पर बल देगी जिससे कि सुदूर ग्रामीण अंचलों की जिनका अनुभव वातानुकूलित कक्षों में बैठे अधिकारी नहीं कर सकते थे स्थानीय नियोजन से हम उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का काम करेंगे । मान्यवर, इस सरकार ने जो पहला निर्णय लिया है कि 10 हजार की सीमा तक जो समाज के कमजोर वर्ग के गरीब काश्तकार और खेतिहर मजदूर हैं, उनके ऋण को माफ करने का काम किया है । यह ऐतिहासिक निर्णय है । मान्यवर, हम लोगों ने अपने को उन गरीब कमजोर लोगों से अपने को जोड़ा है । उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वे उस कर्ज को अदा नहीं कर सकते और उनको पुलिस के कर्मचारी तहसील में ले जाकर जानवरों की तरह से बन्द कर देते हैं । उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है और केन्द्रीय सरकार से यह सरकार निरन्तर सम्पर्क बनाये है, जैसे ही नीति तय हो जायेगी, हम इसको लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसको लागू

करने का हमारी सरकार का निर्णय होगा । हमारी सरकार प्रदेश के सार्वजनिक निगमों के बढ़ते हुए घाटे पर विशेष चिन्ता व्यक्त करती है ।

आज तक यह हुआ है कि जब पूर्व सत्ता दल के लोग चुनाव नहीं जीत पाए तो उनको मंत्री की सुविधा देने के लिये सार्वजनिक निगमों को उनका चारागाह बना दिया गया । 10–15 हजार का मकान, गाड़ी, एअर कंडीशनर की सुविधा दे दी गयी और वे हवाई जहाज से दौरे करने लगे । इस कारण से प्रदेश के सारे सार्वजनिक निगम घाटे पर चल रहे हैं । इन निगमों पर 6500 करोड़ रुपये का विनियोजन है जिस पर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, जिस पर कि 10 परसेंट डेविडेंट मिलना चाहिए था । पहले ही दिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि इन सार्वजनिक निगमों को जनता पर बोझ नहीं बनने दिया जायेगा और अगर इसकी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं होगा तो सरकार कठोर निर्णय लेगी ।

मैं विश्वास करता हूं कि इन निगमों की कार्यशैली में सुधार होगा । अब पहले की तरह विलासितापूर्ण जीवन नहीं चलने दिया जायगा । इस सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने और सादगीपूर्ण जीवन यापन करने पर बल दिया है । मैं समझता हूं कि यह एक सराहनीय कदम है । आज हमारे मंत्री बेदाग चरित्र वाले हैं और विवादों से परे हैं । ये सारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करेंगे । जब मुख्य मंत्री और मंत्री ईमानदार होंगे तो और अधिकारी भी उनके जीवन की कार्यशैली से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे । इसीलिए आज भ्रष्ट अधिकारी भयाक्रान्त हैं ।

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में बात न करें । बाजपेयी जी अपने भाषण को जारी रखें ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सार्वजनिक जीवन में पवित्रता को बनाए रखने और सार्वजनिक जीवन को सादगीपूर्ण जीवन बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे (इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता चौधरी शंकर सिंह पीठासीन हुए) निश्चित रूप से दैनिक खर्चों में कटौती होगी और सरकार मितव्ययिता के रास्ते पर चलेगी, जिससे कि तमाम फिजूल-खर्ची जो वैभवपूर्ण जीवन पर व्यय करके की जाती थी, नहीं हो सकेगी और सरकार ने निर्णय लिया है कि सादगीपूर्ण जीवन यापन करेंगे। इससे सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। मान्यवर, जहां निरंतर यह कहा गया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रगति हुई है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ी ही है। आज 44 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। राष्ट्रीय पैमाने पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन मान्यवर, इसी तरह से

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी 20 मिनट हो चुके हैं अब कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अशोक बाजपेयी–

अभी तो मान्यवर भूमिका चली है, थोड़ा बोल लेने दें। उस सरकार के जमाने में विद्युत उत्पादन 101 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से जब तक उपयोग 117 किलोवाट घटा । पंजाब में उत्पादन 581 किलोवाट उपयोग 423 किलोवाट । दूसरे

कुछ प्रदेशों में उत्पादन 335 किलोवाट और उत्पादन 340 किलोवाट । हमारा उत्पादन इतना कम रहा है तो कैसे विद्युत के मामले में स्वावलम्बी हो सकते हैं ? साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां 36 फीसदी लोग साक्षर हैं उत्तर प्रदेश में 27.16 फीसदी लोग साक्षर हैं । यह शिक्षा के विकास की दर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, समय का ध्यान रखें ।

श्री अशोक वाजपेयी–

गेहूं उत्पादन के मामले में जहां पंजाब 27.1 क्विंटल प्रति हे0, हरियाणा 23 क्विंटल प्रति हे0 वहीं उत्तर प्रदेश में 16 क्विंटल प्रति हे0 पैदा होता है। यह कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का नतीजा रहा है । चावल पंजाब 29.12 कि0 पर हे0, हरियाणा 26.90 कि0 पर हे0 और उत्तर प्रदेश 12 कि0 पर हे0 रहा है। यह कृषि जगत में सफलता का इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास का जहां तक सवाल है, पूर्व मुख्य मंत्री जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, लगातार कहते रहे हैं कि हम अपना पूंजी निवेश बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके समय की स्थिति को देखें उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश की जो बात है पूरी योजना में पूंजी का निवेश 1312 रु0 है प्रति व्यक्ति जबकि हरियाणा में 2600 रु0 और देश का औसत है 1622 रु0 इस तरह से राष्ट्रीय औसत से भी कम पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है तो कैसे हमारा विकास होता ? इसमें जो सारी विडम्बनायें रही हैं उसको दूर करने के लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश को धन मिल सके, उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाओं के लिए जनसंख्या के आधार पर आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए यह सरकार संकल्पशील होगी। नये योजना आयोग का गठन हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह सरकार प्रयास करेगी कि प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद् से कम से कम आबादी के आधार पर प्रदेश को भली प्रकार लाभांश मिल सके इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी एसा मेरा विश्वास है।

श्री अधिष्ठाता–

अब कितना समय और लेंगे बाजपेयी जी?

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें।

मान्यवर, इससे पहले चाहे प्रदेश सरकार रही हो या केन्द्र सरकार रही हो चारवाक की एक उक्ति मुझे याद आ रही है,

"ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत"

कर्ज लेकर विलासिता करो।

यह पैसा कर्ज लेकर घी पीने वाला काम किया है। जब केन्द्रीय सरकार ने गद्दी छोड़ी है तो 90 हजार करोड़ रु0 का कर्जा छोड़ा है, जो हिन्दुस्तान के ऊपर विदेश का कर्ज था। मान्यवर, विश्व बैंक ने कहा है कि इतना कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज का सही उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। विश्व बैंक का कहना है कि 27 हजार करोड़ रु0 का विश्व बैंक से कर्ज लिया गया, उसका उपयोग भी नहीं कर पाये हैं। यानि

इतनी बड़ी मात्रा में किसी भी बड़े देश पर कर्ज नहीं होगा। जो हमारे यहां की स्थिति रही है कर्ज लेकर पैसे का दुरुपयोग करना विलासिता करना, पिछली सरकार को शोभा देता रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री ने अब कहा है कि भारत मजबूरी में ही आवश्यकता पर ही कर्ज लेगा। वैसे कर्ज किसी से नहीं लेगा। जब तक जरूरत नहीं होगी भारत ऋण नहीं लेगा और सम्मानजनक शर्तों पर ही हम ऋण लेंगे। लेकिन, दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार तो राष्ट्र के स्वाभिमान को बेचकर कर्ज लेने का काम करती रही है। कभी कभी तो उस सरकार ने असम्मानजनक शर्तों पर भी ऋण लेना स्वीकार कर लिया था। अगर उन शर्तों का भारतवासियों को पता चलता है तो वे हैरत में आ जाते। आज हमारा स्वावलम्बी बनने की दिशा में प्रयास हो रहा है।

मान्यवर आज जो जनतांत्रिक संस्थायें हैं उनको मजबूत बनाने का प्रयास है अभी जो अध्यादेश लाकर, जो अधिनियम बनाने का काम लिया जा रहा है। हम जिला परिषदों के स्वरूप को सुधारने का प्रयास करेंगे, इसी तरह नगरपालिकाओं को प्रभावी बनाने का काम किया जायगा और सहकारी समितियों का चुनाव कराके, उसमें चुने हुए लोगों को सही ढंग से सही व्यवस्था में भागीदार बनाने का काम किया जायगा, यह सब बातें इस सरकार की प्राथमिकतायें होंगी, जिससे जनता को इन कार्यों में भागीदार बनने का अवसर मिले।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी आपका आधा घण्टा हो गया है, आपके बाद माननीय त्रिपाठी जी को इसका समर्थन भी करना है और माननीय नेता विरोधी दल को भी आज ही अपना भाषण समाप्त करना है। आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इसके साथ ही विश्व बैंक के उपाध्यक्ष ने बताया है कि इस समय 90 हजार करोड़ का कर्जा है और जिसे स्वीकृत हो जाने के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही स्थिति मान्यवर, इस प्रदेश की रही है। पिछली सरकार के लोग निरन्तर इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं कि अधिक से अधिक पैसा मिले लेकिन उस पैसे का सही ढंग से उपयोग हो, वह पैसा विकास के कार्यों में, योजनाओं में लग सके, इस दिशा में कभी इनकी सरकार में प्रभावकारी कार्य नहीं हुआ। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि इस एक-एक पैसे का सार्वजनिक जीवन में उपयोग किया जाय, जिससे इस प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। मान्यवर, जबकि अभी इस सरकार को केवल 5 सप्ताह ही हुए हैं और 5 सप्ताह में ही सरकार की इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, जो इस बात की परिचायक है कि यह सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ युगान्तकारी परिवर्तन करना चाहती है।

आज प्रदेश के करोड़ों नौजवान जो बेकार हैं, उनको यह सरकार रोजगार से जोड़ना चाहती है। कल ही इस सरकार ने फैसला किया है कि भारी उद्योगों के स्थान पर 5 लाख छोटे उद्योग लगाये जायेंगे। यह घोषणा गांधी जी के उन सपनों को पूरा करती है, जो वह देखा करते थे। उनका कहना था कि जहां करोड़ों हाथ बेकार हैं, वहां छोटे-छोटे उद्योग लगाकर हाथों को काम मुहैया कराया जाना चाहिए, वही हमारी सरकार कर रही है और यह भी निर्णय किया गया है कि जब कभी बड़े उद्योग

आवश्यक होंगे, तभी उनको लगाया जायेगा । मान्यवर, इस सरकार का यह भी कहना है कि अब खेती की सीमाओं को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि इससे प्रति व्यक्ति खेती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार इससे किसानों के आर्थिक विकास में दूसरे नये रास्ते खुलेंगे। कुटीर उद्योगों के लगाने से गांव के बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को काम मिल सकेगा, यह सब इस सरकार की प्राथमिकतायें हैं। यह सरकार निश्चित रूप से खेतिहर मजदूरों को, बुनकरों को और छोटे काश्तकारों को उनके काम का सही मूल्य दिलाने, तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए सही मायने में पक्षधर होगी । हमारी सरकार इस प्रदेश के बुनकरों का जीवन-यापन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये ठोस कार्यक्रम बनाने का काम कर रही है।

इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का भी इस सरकार का संकल्प है क्योंकि नये विश्वविद्यालय तो खुलते हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह सरकार ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेगी, जिससे प्रदेश का शैक्षिक जगत उन्नति करे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास और उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य भी इस सरकार ने रखा है, क्योंकि लगातार औद्योगिक विकास में यह प्रदेश पीछे रहा है। पिछली सरकार के समय में जहां बहुत से छोटे-छोटे जिलों जैसे अमेठी को सुल्तानपुर को और हल्द्वानी आदि नगरों को अत्यधिक विकसित करने का प्रयास किया गया, वहीं बहुत से बड़े नगर बिल्कुल उद्योग शून्य रह गये। हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों की इस गैरबराबरी को दूर करने का प्रयास करेगी और सभी स्थानों का बराबर विकास करेगी। इसी प्रकार नोएडा, गाजियाबाद की भांति ही प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी औद्योगिक विकास का केन्द्र स्थापित किया जाय, ऐसा भी इस सरकार का प्रयास होगा।

(मुख्यमंत्री के पास माननीय सदस्यों के आकर बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुख्य मंत्री जी, बीच में व्यवधान पैदा हो रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, जो व्यवधान डालते हैं, उनको आप रोकें, यह तो आपका काम है, मैंने तो पहले भी इशारा किया है ।

श्री अशोक बाजपेयी–

एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में जो बन्जर भूमि है वह ऊसर होती जा रही है। वनों के कटान से हुई है, तमाम नेचुरल कैलेमिटीज से हुई हैं। हमारी सरकार का यह फैसला है कि ऊसर भूमि को तोड़कर इसे उपजाऊ बनाया जायेगा, जिससे तमाम लोगों को जीविका उपलब्ध हो सके और खाद्यान्न के मामले में हमारा प्रदेश सुदृढ़ हो सके। इसके लिए एक भूमि सेना बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बाजपेयी जी आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना भाषण आप समाप्त कर दें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ व निर्मल हो। जिस सरकार पर सारे प्रदेश की जनता को विश्वास है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सराहनीय कदम भी उठाया है कि लोकायुक्त की सीमा के अन्दर मुख्य मंत्री को भी शामिल कर दिया गया है। यह कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि जिसे पिछली सरकार नहीं कर सकती थी? क्योंकि स्वयं उन्हें अपनी ईमानदारी पर सन्देह रहा होगा। आज लोकायुक्त की सीमा के अन्दर मुख्य मंत्री को भी शामिल करने का यह ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है। जब-जब गैर कांग्रेसी सरकार प्रदेश में आई है, तब-तब ऐसे निर्णय लिये गये हैं । जब संविद सरकार बनी थी तब पब्लिक मैन इन्क्वायरी का गठन हुआ था और जब जनता सरकार आई तो लोकायुक्त की स्थापना हुई थी और आज पुनः लोकायुक्त की परिधि के अन्तर्गत मुख्य मंत्री को शामिल किया गया है। हमारी सरकार एक स्वच्छ व चुस्त प्रशासन देना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महादय के अभिभाषण के प्रति पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्री अशोक बाजपेयी जी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका हृदय से समर्थन कर रहा हूं। समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि यह एक संक्रामण व परिवर्तन अवधि है। एक नई सरकार आई है और एक पुरानी सरकार गई है और सौभाग्य यह है कि आज इस प्रदेश के दो बड़े नेता आमने-सामने बैठे हैं, केवल पक्ष परिवर्तन हुआ है। सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय नेता विरोधी दल के अक्तूबर के उन निर्णयों की आज भी इस पूरे सदन में गुहार मची थी कि बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। माननीय नेता विरोधी दल के साथ कुछ लोग बैठे हैं और उनको मन में गाली दे रहे हैं कि उनके कारण पक्ष बदल के उस साइड में बैठना पड़ा । इसका दूसरा कारण यह था कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और सड़ा-गला लोकतंत्र ही कांग्रेस का आधार हो गया था, जिसमें उसने जीवन की सांस लेने का प्रयास किया था और उसी के खिलाफ एक जेहाद के रूप में जनता दल का स्वरूप उभरा था। अपने मित्र श्री भोलानाथ जी को देखते हुए मैं यह कह रहा हूं कि हम दोनों व्यक्ति उस वक्त जब कांग्रेस पाप कर रही थी, इस सदन में नहीं थे, इसलिए आप भी गुनहगार कम हैं और मैं तो हूं ही नहीं। दिल थाम कर बैठिये कोई परेशानी की बात नहीं है।

(श्री भोलानाथ के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो समय व्यवधान में माननीय सदस्य गुजारें, उसका ध्यान रखें।

मैं निवेदन कर रहा था यह परिवर्तित काल आया है। कांग्रेस के शासन का अंत हुआ, और जनता दल के शासन का उदय जब कांग्रेस दल के शासन का सूरज डूब रहा

था और जनता दल का सूरज उदय हो रहा था तो एक गाना बज रहा था कि कांग्रेस को वोट दो, यही शासन चला सकती है कह रहे थे कि विरोधी दल में फूट पड़ जायगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इधर से भी एक नारा दिया जा रहा था कि नाम मुलायम सिंह है काम बड़ा फौलादी। उसी के तहत जनता ने हमें अपना यह विश्वास दिया है।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

अगर मेरी बात उन्हें कटु लगती हो तो उसे कटु सत्य मानकर ही स्वीकार करेंगे और इससे सबक लेंगे। निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान शासन और सरकार ने दिल्ली से रिमोट कण्ट्रोल की प्रणाली को तिरस्कृत किया है। जो पुरानी कांग्रेस सरकार की संस्कृति थी, उसे जनता दल के नेतृत्व ने उस रिमोट कण्ट्रोल के रूप को स्वीकारा नहीं है। पहली बार प्रजातंत्र में 8 मुख्यमंत्री पूरे देश में बदले गये लेकिन कहीं भी चुनाव की प्रणाली अपनाने की हिम्मत नहीं हुई लेकिन हमने प्रजातांत्रिक स्वरूप से नेता, सदन को चुना है। मैं इसीलिए इसका समर्थन करता हूं। पूरी लड़ाई मर्यादा की लड़ाई के रूप में हुई थी पहले 1987 में कहा जा रहा था कि यह सत्ता और संत का संग्राम है। एक तरफ माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरे देश में अलख जगा रहे थे कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी स्वरूप को उखाड़ फेंकों और कांग्रेस के लोग खैरात बांट रहे थे। इस समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना का ऐसा स्वरूप दिया कि शायद उसी से हम चुनावी वैतरिणी को पार कर लेंगे लेकिन तरह-तरह के प्रलोभन प्रधानों को देने के बाद भी चुनावी उस वैतरिणी को पार नहीं कर सके।

हमको, इस शासन को विरासत में मिला क्या है ? विरासत में खाली खजाना मिला है और भ्रष्ट तंत्र मिला है जिसमें अधिकारियों के माध्यम से सरकार और मिनिस्टरों की आज्ञा बनती थी जिसमें निगम और निकाय ऐसे नाम हैं कि कांग्रेस में जब कोई रुष्ट हो जाता था तो उसे निगम और निकाय के माध्यम से सुख-सुविधाएं देने की घोषणायें की जाती थीं। एक रिपोर्ट तैयार की थी "उत्तर प्रदेश कराधान समीक्षा समिति का प्रतिवेदन"। माननीय नेता, विरोधी दल विद्वान हैं, उनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान है, क्या कभी इसे ध्यान से पढ़ा गया ? उन निगमों और निकायों की दशा को सुधारने का प्रयास किया गया ? एक माननीय मंत्री जी थे उनका विभाग था ग्रामीण विकास, संयोग से उन्हीं से मुझे राजनैतिक युद्ध करना पड़ा, उसका जो नतीजा निकला उसके परिणामस्वरूप आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। उन्होंने अपने विभाग के निगम का एक शास्वत अध्यक्ष बना रखा था, अपने पी0 आर0 ओ0 को उसमें नियुक्त करा दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस तरफ इशारा भी कर दें क्योंकि वह रिमोट कण्ट्रोल से संचालित होते थे। उसका स्वरूप अब बदला है। इस समय निगमों पर भाषण नहीं दे पाऊंगा। नेता, सदन को आगाह भी करना चाहूंगा कि प्रदेश के निगमों की कड़ी समीक्षा कर उसमें हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करावें। नेता सदन, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर प्रदेश के करोड़ों लोगों की आशायें

लगी हुई हैं । आपको लोग एक ऐसे मसीहा के रूप में देख रहे हैं जो कि मजबूती के साथ अपने संकल्पों पर अडिग रहेंगे और जिन संकल्पों और नीतियों का महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रतिपादन किया है उसे पूरा करेंगे उन्होंने अपने अभिभाषण का 29 पैराग्राफों में लिखा है । इस 35–40 दिन की सरकार का स्वरूप इससे ज्यादा और क्या सामने आ सकता है ? पैरा एक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि "कमरतोड़ मंहगाई, गरीबी, बेकारी, असमानता, असुरक्षा की भावना, भ्रष्टाचार मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन जैसी समस्याओं से जनता त्रस्त थी ।"

मान्यवर, यह सरासर सत्य है, इसमें सत्य से परे कोई बात नहीं है । पहले शासन का कोई काम या फाईल बिना रुपये के नहीं चलती थी । माननीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार की कहानी अखबारों में सुर्ख हुई हैं, उसको यहा पर बतलाना इस माननीय सदन का समय बरबाद करना होगा । पिछली व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था खराब थी । शासन तंत्र की मशीन सड़ी-गली प्रजातंत्र का स्वरूप होते हुए भी भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई थी । आज जब कि सरकारी कोष खाली है तब भी बिजली 14 घण्टे उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है । सरकार इसको प्राथमिकता दे रही है क्योंकि ऊर्जा ही ऐसा स्रोत है जिससे विकास में चलने वाली गाड़ी द्रुत गति से चल सकती है । विद्युत परिषद् दो हजार दो सौ सत्तान्वे करोड़ के घाटे पर चल रहा है । पिछली सरकार में आज के मा0 नेता विरोधी दल को काम सम्भाले हुए थे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया भ्रष्टाचार रुके और यदि देते भी तो शायद दिल्ली से उनको रोक दिया जाता होगा क्योंकि मुझे उनकी बुद्धि पर कोई सन्देह नहीं है हां, उनके साहस पर अवश्य सन्देह है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि तीन हजार नौ सौ अस्सी करोड़ इसमें लगे हुए हैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी बदहाली की ओर ध्यान देना होगा । एक कविता के माध्यम से मैं इसे कहना चाहता हूं कि :–

वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल न हों ।
नाविक की धैर्य कुशलता क्या,
जब धारायें प्रतिकूल न हों

मैं कह रहा था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आज विकास की गंगा गरीब के आंगन तक पहुंचती होगी क्योंकि आज सब आपकी ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं । एक और रूप सामने आया है पुरानी सरकार का, कि आजकल कभी यदि आरक्षण का सवाल आ जाय तो भू0 पू0 मंत्रिगण ऐसी प्रसन्नता से देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने समय का भी ध्यान करना चाहिये । वर्तमान जनता दल आज भी अपने घोषणा-पत्र को पूरा करने के लिये अडिग है । हमने जातीय आधार पर आरक्षण को माना है और हम दिल और दिमाग से चाहते हैं और दो बातों पर और विचार करना चाहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण हो या जो जाति के नाम पर सुख सुविधा भोग चुके हैं और आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, उनका आरक्षण हो या नहीं । इनकम टैक्स तक पहुंचे आरक्षित व्यक्ति के परिवार को आगे आरक्षण का लाभ न दें क्योंकि गरीबी के कारण उस जाति विशेष में सभी समान नहीं रह जाते, ऐसा करने से गरीब तक आर-

क्षण का लाभ पहुंच सकेगा और भी माननीय सदस्यों ने अपनी बातों के दौरान इस बात पर इशारा किया है कि इस देश में प्रजातंत्र के इस नये रूप को नकारा नहीं जा सकता है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया है उनके विचारों के प्रति मैं समर्थन करता हूं और उनकी इस बात का स्वागत भी करता हूं कि पूरानी सरकार आज कल हरिजनों को बहुत गाली दे रही है क्यों उसने हरिजनों के वोट की उम्मीद लगा रखी थी ।

माननीय तिवारी जी यहां पर विराजमान हैं, उन्हें याद होगा कि उनके कार्य-काल में क्रमश: 88 में, वर्ष 1981 व 1985 में 267, 235, 270 तथा 223 हत्याओं के मामले हुए हैं और आगजनी के 317 । इस प्रकार से कुल 1988, 4755 वारदातें हरिजनों के साथ समय-समय पर हुयी हैं । इस पर माननीय तिवारी जी क्या करते थे कि हरिजनों में से कुछ मंत्रियों को बना देते थे और इससे वह हरिजनों के वोट ले लिया करते थे । फिर कुछ दिनों बाद जनता ने इसके इस स्वरूप को समझा और इस स्वरूप की निन्दा की । मैं समझता हूं कि तिवारी जी शायद इस भूल को अभी भूले न होंगे । साथ ही मैं मान्यवर एक निवेदन और करना चाहता हूं जैसा कि संसाधनों की कमी है, जिसको देखते हुए कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहते हुए भी नहीं दे पा रहा हूं फिर भी निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स के बारे में विचार कर उसके स्वरूप को बदलें (एग्रीमेंट फार सेल) पर विचार करते हुए इन नियमों में पुन-र्निरीक्षण करके कर रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लंग्जरी सामानों पर कर के स्वरूप को बढ़ाया जाए । साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा वह यह कि आबकारी पर कर बढ़ाने पर विचार करें, इससे भी बड़े लोग ही इफेक्टेड होंगे और गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होगी । तकलीफ अगर होगी तो विपक्ष के लोगों को ही होगी ।

साथ ही मान्यवर, दो मिनट में एक बात और कहना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात को कृपया एक मिनट में अब समाप्त करें । बहुत समय हो गया आपका ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, एक संकल्प और आपको लाना होगा जनता की सेवा का ताकि पांच सालों के बाद जब हम फिर जनता के आम दरबार में जाएं तो उनसे यह कह सकें कि इस बार हमने आपका जो विश्वास पाया था उस विश्वास से प्रदेश की शक्ति को और बढ़ाया है। साथ ही मान्यवर जल्दी जल्दी में एक बात और कहना चाहूंगा कि साम्प्र-दायिकता के बारे में यह साम्प्रदायिकता पिछली सरकार की देन। इससे देश व प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, उसे भाई चारा बिगड़ा है (घोर शोर)

श्री भोला नाथ–

1982 में, मुरादाबाद में, जब आप मंत्री थे तो दंगा हुआ था, वह कैसे हो गया था ? इसकी जानकारी आप सदन को देंगे ?

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

त्रिपाठी जी आपका समय अब समाप्त हो गया। कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, साम्प्रदायिकता पर अब यह कुछ सुनना नहीं चाहते हैं जो इन्हीं की देन है, इस मसले को मान्यवर यों हीं छोड़ा नहीं जा सकता है, इस मामले को आपको हल करना है। इसमें हिन्दू और मुसलमान का मामला नहीं है। इसी पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि "न हिन्दू मरा है, न मुसलमान मरा है। एक शैतान ने मारा है इंसान मरा है।" इसलिए मेरा एक निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो और इन्हें आपस में जोड़ा जा सके इसलिए इस महत्वपूर्ण मामले पर हमारी सरकार अवश्य विचार करेगी। अब लाशों का बंटवारा न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन करता हूं।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य पिहानी-हरदोई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ देने की संशोधन करता हूं, "किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि–

1–नई सरकार किस मौलिक विचारधारा से प्रेरित होकर 'सम्पूर्ण व्यवस्था' में कैसे "परिवर्तन का संस्कार" किस प्रकार कब तक जगायेगी तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए "सम्पूर्ण क्रान्ति" की क्या रूप रेखा होगी ?

2–पिछली सरकार की सातवीं योजना की उपलब्धियों तथा अनुभव को देखते हुए आठवीं योजना के कौन से उद्देश्य निर्धारित होंगे ? जिन्हें पिछले शासन काल में निर्धारित किया गया ।

3–अभिभाषण में घोषित अधिकांश कार्यक्रम पिछले कांग्रेस शासन काल में सफलतापूर्वक परिचालित हुए हैं, तथा उन्हें जारी रखा जायेगा।

4–अल्प संख्यकों में सुरक्षा की भावना जागृत करने, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की मुख्य धारा में बिना किसी भेदभाव के जोड़ने के लिए क्या नये राष्ट्रीय उपाय होंगे ?

5–10,000 रुपये से कम के ऋणों में जनता को राहत देने के लिए अल्प कालीन व दीर्घकालीन ऋण नीति क्या होगी ?

6–बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार किस कार्यक्रम के तहत दिलाया जायेगा ?

7–पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की क्या रणनीति होगी ?

8–ग्राम सभाओं, विकास खण्डों, जिला परिषदों, महानगर पालिकाओं नगर पालिकाओं, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया जैसी ग्रामीण व नगरीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इकाइयों के बुनियादी शक्ति देने व तथा उन्हें एथानाम विकास योजना के नियोजन व कार्यान्वयन की यथोचित शक्ति देने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे शक्तिशाली बनाया जायेगा ?

9—कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति में क्या सुधार लाए जायेंगे तथा राजनीतिक विरोधी दलों के सदस्यों की सुरक्षा तथा सम्मान बनाए रखने का आश्वासन तथा निष्पक्ष न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित किया जायेगा ?

10—राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक सेवा (पब्लिक सेक्टर) के कर्मचारियों एवं अध्यापक वर्ग के लिए समता समिति की रिपोर्ट पूर्ण रूपेण लागू करने हेतु सभी विसंगतियों को दूर किया जायेगा।

11—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के कौन से नए कदम उठाये जायेंगे?

12—छात्रों, युवकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दस्तकारों एवं बुनकरों के लिए कौन से नए कार्यक्रम अपनाये जायेंगे?

13—प्रदेश में सिंचाई व बिजली के भविष्यगत विकास के लिए विशालतम टेहरी प्रोजेक्ट के कार्य को रोकने के आदेश निरस्त किए जायेंगे व वांछित पर्यावरणीय तथा सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करते हुए इस प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण किया जायेगा एवं बिजली व सिंचाई की सभी वर्तमान में चालू योजनाओं को समय से पूरा किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन भी उपस्थित किये हुए माने जायेंगे।

(शेष संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 105 पर ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं इस संशोधन पर कुछ अनुरोध करूं, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस सदन के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को हार्दिकतम बधाई दूं उनके चुने जाने के लिए और नई सरकार को भी, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी औपचारिक रूप से बधाई दूं जो नेता विरोधी दल का औपचारिक कर्तव्य है। श्रीमन् यहां परम्परायें होती हैं, जो हमें निभानी चाहिए। चुनाव हो चुका है, जनादेश शिरोधार्य है। इसके लिए कड़वाहट और कड़ुवापन होना ठीक नहीं। अब तो हमें शान्ति के साथ और बिना किसी दुर्भावना के अपने कार्य में लग जाना चाहिए।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

मुझे बड़ा दुःख हुआ कि इस भाषण में कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन आदि समस्याओं का जहां उल्लेख हो चुका, आज भी उसको दुहराया गया। मैं माननीय सदस्य पिहानी को बधाई देता हूं कि उन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सम्मानित सदस्य, प्रतापपुर, इलाहाबाद जिन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन करने की कोशिश की, उन्हें भी बधाई देता हूं। उन्हें सुनकर मुझे दुःख हुआ। अब कड़ुवाहट को भूल जाइये। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो मैंने इस सदन में सन्

52 से सुना है। उससे पहले भी सुना है और आज भी सुन रहा हूं। यह कहानी कब खत्म होगी, मैं नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई सरकार बदल जाने पर भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा। कोई जादू किसी के पास नहीं है . . . . (व्यवधान)। कोई जादू किसी के पास नहीं है। मैं तो चौथी बार विरोधी दल का नेता भी हुआ हूं और कई बार मैंने भ्रष्टाचार की बातें सुनी हैं, बड़े-बड़े वायदे सुने हैं।

मैं सरकार का अकिंचन सिपाही भी रहा हूं। मैंने देखा है। बड़ी कठिनाई होती है। प्रजातांत्रिक पृष्ठभूमि में कई कठिनाइयां आती हैं। अधिनायकवादी शासन में पूर्वी योरोप में कई कठिनाइयां आती हैं। जहां हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार कभी आ ही नहीं सकता, वहां पर भी हमने देखा है। तो बार-बार इसके बारे में कहना, एक आध बार कह लिया, ठीक है। अगर भ्रष्टाचार है तो हम सबने मिलकर समय-समय पर उसके लिए संस्थान बनाये हैं, लोकायुक्त हैं, आज भी है। मंत्रीगण की उसमें शिकायत हो सकती है। हमारा विजिलेन्स है, सतर्कता संस्थान है, न्यायालय है, कानून है। उसका स्वरूप उपलब्ध है। सबसे पहले मेरा विनम्रतापूर्वक परामर्श इस नई सरकार से यह है कि अगर वह विकास के वातावरण को बनाना चाहती है तो बजाय इसके कि वह आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर करे, जन समाज के कार्य में जुट जाय और इस आरोप और प्रत्यारोप की होड़ा-होड़ी में समय निकल गया तो सारा समय इसी में चला जायेगा. . . .

(व्यवधान)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

जैसा कि आजकल आपकी पार्टी में है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, जिस समय धन्यवाद का प्रस्ताव हो रहा था, मैंने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनीं। मैं समझता हूं कि यहां पर जो विधान मंडलीय परम्परा रही है उसका अनुपालन माननीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे क्योंकि वे नये सदस्य नहीं हैं। वह शायद जानते हैं जब कभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल बोलते हैं तो परम्परा रही है कि मंत्री उसमें स्वयं टोका टोकी नहीं करते

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी के भाषण से आनन्द ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित–

इस तरह से आनन्द लेने की बात आपके माध्यम से कहां से आ गयी?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दीक्षित जी, वह माननीय नेता विरोधी दल के भाषण का आनन्द लेना चाहते हैं मैंने कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मुझे उनके आनन्द लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहूंगा कि वह परमानन्द की प्राप्ति करें। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था किसी प्रकार की महंगाई की बात हो, महंगाई की बात सुनते सुनते और कहते कहते 40 साल हो गये हर जगह यह है यहां भी कही गयी है आंध्, कर्नाटक आदि सभी जगह कही गयी है। महंगाई हुई है, इनफ्लेशन हुआ है, मुद्रास्फीति ही महंगाई है । अगर प्रदेश में सहयोग , सामंजस्य के आधार पर कार्य होता है जैसा इसमें कहा गया है तो फिर हमें किसी प्रकार के व्यक्तिगत आरोप जो आमतौर पर आक्षेप लगाये जाते हैं जो निराधार नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई है तो उन्हें उचित फोरम पर देना चाहिए जो इनक्वायरी करे। एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक निशाना जो बनाते हैं वह गलत है जो इस तरह की बात करते हैं उससे आम जनता समझती है कि सभी राजनीतिज्ञ ऐसे ही हैं इससे प्रजातंत्र में उनकी आस्था कम होती है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा बात कही वह स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये। तो एक जनरल रूप में बात करना कोई उचित बात नहीं है। खैर आपको अधिकार है। केन्द्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकेत था लेकिन इस तरह से स्पष्ट उल्लेख नहीं था, केन्द्र का अभिभाषण मेरे पास मौजूद है उसमें कुछ संयत भाषा का उपयोग हुआ है लेकिन यहां शुरू में कुछ एक बातों को देख कर मुझे दुख हुआ।

माननीय राज्यपाल महोदय जब भाषण देने आये थे मेरा आपसे आग्रह है हमारे दल का कोई भी किसी प्रकार का यह ख्याल नहीं था, और न सोचा था कि किसी प्रकार हम उनके भाषण को न सुनें हम शांति से सुनना चाहते थे। लेकिन प्रारम्भ में कुछ ऐसी बात हुई माननीय राज्यपाल स्वयं देख रहे थे कि शासन की ओर से जो भाषण की प्रतिलिपि उनको दी गयी थी और जो लिखित उनको दिया गया था शासन की ओर से उसमें कुछ भिन्नता थी उसमें जो प्रारम्भ में भाषा का प्रयोग किया गया और जो राज्यपाल महोदय को लिखित दिया गया उसमें वही भाषा होती तो किसी प्रकार के असम्मान का प्रश्न नहीं उठता। हम राज्यपाल जी को पूर्णतम सम्मान देते हैं हमारी यह भावना उन तक आप पहुंचा दें। मुझे आशा है जो यह भिन्नता हुई इसकी जांच हो गयी होगी। जो लिखित भाषण है और जो उनको दिया गया है उसमें भिन्नता है। हमें इसका दुख है मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी प्रकार से भी हमारी अनादर की मनोभावना नहीं है हम उनका पूर्ण सम्मान करते हैं।

श्रीमन् दूसरी बात जो मैंने प्रारम्भ में कही इस अभिभाषण में कुछ ऐसी बातें कही गयी हैं जो स्पष्ट नहीं है जैसे कहा गया है कि सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का संस्कार जगाना है। संस्कार बदलना है नहीं कहा तो यह बात जरा मुश्किल मालूम देती है। यह जगाने की बात बड़ी होशियारी से की गयी है ताकि जिम्मेदारी भी न रहे। यह कहा जा सकता है कि इस अभिभाषण से ही हमने संस्कार जगा दिये। तो पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि यह "सम्पूर्ण व्यवस्था" क्या है ? सम्पूर्ण व्यवस्था जो यह हमारी विधान सभा, नगर पालिका, न्यायपालिका आदि हैं और उसके साथ इन्होंने सम्पूर्ण क्रांति भी जोड़ दी है। जो श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण ने शब्दों का प्रयोग किया था, कि सम्पूर्ण क्रांति के 12 तत्व हैं, जो उन्होंने घोषित किया था और कहा था

सम्पूर्ण क्रांति के लिए जो आवश्यक है देश आज उसके लिए तैयार नहीं है। श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण जी से मेरी स्वयं वार्ता हुई थी, वह कहते थे कि गांधी जी सम्पूर्ण क्रांति को समाज में नहीं ला सकते उसी तरह उनको भी दुख था कि समाज के लिए सम्पूर्ण क्रांति आदर्श हो सकता है लेकिन उसके लिए देश और दल कोई तैयार नहीं है। तो देश और प्रदेश में सम्पूर्ण क्रांति आ जायेगी, उत्तर प्रदेश में यह नई सरकार सम्पूर्ण क्रांति ले आयेगी यह घोषणा करना मैं समझता हूं कि शायद क्रांतिकारी भले ही लगे लेकिन जहां तक इसके कार्यान्वयन का प्रश्न है यह प्रतिक्रांतिकारी हो जायेगी।

सरकार में समाजवादी विचारों के बहुत से लोग हैं लेकिन समाजवादी व्यवस्था लायेंगे इसका अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। क्या उद्देश्य है और क्या नीति है इसका तथा समाजवाद का उल्लेख अभिभाषण में नहीं है किन्तु सम्पूर्ण क्रांति का उल्लेख किया गया है। मैं मान लेता हूं कि क्रांति ले भी आये तो क्या व्यवस्था आयेगी, यह स्पष्ट नहीं है। क्रांति के बाद क्या होगा, छोटी मोटी क्रांति हो गयी, चुनाव हो गये और बहुमत में आप आये लेकिन सम्पूर्ण क्रांति के बाद कौन विचारधारा आयेगी यह स्पष्ट नहीं है इसमें।

मान्यवर, जो चुनाव घोषणा पत्र है जिसके बारे में कहा गया है तो वह नेशनल फ्रंट का घोषणा पत्र है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया जनता दल द्वारा लड़ा गया, नेशनल फ्रंट द्वारा नहीं। जनता दल का अपना कोई घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की विधान सभा के लिए चुनावों के लिए घोषित नहीं किया गया। नेशनल फ्रंट ने जो घोषणा पत्र में स्पष्ट किया और चुनाव लड़ा वह लोक सभा के लिए लड़ा, उस मैनीफेस्टो में लिखा है लोक सभा के लिए चुनाव घोषणा पत्र, जो भी घोषणायें उसमें की गयी हैं विधान सभा के चुनाव की दृष्टि से, एक राज्य के लिए नहीं की गयी हैं वह की गयी हैं सारे देश के दृष्टिकोण को रखकर।

राष्ट्रीय मोर्चा, लोक सभा चुनाव 1989 अब इस चुनाव घोषणा पत्र को राज्यपाल के अभिभाषण में अपना चुनाव घोषणा पत्र, प्रदेश का घोषणा पत्र कह दिया गया। श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण को आप देखें तो इसके अन्त में कहा गया है कि नई सरकार का चुनाव घोषणा पत्र। इन शब्दों का उल्लेख किया गया है। . . अब यह राष्ट्रीय मोर्चा में तो बहुत पार्टियां हैं। यह उन पर है, यह दल पर होता है कि वह विधान सभा चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करे या न करे। लेकिन जो प्रदेश का चुनाव घोषणा पत्र होना चाहिए वह यह नहीं है। पूरे देश के दृष्टिकोण से, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो जारी किया गया है वह यह है और उसी दृष्टिकोण से यदि उसे माना जाए, मैं नहीं कहता हूं कि उसको मानने में कुछ कठिनाई है, लेकिन यह बात सही है कि मैंने कितना ही पता लगाने की कोशिश की मुझे जनता दल का उत्तर प्रदेश के लिए कोई घोषणा पत्र मिला नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रति रही हो उसकी जो हमें सार्वजनिक रूप से प्राप्त न हुई हो। उसको देखें और उसको उत्तर प्रदेश के हालत में लगाएं तो स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसमें बहुत सी बातें कहीं गई हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है आठवीं योजना के बारे में। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में सारी बातें लिखी नहीं जा सकती हैं, न सम्भव है। लेकिन यदि उसमें नीतियों को भी

स्पष्ट करना है तो यह मालूम होना चाहिए कि अब तक क्या हुआ है ? लेकिन इसके पढ़ने से लगता है कि 8वीं योजना का कोई प्रयास हुआ ही नहीं है । श्रीमन्, 8वीं योजना का प्रारूप बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, एक दिशा पत्र बनाया था ।

मुझे यह जानने का हक है कि जो योजना का दिशा पत्र हमने पिछले शासन में बनाया था, वह इस शासन को स्वीकार है या नहीं है । जो केन्द्र में हमने विचार के लिए भेजा था । श्रीमन्, सम्पूर्ण आठवीं योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपये का पब्लिक सेक्टर आउटले–सार्वजनिक परिव्यय हमने प्रस्तावित किया था । 61 हजार करोड़ रुपयों का कुल मिलाकर हमने पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में किया था, जिसमें से 23 हजार करोड़ रुपये हमने आठवीं योजना के लिए रखे थे । इसमें हमने 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की दर का भी प्रयास किया था, एक लक्ष्य निर्धारित किया था । साथ ही साथ गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया गया था । उसको घटाकर जो लक्ष्य घोषित किया गया है, उसको ही 18–20 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा था । कृषि उत्पादन को बढ़ाने, ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा करने, शुद्ध पेयजल की सबको व्यवस्था, सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्गों द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ने, शत प्रतिशत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, 15 से 35 वर्ष की वय आयु के व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, सभी ग्रामों का विद्युतीकरण ये जो उद्देश्य हैं, जिनका इसमें उल्लेख किया गया है, बाद में इसमें चलकर मैं अवश्य यह चाहता हूं कि सरकार इस बात को स्वीकार करती कि हमारे पिछले शासन ने जो लक्ष्य 8वीं योजना के लिए रखा था, उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, हम उसे और आगे बढ़ाते हैं या घटाते हैं । लेकिन केवल केन्द्रीय योजना आयोग पर इस बात को छोड़ना और जो मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, उनके बारे में कुछ न बताना मैं समझता हूं कि यह सब उचित नहीं हुआ है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यदि आठवीं योजना का उल्लेख है तो यह भी होना चाहिए था कि सातवीं योजना की उपलब्धि क्या रही । सातवीं योजना का अभिभाषण में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है । सातवीं योजना, जिसके आधार पर आठवीं योजना बनी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है–वह सफल रही है या असफल रही है ।

मैं इसे आज इसलिए भी कह रहा हूं कि आज यहां पर बहुत से नए किन्तु प्रतिभावान सदस्य चुनकर आए हैं, उन्हें प्रदेश की योजना बनाने में प्रथम बार यह हिस्सा मिल रहा है । कोई भी विधायक किसी भी दल का हो चाहे नव निर्वाचित हो चाहे दुबारा चुने हुए विधायक हों, उसको अधिकार है कि वह देखे कि अब तक क्या हुआ, या होना चाहिए । दलगत भावना से योजना के प्रश्नों पर विचार करके सही रास्ता नहीं अपना सकते हैं । प्रजातंत्र असफल रहा है, क्रान्तियां असफल रही हैं प्रजातांत्रिक देशों में, तो इसलिए सद्भाव समन्वय होना चाहिए । राजनीतिक दल एक दूसरे को समझने में असफल रहे हैं हम उस बात को दोहराना चाहें तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा, तो कम से कम यह होना चाहिए कि योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए । आठवीं योजना के बारे में विधायकों से परामर्श होना चाहिए । आठवीं योजना के लिए कोई फोरम होना चाहिए । हर दल से, विधायकों से परामर्श करना चाहिए । जब सातवीं योजना बनी थी तो मैंने परामर्श किया था ।

मैं मुख्य मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि जो आठवीं योजना है, इसके बारे में हमने प्रारूप बनाया था, उसमें विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श किया था, मैं चाहूंगा कि उसमें सदस्यों को जानकारी हो, आठवीं योजना के प्रारूप पर आप विचार करें, तो माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करें । सातवीं योजना 11 हजार करोड़ की थी, जो खर्च होने जा रहा है वह 11 हजार आठ सौ करोड़ रुपया होने जा रहा है, तो खर्चे में लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, लेकिन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए, तो सारी चीजों की जानकारी सदन को होनी चाहिए । मैं एक बात वर्तमान सरकार से कहना चाहूंगा । यह आने वाले दो महीने, तीन महीने उत्तर प्रदेश के पांच साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं । अगर आठवीं योजना को बनाने में मेहनत ठीक से नहीं की, तो प्लानिंग कमीशन जिसमें नये सदस्य, नये चेयरमैन, नयी विचारधारा आ गयी है, तो नयी विचारधारा भी योजना में परिलक्षित होनी चाहिए । वार्षिक योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि वार्षिक योजना ठीक बनी तो अगले चार वर्षों की योजना ठीक बनेगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें धैर्य, गम्भीरता और मेहनत की आवश्यकता है । अगर इसमें चूक गये तो पांच साल के लिए उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा, गति रुक जाएगी । कथनी करनी में अन्तर नहीं रखेंगे यह कहा जाता है लेकिन कथनी और करनी में अवश्य अन्तर हो जाएगा यह मैं आज कह रहा हूं । कथनी करनी में अन्तर न हो इसके लिए आवश्यक है कि परामर्श लिया जाए । योजना आयोग में भी रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैं जानता हूं कि योजना आयोग में किस तरह से कार्य होता है ? योजना आयोग में ठीक से पैरवी होनी चाहिए । अगर वहां आपके सदस्य ही बैठे हों तब भी पैरवी की आवश्यकता है नहीं तो वह कहेंगे कि राज्य सरकार ने कोशिश नहीं की । मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि आपने एक्सपर्ट कमेटी बनायी है योजना आयोग ने कुछ नीतियां, प्राथमिकतायें घोषित की हैं लेकिन दिशापत्र नहीं बना है अभी तक । हमें यह देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की गरीबी का कारण क्या है ? आपने कहा पिछली सरकार जिम्मेदार है उसने कुछ नहीं किया, चलो भाई मान लिया कि हमने कुछ नहीं किया हम तो विरोधी दल में आ ही गये । आप लोग इच्छा रखते हैं लेकिन आप बतायें कि क्या कारण है ? आपने इस अभिभाषण में बताया कि राज्य में अब तक चल रही विकास की कार्यनीति से असमानता के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट रूप से उभर कर आया है । राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या 37.4 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 45.3 है ।

श्रीमन् आंकड़े दे देना तो आसान है लेकिन यह किस कारण है हमें उसमें जाना पड़ेगा । आपने लिखा है कि वर्ष 87-88 में प्रति व्यक्ति आय का औसत उत्तर प्रदेश में 2488 रुपये था जबकि प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 3284 रुपये था । मान लिया कि यह आंकड़े बिल्कुल सही है तो भी हम लोग जो विधायक यहां पर उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण करने के लिये बैठे हैं उनको इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है । यहां इतने महान लोग मंत्री रहे, एक से एक बुजुर्ग, आज यह पीढ़ियां नहीं हैं, मुख्य मंत्री रहे, वह चाहे किसी पार्टी में रहे हों, प्रधान मंत्री भी हमारे प्रदेश से रहे हैं लेकिन क्या कारण है कि प्रति व्यक्ति आय का औसत

कम है ? मुझे भी केन्द्र 2-4-7 साल रहने का मौके मिला । अगर हम इसका उल्लेख करते हैं तो हमें इसके कारणों में जाना चाहिए । मैं सोचता था कि धन्यवाद के प्रस्तावक धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ इसके भी कुछ कारण बतायेंगे । मैं कहना चाहूंगा इसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है और इससे भी अधिक जो विशेष बात है वह है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो जोतें हैं वह घट रही हैं, उनका आकार घट रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश आज पिछड़ा क्यों है ? इसीलिए पिछड़ा है कि वहां पर जो होल्डिंग्स हैं, जो जोते हैं उनका आकार घट रहा है । जौनपुर जिले में केवल आधे हेक्टेयर की अब जोतें रह गयी हैं । 80 फीसदी मार्जिनल होल्डिंग्स हैं । सारे उत्तर प्रदेश में जोतों का आकार घट रहा हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, चकबंदी एक बार हो चुकी है और दोबारा हो रही है । यह जो जोतें छोटी होती जा रही हैं इनकी उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम हमने तैयार किया था । जोतों की जो जड़ है, मूल है वह है ग्राम सभा । ग्राम सभा स्तर पर हम आर्थिक रीजस्टर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे । आप देखें कि कौन सी बुनियादी भूल इन प्रश्नों को हल में है ? आज हमारा धान और गेंहू जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह पंजाब और हरियाणा के मुकाबले आधे से कम है । इसलिए कोई भी गवर्नमेन्ट बैठे, हमने कार्यक्रम इसलिए बनाया था कि हम सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करेंगे, सहकारी ऋण की सीमा बढ़ायेंगे, सहकारी समितियों को मजबूत करेंगे । नाबार्ड जो सबसे बड़ी संस्था है उससे ज्यादा रुपया प्राप्त करने की बात की थी आज पंजाब हमसे दो गुना ज्यादा रुपया कोआपरेटिव, खाद आदि के लिए नाबार्ड से ऋण लेता है । हरियाणा ज्यादा ऋण देता है, यही रास्ता है, कोई सम्पूर्ण क्रान्ति कायं समाजवाद लाये बिना हमारे प्रदेश से गरीबी कम नहीं होगी, जब तक कि जनसंख्या का जो नियंत्रण है, उसको प्रजातांत्रिक तरीके से उस ओर ध्यान नहीं देंगे । दूसरी बात जो होल्डिंग बढ़ा दी जा रही है, जो राज्य योजना ने जो कागज बनाया है, उसके आधार पर हमारी आबादी दो करोड़ आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ जायगी ।

इसलिए जो हमारी रणनीति है, विकास में उसके लिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा । अब 10 हजार रुपया ऋण माफ करने की जो बात कही गयी है, कहीं-कहीं पर यह कहा गया है कि 10 हजार रुपया कर्जा हम सबका माफ कर रहे हैं, कहीं पर यह भी कहा गया है कि यह जो माफी है वह सब किसानों की कर रहे हैं, कहीं यह कहा गया है कि सारी जनता के हम कर्जा माफ कर रहे हैं कही कहा गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर घोषणाएं की गयी हैं, उसमें जो कहा गया है, उसमें जो नाम लिये गये हैं, इसमें वह नहीं है हमारे इस अभिभाषण में, इसमें थोड़ा सा बदल दिया गया है । इसमें कहा गया है अभिभाषण में कि सरकार छोटे किसानों भूमिहीनों कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को 10,000 रुपये से कम के ऋण में राहत देने के लिए वचनबद्ध है और शीघ्र ही समुचित कदम उठायेगी । इस दिशा में केन्द्रीय शासन से विस्तृत मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है । अब जो घोषित हुआ अखबारों में, उससे यह भिन्न है । इसमें यह है कि ऋण में राहत देने के लिए । जो केन्द्रीय अभिभाषण हुआ है, उसको भी अगर ध्यान में लें, तो आज उत्तर प्रदेश में न सारे देश में 14 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, 10 हजार रुपये तक के कर्जा माफ करने के लिए, क्योंकि कर्जा यह किसे माना जाय, 10 हजार रुपया कर्जा महाजन भी दे सकता है, मुझसे तो लोग मिलने आये और कहें कि महाजन के कर्जे भी माफ करवाइये, हमें कोआपरेटिव से, बैंक से कर्जा नहीं मिला, हमने महाजन से ले लिया ।

अब सरकार तो कर्जा देती नहीं है, सरकार तो आई0 आर0 डी0, डी0 आर0 डी0 ई0 का जो कर्जा है, वह बैंक देता है । सरकारी कर्जा, तकाबी तो बहुत दिन पहले बन्द हो गयी ।

अब यह कर्जे माफी का कोई आधार नहीं है । बाढ़ग्रस्त हों, सूखाग्रस्त हों, तो उनके कर्जे माफ किये जा सकते हैं । जो दे सकता है, उसका भी माफ और जो नहीं दे सकता है, उसका भी माफ, यह 10 हजार रुपया किस हिसाब से लगाया गया है । 12 हजार क्यों नहीं हुआ । यह 10 हजार की धनराशि कहां से आ गयी । किस आधार पर आ गयी ? आपने देखा कि कुछ राज्य सरकारों ने 10 का 12 कर दिया । यह आपस में कम्पटीशन नहीं होना चाहिए । किसी ने 15 कर दिया । उन्होंने कहा कि यह केन्द्र देगा । अब केन्द्र ने हिसाब लगाया, तो 14 हजार रुपया हो गया । एक बयान यह आया है कि सरकार की ओर से कि बैंक जो भी कहे हम कर्जे माफ करेंगे । यह हेड लाइन है अखबार की कि बैंक जो कहे हम कर्जे माफ करेंगे । किसानों और बुनकरों के कर्जे 10 हजार को हर हालत में माफ होंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

कौन सा अखबार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मेरे पास कटिंग है ।

गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)–

यह नवजीवन अखबार होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय नेता विरोधी दल, अखबार के नाम में न फंसिये, आप बोलिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यह अखबार नवजीवन है । यह और अखबारों में भी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपकी सुविधा के लिए माननीय राम शरण दास जी ने पहले ही बता दिया था । आप जो खोज रहे थे, उसे माननीय राम शरण दास जी ने पहले ही बता दिया था कि अखबार का नाम यह है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

चूंकि मुख्य मंत्री ने यह कहा कि यह इसका मतलब है और यह नहीं कहा, चलिए मान लेते हैं लेकिन जो भाषण में कहा वही मान लेते हैं । बहरहाल 10,000 रुपये की धनराशि कहां से आयेगी क्या महाजन के कर्ज भी माफ किये जायेंगे ? फिर 10,000 रुपया कर्ज लिया है ब्याज का क्या होगा , क्या 10 हजार की धनराशि क्या दस हजार हुई या क्या 10 हजार से कम है । तो यह 10 हजार से कम है या दस हजार रुपये है, किसी ने 9999 रुपये लिया है वह शामिल है, यह दस हजार से कम क्या है ? छोटे किसानों की परिभाषा क्या है ? क्योंकि छोटे किसान आप कहेंगे किसको ? यह अखबार मेरे पास नवजीवन नहीं है जागरण अखबार है कल का 11 जनवरी का इसमें है-कर्ज मांफी और वसूली के बीच फंसा है किसान राम सनेही घाट बाराबंकी, संसदीय कार्यमंत्री जी का जिला है ।

प्रदेश सरकार में मंत्रियों ने कर्ज माफी घोषणा तो की परन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किन लोगों के किस प्रकार के कर्जे माफ होंगे और इसी उहापोह में क्षेत्र के

लोगों ने किसी भी प्रकार के कर्जों की अदायगी करना बंद कर दिया है, दूसरी ओर कुछ बैंकों अन्य मदों के कर्जों के वसूली के फरमान भी जारी हो रहे हैं । स्थिति यह है जिन लोगों का कर्ज माफ होना है उनका तो ठीक है परन्तु जिनके कर्ज माफ नहीं होने हैं वे भी किश्तें नहीं दे रहे हैं और उन पर ब्याज की रकम बढ़ती जा रही है । साथ ही कमजोर तबके के लोगों को कुछ लोग कर्ज माफ होने का प्रलोभन देकर बैंकों से कर्ज दिला बड़े-बड़े कमीशन भी प्राप्त कर रहे हैं ।

सुमेरगंज कस्बा निवासी युवा वकील एवं व्यवसायी श्याम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि आम कर्जमाफी की घोषणा सरकार का बहुत विवेक पूर्ण कदम न होगा । अच्छा होता कि पहले सर्वेक्षण करा लिया जाता कि निर्बल वर्ग के कौन से लोग कर्जे दे पाने में असमर्थ हैं और एकदम साफ तौर पर पता लगने के बाद केवल इन लोगों के कर्जे माफ करवा कर इनके आय के अवसर बढ़ाने के अन्य उपाय भी किये जाते । यह भी बहुत लम्बा है, जो बात हो रही है आज सारे कर्ज देने की प्रणाली पर क्षति पहुंची है क्योंकि अगले साल क्या होगा। मान लीजिए इस साल 10 हजार रुपये आपने माफ कर दिया अगले साल भी लोग यह उम्मीद करेंगे । कोई 10 हजार तक का ऋण लेगा और कहेगा कि यह माफ हो जायेगा, इलेक्शन आयेगा और माफ हो जायेगा । उसका नतीजा क्या होगा कि 10 हजार रुपये कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी इतना पैसा बैंक नही दे सकेगें ।

मान लीजिए रिजर्व बैंक पर दबाव डालकर माफ भी कर दिया तो हो नहीं सकता रिजर्व बैंक मानेगी नहीं । केन्द्र में वित्त मंत्री होने के नाते जब मैंने ब्यांज घटाया 10 फीसदी किया तो डेढ़ महीने लग गये डेढ फीसदी ब्याज की दर घटाने में खाद के । फसली ऋण का ब्याज 11.50 से 10 प्रतिशत लाने में । यहां ब्याज भी माफ कर रहे हैं और मूल धन भी माफ कर रहे हैं इससे 14 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी तो इससे मुद्रास्फीति होगी । चूंकि बैंकों के पास अपना रुपया नहीं रहता जनता का जमा किया हुआ पैसा है बैंक में । बैंक एक ओर रुपया जमा करता है, डिपाजिट करता है और डिपाजिट पर ब्याज देता है हर बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति बैंक से ब्याज प्राप्त करता है और दूसरे बड़े बैंक उस ब्याज को कहां से देते हैं ऋण लेते हैं और ऋण के आधार पर आज पंजाब भी बढ़ा है हरियाना भी बढ़ रहा है । नावार्ड क्या है यह रुपया देता है जो रुपया नासिक के छापाखाने से छपता है वह शादी ब्याह में नही जाता है उत्पादकता में इसलिए कोआपरेटिव के जरिये फसली ऋण में दिया जाता है तो 14 हजार करोड़ रुपये को माफ करना 10 हजार रुपये तक का ऋण एक मामूली बात नहीं होगी मैं नम्रतापूर्वक गम्भीरता से विचार करने के लिए अपने शासक दल से जिसके ऊपर शासन की बागडोर है उनसे मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा ।

मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । सारे ऋण का ढाचा, क्रडिट स्ट्रक्चर इस पर आधारित होगा । अगले वर्ष यह होगा कि 10 हजार तक ऋण कोई न ले, तो ग्रान्ट देना पड़ेगी । यह कहां तक उचित होगा कि पहले 10 हजार का ऋण दें और फिर माफ करें । तो ग्रान्ट देनी पड़ेगी तो कहां से 10 हजार लाएंगे । फिर कम्पटीशन होगा कि 10 हजार, 12 हजार और 15 हजार माफ करें । इस प्रकार होड़ में इसको राजनीति का विषय बना देंगे । कर्ज नीति नहीं बनाएंगे तो सबसे बड़ा

नुकसान होगा छोटे किसानों का । उन लोगों का होगा जिनको कर्ज की आवश्यकता है रिक्शा चलाने के लिये या खोमचा लगाने के लिये । श्रीमन्, इसमें एक बात और है, मुख्य मंत्री जी के ध्यान में नहीं रही, पेज के भाषण में कहा है कि दस्तकारों और बुनकरों को ऋण में राहत देने के लिये वचनबद्ध है, लेकिन सातवें पेज में लिखा है कि छोटे और कुटीर उद्योग के नाम पर ऋण हड़पने वालों की ओर सरकार का कड़ाई का रूख होगा । कुटीर उद्योग तो बुनकर और दस्तकार का होता है । इसके लिये सातवें पेज में लिखा है कि सख्ती की जायगी । अपनी ही नीति का विरोध दूसरे पेज में कर दिया है कि कड़ाई का रूख बरता जायगा । छोटे और कटीर उद्योग में जो हड़पने वाले लोग हैं, या जो पेमेंट नहीं करते, उनसे सख्ती बरती जायगी । तो इस प्रकार परस्पर विरोधी नीति की घोषणा इस अभिभाषण में है ।

मान्यवर, जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे वालों को ऊपर लाने की बात है तो कोई सरकार उन्हें यूं ही नहीं ला सकती । हमें ऋण लेना होगा । तो फिर माफी की बात उठेगी । श्रीमन्, मैंने भी अध्ययन किया है कि किस प्रकार से हम इस स्थिति का निराकरण कर सकते हैं और पावर्टी, इक्वेलिटी और डेवलपमेंट के बारे में गैरीफील्ड ने सारे संसार में प्रति व्यक्ति किस प्रकार से प्रति व्यक्ति गरीबी दूर की जा सकती है, इसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है, उस पर कहा है कि

दि टू फास्टेस्ट ग्रोइंग कन्ट्री ताइवान एन्ड कास्ट रीफा इक्सपीरियन्स डिकलेरिंग इनइक्वालिटी एज डिड दि टू सोवेस्ट ग्रोविंग श्री लंका एन्ड इंदिया दीज फार कन्ट्रीज परस्यूड डवलपमेंट स्ट्रटिजीज इन ट्विच रूरल डवलपमेंट फिगरड् हैविली इनइक्वालिटी इन्क्रीज्ड इन दि टू कन्ट्रीज विथ हाई बट नाट सोक्टेकुलर ग्रोथ रेट्स दि फिलिपीन एन्ड ब्राजील

श्रीमन्, इसका अर्थ यह है कि जिन देशों में, गरीब देशों में, अध्ययन किया गया जहां पर विकास की रणनीति में जमा का ध्यान न रखकर वितरण पर जोर दिया गया कि किस तरह से कर्ज बढ़ेगा, वहां पर गरीबी उतनी नहीं मिटी जितनी मिटनी चाहिये । इसमें उन्होंने भारत का हवाला दिया । एक जो माडल था प्लानिंग का बदलकर सन् 1980 से गरीबी पर हमला करने के हमारे सारे कार्यक्रम इस तरफ गये हैं ।

यह जो 10 हजार की ऋण प्रणाली है खतरनाक सिद्ध होगी, रुकावट सिद्ध होगी, ऋण चाहे कम ब्याज दर पर हो ऋण देना पड़ेगा । उत्तर प्रदेश के बैंकों में 4 हजार करोड़ रु0 ज्यादा जमा हुए हैं एक साल में । वह आज उत्तर प्रदेश में विनियोजित नहीं होता है दूसरे राज्यों में जाता है, कैसे उसे उत्तर प्रदेश में वापस ला पायेंगे । क्योंकि बैंकों को 5 हजार करोड़ रु0 का ब्याज देना होगा जनता को उसमें किसानों का दस्तकारों का और दूसरे लोगों का पैसा जमा है, अगर वह ब्याज नहीं ले सकते हैं तो दे कहां सकते हैं । इसलिये हमें बड़ी, मैं किसी राजनीति के तहत यह बात नहीं कह रहा हूं इस बारे में चिन्ता है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की गरीबी को कम कर सकेंगे जिसकी घोषणा सरकार ने की है ? इस अभिभाषण में बुनियादी बातों को नहीं देखा गया, बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, बुनियादी बातों से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की बात है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया ।

आज हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना है कि आज संसार में हो क्या रहा है, हम हैं कहां? बड़ी-बड़ी बातें हम लोग भाषण में करते हैं । जो सम्पूर्ण क्रांति और

परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, हमें दूसरे देशों को भी देखना होगा । मिखाइल गोर्बाच्योव साहब ने रूस में एक भारी प्रयोग किया है, वहां कम्युनिस्ट समाज है "पेरिस-ट्राइका" पुस्तक है, उसके मैं कुछ उद्धरण यहां रखना चाहूंगा । यहां के बारे में भी कहा गया था कि भारत में उत्तर प्रदेश की आबादी हमारे सोवियत यूनियन से आधी के लगभग है । हमारे सवाल उनसे बहुत पेचीदा हैं । लेकिन आज रि स्ट्रक्चरिंग पुनर्गठन और सम्पूर्ण क्रांति की बात व्यवस्था में परिवर्तन की बात चल रही है । गोर्बाच्योव साहब व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं रूस में क्या उनका अनुभव है । यह जो पंक्तियां हैं मैं चाहूंगा कि जो नौजवान विद्वान सदस्य हैं, वह जरूर देखें कि दुनिया में किस तरह से विकास की बातें चल रही हैं । अवर सोसाइटी हैज इंस्योर्ड फुल इम्पाल्यमेंट एन्ड प्रोवाइडेड फन्डामेन्टल सोशल गारन्टी । एट दि सेम टाइम वी फल्ड टु यूज टू दि फुल दि पोटेन्शियल आफ सोशलिज्म टु मीट दि ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स इन हाउसिंग इन क्वालिटी एण्ड सम टाइम्स क्वालिटी आफ फूड स्ट्रब्स इन दि प्रोपर आर्गेनाइजेशन आफ दि वर्क आफ ट्रान्सपोर्ट इन हेल्थ सर्विसेज इन एजूकेशन एण्ड इन टैक्लिंग अदर प्राब्लम्स ह्विच नेचुरली एराज इन दि कोर्स आफ सोसाइटी डेवेलपमेन्ट ।

एन एबसर्ड सिचुएशन वाज डेवलपिंग दि सोवियत यूनियन दि वर्ल्डस बिगेस्ट प्रोड्यूसर आफ स्टील रा मैट्रीरियल्स फुयेल एण्ड इनर्जी, हैज शार्टफाल्स इन देम ड्यू टु वेस्टफुल आर इनएफीसेन्ट यूज वन आफ दि बिगेस्ट प्रोड्यूसर आफ ग्रेड फार फूड इट नेवर-दिलेस हैज टु बाई मिलियन्स टोन्स आफ ग्रेन ए इयर फार फीडर बी हैव दि लार्जेस्ट नम्बर आफ डाक्टर्स एण्ड हास्पिटल वेड्स पर थाउजेन्ट आफ दि पापुलेशन एण्ड एट दि सेम टाइम देयर आर ग्लेअरिंग शार्टकमिंग्स इन अवर हेल्थ सर्विसेस अवर राकेट्स कैन फाइण्ड हालीज कमेट एण्ड फ्लाई टु वीनस विथ एमेजिंग एकुरेसी बट साइड बाई साइड विथ दीज साइन्सटिफिक एण्ड टेक्नालिजिकल ट्राइवेस इज एन आब्वीयस लैक आफ इफीसेन्सी इन यूजिंग साइन्टिफिक एचीवमेन्ट फार एकनामिक नीडस् एण्ड मेनी सोवियत हाउसहोल्ड एपलायेन्सेस आर पूअर क्वालिटी सब कुछ है पूरी रोजगारी भी है । सब कुछ होते हुए भी किस तरह से कमियां दृष्टिगोचर हुई ? पूरे यूरोप का एक नया देश जिसे कहा, आज हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में क्या हो रहा है । यूरोप में इकोनोमिक ढांचा सही हो गया है, वहां की समस्यायें हल हो चुकी हैं, ऐसा मैं समझता था, लेकिन अब पता चलता है कि वहां भी कितनी समस्यायें हैं ? यह आज अध्ययन का विषय है । हम यह नहीं कहते कि आप परिवर्तन न लाइये, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, उस पर आत्म चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है । होता क्या है कि हमने कुछ लोगों को बिठा दिया, कुछ को ट्रांसफर कर दिया, वही लोग किसी विभाग के सेक्रेटरी थे, वही कहीं के अध्यक्ष हो गये, वही लोग कभी हमारी चिन्ता करते थे, आज आपकी तरफ चिन्ता कर रहे हैं, उससे यह स्ट्रक्चर सुधरने वाला नहीं है । हम लोग केवल एक दूसरे को बेइमान बनाने में लगे हुये हैं, न किसी को अध्ययन करने की फुरसत है और न कोई इसके बुनियादी पहलू में जाना चाहता है । आज सवाल इस बात का नहीं है कि हम सत्ता में हैं या आप सत्ता में हैं । सवाल इस बात का है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे इन बुनियादी बातों पर सहयोग और सामंजस्य की बातें हों, विचार हो । कांग्रेस पार्टी के लोगों को दबाया जाय, उन पर बदले की कार्यवाही की जाय, उसने ऐसा किया था, तो हम यूं करें, इससे काम नहीं चलेगा ।

आज इस तरह की तमाम खबरें अखबारों में मिलती हैं और लोग हमसे भी आकर मिलते हैं कि आज कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं शैडो हट गया है कहीं किसी की जान को खतरा है । लोग हमसे कहते हैं कि तिवारी जी, आप कहिए । इस तरह से कैसे काम चलेगा? कांग्रेस आज यहां विरोधी दल में है लेकिन कांग्रेस आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस देश में इसका 104 साल का इतिहास है, कोई भी इसे उठाकर देख ले । आज जो लोग चाहे केन्द्र सरकार में बैठे हों, चाहे यहां बैठे हों, इसमें से तमाम लोग ऐसे हैं, जो कांग्रेसी संस्कारों में पले हैं और जो कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा से बहुत नजदीक रहे हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा शोर करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण, बीच में व्यवधान पैदा न करें और माननीय नेता विरोधी दल को अपना भाषण करने दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत गंभीर सवाल उठाया है । हमारी सरकार बनते ही हमने घोषणा की थी कि बदले की भावना से कहीं काम नहीं किया जायेगा । अगर कहीं ऐसा है तो आप उस कार्यकर्ता का, जिले का नाम लिखकर भेज दें, उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बहुत-बहुत धन्यवाद । मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने समाजवादी चरित्र के अनुसार यह कहा कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे । क्योंकि होता क्या है?

श्री ऊदल–

अधिष्ठाता महोदय हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

ऊदल जी, बतायें क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल कह रहे थे कि प्लानिंग के लिये कोई ऐसा मंच होना चाहिए, जहां गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके, मैं उनकी बात से अवश्य सहमत हूं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जब यहां बाबू सम्पूर्णानंद जी मुख्य मंत्री थे और उस समय प्रदेश के विकास के ऊपर प्लानिंग के ऊपर 4-4 दिन तक बहसें होती थीं, जिस समय तिवारी जी विरोधी पक्ष में उपनेता थे, उस परिपाटी को क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, यह इसलिए बन्द हो गया कि उस समय आप इस विधान सभा के सदस्य नहीं थे । श्री सम्पूर्णानन्द जी जब यहां मुख्य मंत्री थे और मैं विरोधी दल में उप नेता था और उस समय आप भी उसमें सदस्य थे । हम दोनों विरोधी दल में बैठे थे । उस समय का माहौल दूसरा था । हमें आशा है कि वह माहौल फिर आयेगा । यहां किताबें फाड़ने व माइक तोड़ने में ही हम समय लगायेंगे तो इन बातों को कौन सुनेगा । मैं

समझाता हूं कि योजना पर विचार होना चाहिए । माइक तोड़ने व पेपर वेट उठाकर मार देने से तो विचार नहीं हो सकता है । नई विधान सभा चुनकर आई है, वह इन विषयों पर विचार करे और कोई हल निकले । जो इसमें आश्वासन दिया है, उसमें कहा गया है कि हम 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करेंगे । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास पर सरकार निवेश परिव्यय की पचास प्रतिशत धनराशि आवंटित करेगी ।

श्रीमन्, मैं शासन से यह पूछना चाहता हूं कि 60 प्रतिशत तो इसके लिए पिछले बजट में था । 1770 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो मैंने बजट पेश किया था, उसमें आवंटित किया गया था । इसको बढ़ाने के बजाय घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । पहला यह प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ..... रुपया कैसे जुड़ता है ? आपके जो बड़े-बड़े पावर हाउसेस बन रहे हैं, क्या वह ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब में नहीं जुड़ता है । आखिर ग्रामीण क्षेत्रों को भी उसकी बिजली जाती है । आज 70 हजार गांवों में बिजली पहुंच चुकी है । कम से कम उन पावर हाउसों का हिसाब तो ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ लिया होता, वह जोड़ा नहीं गया है । इस उत्तर प्रदेश में स्वनामधन्य श्रीमती इन्दिरा जी के समय में छठी योजना में 4 खाद के कारखाने मंजूर हुए थे और दो हजार करोड़ रुपये की लागत से अरब सागर से गैस पाइप लाइन आई । औरैया में बिजली घर बना और वहां पर दो-ढाई हजार करोड़ रुपये की लागत से एक नया पट्रोकैमिकल प्लान्ट बना, वह भी गैस की वजह से । दो खाद के कारखाने बन गये हैं, एक जगदीशपुर में और एक आंवला में, शेष दो बन रहे हैं । एक शाहजहांपुर में और एक बबराला (बदायूं) में । इन 4 खाद के कारखानों में 4000 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं और 1800 करोड़ गैस पाईप लाइन में लगे हैं । इस प्रकार 5 हजार 800 करोड़ रुपए खाद के कारखानों में लगे । आखिर इन कारखानों से जो खाद बनेगी, वह किसानों के लिए ही तो जायेगी । क्या यह 5 हजार 800 करोड़ रुपए किसानों के लिए नहीं हुआ । बुनियादी तौर से ये बड़े-बड़े कारखाने गांवों के विकास के लिए ही तो हैं । बिना खाद के उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । छठी योजना में जो ये 4 कारखाने मंजूर हुए, भारत सरकार ने भी इसको पूरी शक्ति दी । अब हमें यह देखना है कि इन कारखानों से जो खाद बनेगी, उसका उपयोग हम यू0 पी0 में कैसे कर पायेंगे, इसकी तरफ किसी ने कभी सोचा भी । हमें बाहर से भी खाद लानी पड़ेगी, जो छोटे-छोटे जोत हैं, बिना खाद के उनका उत्पादन नहीं बढ़ सकता है । संसाधन के बारे में इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर सोचें कि बैंकों से हम किस तरह से ज्यादा से ज्यादा रुपया पा सकते हैं । आज जब अखिल भारतीय औसत 61 है तो 100 रुपए जब हम बैंक में जमा करते हैं तो 43 रुपए लाये हैं वापस यू0 पी0 में उद्योग में, व्यापार में, खेती में 43 रु0 से ऊपर कैसे होगा ? 2500 करोड़ रु0 बढ़वाया बैंकों से फिर भी 4 हजार करोड़ रु0 नया जमा हो गया, इस तरह डेढ़ प्रतिशत बढ़ा दिया, इसको जारी रखना होगा । हमें बैंकों पर दबाव जारी रखना होगा । इसके लिये ऋण लेना होगा, नहीं तो दूसरे राज्य ले जायेंगे, वे आगे बढ़ जायेंगे, मैं माननीय सदस्य पिहानी से कहूंगा

कि उन्होंने आलोचना कर दी कि 90 हजार करोड़ रु0 का कर्ज हो गया । कौन सरकार है आज दुनिया में जो बिना कर्ज के चल रही है ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

ईरान की सरकार है, उस पर विदेश का एक नये पैसे का भी कर्जा नहीं है

[3 बज कर 20 मिनट]

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भूतपूर्व विदेश मंत्री होने के नाते मेरे लिये बड़ा कठिन है कि ईरान की आलोचना में कोई शब्द कहूं, इसका मतलब गलत भी लगाया जा सकता है । ईरान की अर्थ व्यवस्था और भारत की अर्थ व्यवस्था में बुनियादी अन्तर है । आज वहां पर वह यह भी नीति रखते हैं कि कर्ज पर व्याज नहीं लिया जायगा ।

(श्री मुख्तार अनीश के पुनः खड़े होने से व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री जी संस्तुति कर रहे हैं कि ईरान की अर्थ नीति पर चलें, जैसी व्यवस्था है वैसी ही बनायें । मैं बता दूं कि कर्ज के लिये ईरान के पास तेल की दौलत है, तेल की बेशुमार दौलत है, जिसके निर्यात से रुपया कमा सकते हैं । ईरान की हालत को मैं जानता हूं, आलोचना नहीं करना चाहता, हमारा दोस्त मुल्क है लेकिन ईरान का माडल यहां न लाइए । आज अमेरिका और जापान दुनिया में बैंकों पर चल रहे हैं, कर्ज पर चल रहे हैं । अब भारत की बागडोर आपके हाथ में है, आप देखिये कि दुनिया में क्या हो रहा है?' जो कर्ज की बात कर रहे हैं । यह ''न्यूज वीक'' किताब है । इसमें लिखा है कि–

जापान्स एकनामिक हेगमनी मोरओवर विल इवस्टेन्ड इन दि नाइनटीज टू बैंकिंग एण्ड फाइनान्स ।

टेन इयर्स एगो आनली वन दि टेन लार्जेस्ट बैंक्स इन दि वर्ल्ड वेयर जापानीज

दस साल पहले केवल एक बैंक था जबकि दस ऐसे बैंक अब जापान में हैं :–

टूडे आलटेन आर जापान्स बैंक विथ ह्यूज एसेट वेसेस विल माउन्ट एने एग्रेसिव डाइज फार मार्केट शेयर ।

एक सदस्य–

मान्यवर, फिर आप बजट पर क्या बोलेंगे जब इसमें ही सारा समय निकाल देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

आप सवाल क्यों करते हैं, बोलने दीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं सम्मानित सदस्य, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं उनसे आग्रह करूंगा यद्यपि मैं उनके जोश की सराहना करता हूं लेकिन फिर भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा समय गम्भीर बातों के लिये भी निकालें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

असल में अंग्रेजी उनकी समझ में नहीं आती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं इसीलिये अनुवाद भी कर रहा हूं । जापान भी हमारी ही तरह खेतिहर देश है । इन 1988-89 जापान इनवेस्टेड मोर दैन ट्वैन्टी परसेन्ट आफ इट्स ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इन न्यू प्लान्ट एक्यूपमेन्ट ।

1988-89 में जापान ने अपने यहां राष्ट्रीय आमदनी के उत्पादन का 20 फीसदी नये इक्यूपमेंट और प्लान्ट में खर्च किया। दि एमाउन्ट टू ए ह्यूज बून जापान एण्ड वास्बिली ह्यूज हेडेक्स फार इट्स कम्पीटीटर्स इन यूरोप एन्ड यूनाटेड स्टेट

यह दुनियां की राय है और चक्कर खाने वाले आंकड़े हैं कि तीन साल से एक राष्ट्र लगातार कसे अपनी उन्नति कर रहा है । मिलियन्स विल स्टार्व इन दि नाइनटीन नाइनटीज थ्रू नेचुरल डिजास्टर

अगर संसार की अलग-अलग सरकारें जो हो रही है, अध्ययन करें, रूस तो अध्ययन कर रहा है, हम यह कह दें कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का और हमारे सोंचने समझने की अब कोई जरूरत नहीं है, तो हो गया कल्याण ? कुछ बुनियादी बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं । मैं इस पृष्टभूमि में जिसका मुझे बड़ा दुख है कि शासन ने दफा 144 से टेहरी बांध के निर्माण कार्य को रोक लिया है । टेहरी बांध का निर्माण कार्य रोक देना यह सबसे बड़ी भूल है, चाहे किसी के जरिये से यह हुई हो । लेकिन हुआ यही है कि एस0 डी0 एम0 के आदेश से दफा 144 लगाकर केन्द्रीय सरकार ने टेहरी पावर कारपोरेशन के निर्माण पर रोक लगा दी है पर्यावरण के नाम पर । जबकि इसके जरिये से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश को गंगा कैनाल से साढ़े आठ लाख हेक्टेयर की सिंचाई प्राप्त होगी, जिसके लिये न जाने कितने मुख्य मंत्रियों ने प्रयास किया आज से बीस साल पहले, तब से टेहरी डैम के लिये कितनी विकास के नाम पर लड़ाई लड़ी गयी, इसमें यू0 पी0 का कितना नुकसान होगा यह तीन हजार आठ करोड़ रु0 की योजना है जिसमें दो हजार 400 मेगावाठ पन बिजली पैदा होने वाली है और भारत सरकार उस पर अपना पैसा व्यय कर रही है । यू0 पी0 इस पर 280 करोड़ रु0 खर्च कर चुका है, अब केवल सिंचाई वाले रुपए ही देना शेष है बाकी सारा रुपया सोवियत यूनियन से मिल चुका है । जब गोर्बाचोव भारत को आए थे, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके सामने पहुंचने का, मा0 राजीव गांधी जी भी थे, तभी इस पूरे प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुए । कितनी मुश्किलों से सोवियत यूनियन से 1 हजार 18 सौ करोड़ रु0 इस कार्य के लिए मिला था, जिसके द्वारा सन् 1995-96 तक 2 हजार 4 सौ मेगावाट बिजली प्राप्त करने का जो बजट है, वह पूरा का पूरा यू0पी0 सरकार को मिल जायेगा और सिंचाई अलग होगी यू0पी0 वाली को हो । सिर्फ 300 क्यूसेक पानी दिल्ली को जायेगा । साथ ही गंगा कैनाल को भी एक हजार करोड़ रुपयों से पक्का (रि-माडेल) किया जा रहा है । इस प्रकार से इधर इलाहाबाद से लेकर फतेहपुर तक के सारे हिस्से को सिंचाई की काफी सुविधा पहुंचेगी । ऐसे कार्यों को आप (इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) रोक देंगे तो इससे कितने विकास के कार्य प्रभावित होंगे । यदि सुन्दर लाल बहुगुणा से मेरी भेंट होती तो मैं उनसे अवश्य अपील करता कि अगर ऐसे कार्यों को रोका गया तो इससे विकास के कार्य प्रभावित ही नहीं होंगे अपितु काफी देश व प्रदेश को हानि भी होगी ..... (शोर) .

श्री जसवंत सिंह बिष्ट–

श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी आपके ही दल के विधायक हैं, उन्हें ही समझाइए, यह उन्हीं के द्वारा दिए गये विचारों के उपरांत बन्द होने जा रहा है, उन्हें आप समझाइए, वरना मैं भूख हड़ताल करने पर मजबूर हूंगा । (शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यदि सुन्दर लाल बहुगुणा हमारे दल के सदस्य होते तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन वह किसी भी दल के सदस्य नहीं है (शोर)

मैं जो कहने जा रहा था वह यह कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश के विकास का है और यदि टेहरी योजना रोकी गयी तो प्रदेश के 14 करोड़ लोगों का विकास बीच अधर में रहेगा और प्रदेश के इन 14 करोड़ लोगों व सदन के सभी माननीय सदस्यों की संस्तुति से इसे वापस लीजिए । (विपक्ष द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट) इस 1 हजार, 18 सौ करोड़ की योजना को भारत सरकार ने जो दिया है, जिस पर अब तक 25 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है, लेकिन ऐसी अच्छी योजना को अचानक रोक दिया जाए । जबकि वहां पर काफी विकास कार्य भी हो चुके हैं, लोगों को पुनर्वास भी दिया जा चुका है और नया टेहरी शहर भी बन गया है, भूकम्प से बचने के लिए बहुत से रिसर्च कार्य किए गए, रूस के इन्जीनियर्स द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया है, रूस के लोग इससे बहुत खुश हैं और वह आश्चर्य में हैं कि इतना बड़ा कार्य यह उनके द्वारा कैसे हो गया । इसमें ऐसी योजना है कि एक हजार क्यूसेक पानी को दुबारा प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन इसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया । जबकि इसके द्वारा बेशुमार गांवों की सिंचाई होगी और जिससे काफी उत्पादन भी बढ़ेगा । पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं । पर्यावरण के लिए चाहे आप दो सौ करोड़ रुपया और लेकर प्रयोग में लाइए और इससे आपको दो लाख हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचाई होगी अगर ऐसा आपने न किया तो यह विकास कार्य और अधिकतर सिंचाई कार्य नहीं कर पायेंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर अवश्य पुनर्विचार किया जाए

मेरे पास सारे डाकूमेंट मौजूद हैं । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इस विषय पर, लेकिन सारे आंकड़े मौजूद हैं । पर्यावरण पर 178 करोड़ रुपये रखा गया है । अन्तराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं, अगर बहुगुणा जी पूछें तो समझा सकता हूं । न जाने कैसे बिना सोचे समझे इस काम को बन्द किया जा रहा है । गुजरात में नर्वदा डैम को नहीं रोकने दे रहे हैं । उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि सभी सदन के सदस्य मिलकर एक हों और मुख्य मंत्री जी आप नेता सदन का रोल अदा करें और सर्वसम्मति से आवाज पहुंचायें । एम0डी0एम0 का आर्डर है, दफा 144 को लगाने का । शायद यह आप तक न आया हो । एक साल निकल जायेगा इसमें और जो हमारी जिम्मेदारी केन्द्र ने ले लिया है । अब तक ऐसा होता है, श्रीमन् इस अभिभाषण में पर्वतीय क्षेत्र का उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार से विकास की रणनीति की जायेगी । पर्वतीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि विकास का प्रयास किया जायेगा, न पूर्वांचल का उल्लेख है, न पूर्वी उत्तर प्रदेश का, न बुन्देलखण्ड का है और न मध्य उत्तर प्रदेश का उल्लेख है और न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उल्लेख है । पर्वतीय क्षेत्र का उल्लेख है,

तो उसमें रणनीति का उल्लेख नहीं है। पूर्वान्चल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी है। इसका मुख्य कारण यह है कि आबादी ज्यादा है, भूमिहीन ज्यादा है, खेतिहर मजदूर ज्यादा हैं और जोत कम है। जौनपुर जिला है, सबसे कम जोत वाला जिला है। इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले इसके शिकार हैं। अब हमें इसकी रणनीति बनानी है, पूवी उत्तर प्रदेश के लिए। हमारी नीति यह है कि 7वीं योजना में धान की खेती को बढ़ाने के लिए, टेक्नालोजी मिशन कायम किया जाये। धान की खेती का उत्पादन पिछले 5 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ा है। 12 कुन्तल प्रति हेक्टेयर से 19 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गया है, उनकी मेहनत से, हम उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के लेवल पर लाना है। अब वह समय नहीं है कि सारे प्रदेश के लिए एक सी रणनीति बनायी जाये। हर जिले की बनानी होगी, हर ब्लाक की बनानी होगी। ऊसर जमीन कैसी है, माइक्रो प्लानिंग जिसे कहते हैं, किस तरह से पैसा लगायेंगे। आज उन जिलों में वही योजना चालू है। बुन्देल खण्ड में राज घाट बांध का क्या होगा। उसका कोई पैराग्राफ होना चाहिए इस अभिभाषण में कि राजघाट बांध को पूरा किया जायेगा, 8वीं योजना के अंतर्गत।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप इस ओर से कितने ज्ञान की बातें बता रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य बहुत पुराने समाजवादी सदस्य हैं, हम नहीं समझते कि वह हमारे ऊपर अन्याय करेंगे। आपने कहा तो फिरोजाबाद जिला बनाया गया। राजघाट बांध के लिए 14 करोड़ से और मध्य प्रदेश के खर्च से काम चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के दौरान बार-बार मत बोलिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैंने जो उल्लेख किया कि रीजनल जो हमारे प्रदेश की समस्यायें हैं उनका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में होनी चाहिए थी। जैसे इसमें पर्वतीय क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक किया गया। लेकिन उसको कोई रणनीति नहीं बतायी। पहले यह पद्धति रही है। मैं नेता विरोधी दल के दायित्व से च्युत अपने को कहूंगा क्योंकि आप चाहेंगे कि मैं वैसे ही बोलूं जैसे मैं नेता सदन हूं। अब जवाबदेही मेरी नहीं, आपकी है। लेकिन किसी भी मुद्दे पर, राजघाट के बारे में आप देख सकते हैं, बुन्देलखन्ड के विकास के लिए, तहां पर ट्यूबवेलों की आवश्यकता है उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी। सैटेलाइट के जरिये आपको देखना होगा। हमीरपुर झांसी में पानी नहीं है, जालौन है, हमीरपुर, है, ललितपुर है जहां पानी मिल सकता है, वहां पर ट्यूबवेल खोदने होंगे। एक पैराग्राफ में आप बता सकते थे कि इन स्थानों के लिए हमारी यह रणनीति है। हरदोई जिले को देख लीजिए। हमारा जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहां पर विकास की दर प्रदेश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में घट रही है। यह बड़ी सीरियस बात है क्यों यह कम हो रहो है मध्य प्रदेश के जिलों में। आपने दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों व्व उल्लेख किया। वहां पर

सड़कों का कार्यक्रम चल रहा है । ठीक है । लेकिन मध्य प्रदेश के जिलों के लिए आपको वहां के विकास के लिए विशेष रणनीति बनानी होगी और उसका ध्यान रखना होगा । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो विकसित अंचल हैं जैसा मैंने टेहरी का उल्लेख किया, इसी-लिए किया है । इसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य उत्तर प्रदेश को होगा । वहां पर गेहूं धान आदि की फसल सिंचाई के माध्यम से बढ़ सकेगी । इसी तरह से पूर्वांचल की स्थिति है ।

उद्योगों के विकास की बात आपने कही कि हम इसका बुनियादी ढांचा बढ़ायेंगे । मैं इसके बारे में एक खतरे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे इसमें नई नीति यह दिखाई दे रही है कि जहां छोटे और ग्रामीण उद्योगों का उल्लेख है वहीं पर भारी उद्योगों की तरफ से ऐसा लगता है कि हमारे जितने काम हो रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे दुश्मन हैं...

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसा नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जो बात आपने नहीं कही होगी, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि पुरानी सरकार ने सारा ध्यान भारी उद्योगों की तरफ लगा दिया है । ऐसा नहीं है । आखिर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी क्यों घट रही है? उत्तर प्रदेश भारी उद्योगों में पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल से क्यों पीछे है । पश्चिमी बंगाल में हल्दिया में पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री लगा दी गई है । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता ज्योति बाबू क्यों उनको बुला रहे हैं पश्चिमी बंगाल में कि यहां आकर रुपया लगाओ । कोई हम पर आरोप नहीं लगा सकता । बड़े-बड़े उद्योगपति वहां अपना पैसा लगा रहे हैं । पंजाब में लगा रहे हैं, दूसरे प्रान्तों में लगा रहे हैं । वे अपनी उद्योग नीति बना रहे हैं । हमने उद्योग नीति बना रखी है । माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उसको देखे आपको 5 हफ्ते ही हुये हैं । हमने उत्तर प्रदेश में उद्योग नीति बना रखी है । जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा, बागपत में आगरा में इलेक्ट्रानिक उद्योग, आगरा बैराज, गोकुल बैराज, यह सब उसी के अंग हैं । यह एक रणनीति है जिससे पानी मिले आगरा को, मथुरा को और उद्योग भी वहां पर लगें ।

हर इलाके के लिये औद्योगिक रणनीति हमने बनाई है । हमने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को बिना प्रोत्साहन दिये कोई नहीं आयेगा । आप तमिलनाडु को देख लीजिए वहां डी0 एम0 के0 सरकार ने कितना प्रोत्साहन दिया है, बंगाल में ज्योति बासू बाबू ने प्रोत्साहन दिया है उससे उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं करता है एक अच्छे मार्क्सवादी होते हुये वही चीन में टिंग साओ पिंग ने किया और रूस में गोर्बाच्योव साहब कर रहे हैं । अगर आप यू0 पी0 में 5 सालों में औद्यो-गिक नीति ठीक से नहीं बनायेंगे तो उद्योग आपके हाथ से निकल जायेंगे और उद्यमी दूसरे प्रदेशों में चले जायेंगे और हम पिछड़े के पिछड़े रह जायेंगे। जो प्रतिव्यक्ति आय हमारी है उसे बनाये रखने के लिये भी हमें उद्योग लगाने पड़ेंगे । 5 लाख घरेलू उद्योग की नीति हमने बनाई, हमने इसका प्रस्ताव रखा । कल यह प्रश्न पूछा गया था यह हमारा ही प्रश्न था जिसे आपने स्वीकार कर लिया । मैं इसका श्रेय नहीं लूंगा

आपका भी उसमें सुझाव रहा होगा उसमें आपका भी श्रेय है । 3 लाख छोटे उद्योग लगाने का भी हमारा ही प्रस्ताव है तथा भारी उद्योगों के लिये भी हमने प्रस्ताव रखा है । उत्तर प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स में सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है । उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रगति पिछले 5 सालों में 12 फीसदी हुई है यह आगे भी बढ़े इसके लिये आपको प्रयास करना होगा आप 12 से 15 ले आयें तो हमें शिकायत नहीं होगी हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन आपने इसका उल्लेख कहीं नहीं किया है कि क्या नई उद्योग नीति बनायेंगे । इनफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना सुविधा की बात कही है लेकिन उससे स्पष्ट नहीं होता है । जौनपुर में एक नया नौयडा जरूर बना रहे हैं ---

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जौनपुर आपका आदर्श जिला बन गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो खड़े होकर पूछ लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अगर आप जैसे कर्मठ सदस्यों का सहयोग रहा तो मैं बलिया के बारे में जरूर कहूंगा कहने तो दीजिये । गोरखपुर में सहजनवा में इंडस्ट्रियल इस्टेट हमने स्थापित किया है । हर ब्लाक में इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित करने की बात हमने की है । 337 ब्लाकों में इण्डस्ट्रियल इस्टेट बन चुके हैं। तो इस काम को जारी रखने के लिए मैं याद दिला रहा हूं । विरोधी दल का नेता होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है, यह काम आगे चलता रहे जिसका उल्लेख इसमें नहीं है इसलिये इसका उल्लेख कर रहा हूं ।

शिक्षा नीति के बारे में मुझे दुख हुआ कि सरकार की ओर से यह कहा गया कि पब्लिक स्कूलों को बन्द कर देंगे, दोहरी शिक्षा नीति कहा गया है कि नहीं होगी और यह पब्लिक स्कूल ठीक नहीं हैं, अंग्रेजी पढ़ना उचित नहीं है । ठीक है अंग्रेजी का प्रभाव कम हो ।

श्री देवी प्रसाद–

जब आप सोशलिस्ट थे अंग्रेजी के विरुद्ध आप बात कहते थे हमें सिखाते थे लेकिन आज यह विचार कैसे बदल रहे हैं यह आज क्या सिखा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जो भी सम्बोधन माननीय सदस्य करें वह इधर सम्बोधित करके करें

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं किसी माननीय सदस्य को सिखाने की हैसियत नहीं रखता अगर आप खुद सीख जांय तो आपकी कृपा है । तो मैं यह कह रहा था कि अगर पब्लिक स्कूल बन्द होने हैं तो सारे देश में बन्द होंगे क्या या उत्तर प्रदेश में ही बन्द होंगे ? इस संबंध में तो स्व0 डा0 संपूर्णानन्द के समय में भी बहुत विवाद हो चुका है । अंग्रेजी कम पढ़ें और जो कंपलसरी थी वह न रहे यह किया गया लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है, चूंकि अंग्रेजी राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में जारी रही और

दूसरे प्रदेशों में पब्लिक स्कूल खुलते रहे तथा अंग्रेजी पढ़ना जारी रहा एवं अंग्रेजी के साथ-साथ जर्मन और रीसयन भी पढ़ने लगे ताकि टैक्निकल किताबों से ज्ञान उपलब्ध हो सके, जबकि यू0 पी0 अंग्रेजी में पीछे रह गया । इसलिये दुबारा मजबूरन अंग्रेजी की पढ़ाई को चालू रखना पड़ा क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी का चलन है । इसलिये पब्लिक स्कूलों का बजाए विरोध करने के नवोदय स्कूल जिनकी आलोचना हुई है, नई शिक्षा प्रणाली की, जबकि नवोदय स्कूल गरीबों के स्कूल हैं । मान्यवर, एक कठिनाई मुझे और हुई पब्लिक स्कूल अल्पसंख्यकों के हैं, यह पब्लिक स्कूल बन्द नहीं हो सकते हैं क्योंकि माण्टेसरी स्कूल आज गांव-गांव में खुले हैं और खोन्चे वाला भी अपने लड़के को वहां पढ़ा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी मानसिकता को रखे, लेकिन अंग्रेजी दुनिया में आज जानने की मीडिया है, उससे लोगों को वंचित रखें, पब्लिक स्कूल बन्द कर दें मैं समझता हूं कि इस पर अवश्य विचार होगा ।

श्रीमन्, फ्रांस में मैंने यह देखा कि लोग अंग्रेजी से चिढ़ते थे, लोग जानते थे लेकिन बोलते नहीं थे लेकिन आज फ्रांस बदल गया है और वहां के लाखों लोग अंग्रेजी बोलते और सीखते हैं । मैं अंग्रेजी की वकालत नहीं करता लेकिन जो यह कहा गया कि पब्लिक स्कूल नहीं होना चाहिए तो मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और कम से कम पब्लिक स्कूलों को आगे से भारतीय ढंग के होंगे एसा कहेंगे तथा नवोदय विद्यालयों को बढ़ायेंगे। श्रीमन्, आप देखें कि अंग्रेजी समाचार पत्रों का सरकुलेशन कितना बढ़ गया है, दूसरे भी बढ़े हैं लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्रों का सरकुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है दूसरों की अपेक्षा ।

श्रीमन्, अखबारों में 6 बार मैं पढ़ चुका हूं कि सरकार की नीति है, नयी शिक्षा नीति में पब्लिक स्कूल बन्द होंगे । अंग्रेजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, यह कहा जा रहा है । यह गलत है । मैं नहीं चाहता हूं कि अंग्रेजी सब को पढ़ना पड़े लेकिन अंग्रेजी का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है । मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश के लड़के कम्पीटीशन में कम आयें जबकि आज ज्यादा आ रहे हैं ।

वे न आए आल इण्डिया कम्पटीशन में तो आरक्षण का क्या मतलब रह जाएगा .

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मैं यह जानना इनसे चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि नेता विरोधी दल ने पब्लिक स्कूल में तो कभी शिक्षा पाई नहीं, नेता विरोधी दल चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और जो हमारे हाईस्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा का स्तर गिराने का श्रेय इनका और इन्हीं लोगों का रहा है और उसी के कारण इन पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा मिला है और आज गांव-गांव में पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं । आप प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर न गिराते तो इन पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा न मिलता ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं आपको तालियां पीटने के लिए बधाई देता हूं । मैं यह निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश कोई देश नहीं है । सारे भारत में क्या नीति चलती है, दूसरे प्रदेश क्या करते हैं, उसे भी हमें देखना पड़ता है । यहां 8 साल तक अंग्रेजी पढ़ने पर हमने रोक लगाई, कोशिश हुई इस बात की । लेकिन इसके बाद जब देखा कि इससे हमारे प्रदेश के नवजवानों का नुकसान हो रहा है, ये अखिल भारतीय कम्पटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और विदेशों में उनको सफलता कम मिल रही है, तो फिर उस कदम को रोकना पड़ा । तो फिर आज उसी रास्ते पर हम चलें कि पब्लिक स्कूल बन्द कर दिए जाएंगे तो यह हमारे प्रदेश के हित में नहीं है और न होगा । यह सारे भारत में हो तभी ठीक है । आपने प्रदेशों को जिस प्रकार की जो स्वतंत्रता देने की बात कही है, उसमें तामिलनाडू नहीं मानेंगे, आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र कभी नहीं मानेंगे । इससे हम पिछड़ जायेंगे और वह आगे निकल जाएंगे ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं यदि यह दोहरी शिक्षा नीति चलती रही, तो उसके चलते जो लोग समाज में लास्ट एण्ड लीस्ट पर खड़े हैं, वह लोग इस कम्पटीशन में कैसे आ पाएंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

यदि यह प्रश्न आप शिक्षा मंत्री जी से पूछें तो बहुत ही अच्छा होगा। यह दोहरी शिक्षा नीति का प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है । इसको आप दोहरी तिहरी या चौथी कुछ भी कहें, किन्तु यह सारे देश का प्रश्न है । शिक्षा–नीति ऐसा आसान विषय नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन भी इसमें है, भारतीय शिक्षा बोर्ड भी इसमें है और प्लानिंग कमीशन भी इसमें है । आप ऐसा न करें, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर कम हो जाएं और इस आरक्षण के बावजूद हम लोग उसमें न आ पायें ।

श्री सुरेश यादव–

माननीय नेता विरोधी दल से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई स्पष्टीकरण हो तो बता दें ।

श्री सुरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी काबिलियत के चर्चे अखबारों से सुनता रहता हूं उत्तर प्रदेश, हिन्दुस्तान के अलावा कोई ऐसा देश है जहां दो तरह का विभाग बनाने का काम होता हो, जहां दोहरी शिक्षा प्रणाली चलती है ? मान्यवर, अगर पब्लिक स्कूलों को मान्यता दी जाएगी, तो गांव में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी । हमारी साक्षरता घटेगी या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जैसा हमारे विद्वान सदस्य ने कहा है इस विषय पर सुनते-सुनते 50 साल हो गए इसमें मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने को तैयार हूं । दूसरे देशों को जो उन्होंने बात कही, तो जर्मनी के विद्यार्थी को पांच भाषा अनिवार्य रूप से पढ़नी होती है। इसी तरह से स्कैन्डनेविया और रूस के विद्यार्थियों को फ्रेंच, जर्मनी और अंग्रेजी भाषा पढ़नी होती है । आज का युग टैक्नालौजी का युग है । जापान के लोग इसीलिए हर चीज में आगे हैं क्योंकि जापान के लोग जर्मनी अंग्रेजी आदि भाषा जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग कृपया बैठ जाएं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं आग्रह करूंगा कि हम और आप ऐसी मानसिकता बनाए, अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें । सारी खिड़कियां दिमाग की बन्द कर देंगे तो क्या हो सकता है?

श्री मुख्तार अनीस–

आपकी जानकारी का पूरा फायदा उठाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं––(व्यवधान) दुनियां का ऐसा कौन सा देश है जहां विदेशी माध्यम से, विदेशी भाषा के माध्यम से सरकार चलती है विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है ।

(विपक्ष के कई सदस्य के द्वारा एक साथ "ईरान" कहने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल बोल रहे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार-बार आप बोलते रहें और उन्हें बोलने ही न, दें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं यह आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी समाजवादी विचारधारा के हैं । समाजवाद में नहीं, संसार में क्या हो रहा है, शिक्षा नीति क्या हो रही है इसका अध्ययन करेंगे, मैं तो सोच रहा था कि स्वास्थ्य नीति में कोई परिवर्तन लाएंगे, लेकिन यह रूढ़िवादी विचारधारा का पोषण कर रहे हैं, तो कैसे क्या होगा? संसार में बहुत से देश ऐसे हैं वहां ऐसी ही व्यवस्था है जैसी कि आप कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब आप लोग उन्हें बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मुझे क्या एतराज हो सकता है, पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दीजिये. अंग्रेजी पढ़ाना बन्द कर दीजिये, मैं तो जो खतरे का बिगुल बज रहा है, उसके बारे

में कह रहा था कि इससे उत्तर प्रदेश का नुकसान होगा । बहुमत आपका है, बहुमत इस्तेमाल करके पब्लिक स्कूलों को बन्द कर दीजिये, कह दीजिये हिन्दी रहेगी, यही आप चाहते हैं शायद ।

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप अंग्रेजी की वकालत कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष–

कितने सुन्दर रूप में माननीय नेता विरोधी दल अपने विचार रख रहे थे आपने व्यवधान डालना प्रारम्भ कर दिया । आप उनको बोलने दें । आपको समय मिलेगा, आप खंडन करियेगा उनकी बात का ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, केवल अंग्रेजी की बात नहीं है । उर्दू भाषा है, तामिल है, तेलगू है और अन्य भारतीय भाषायें हैं, उन सबका अपना-अपना स्थान है । उनके महत्व को हम कम नहीं कर सकते हैं । अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले वर्षों में लोकतंत्रीय संस्थाओं की पवित्रता को ठेस पहुंची है । लोकतंत्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाते हुए उनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार कृत संकल्प है । इसी दिशा में ऐसे 10 जनपद जहां जिला परिषदों का गठन नहीं हो सका, उनमें शीघ्र निर्वाचन सम्पन्न कराधा जायगा ।

श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री जी अगर बोलेंगे तो बतायेंगे कि कौन सी संस्थाओं को ठेस पहुंची । हमारी सरकार ने नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं, जिलापरिषदों, विकासखण्डों आदि के चुनाव कराये । यह जो 10 रह गये हैं यह नये जिलों के गठन होने के कारण रह गये हैं क्योंकि उनकी मतदाता सूची, कौन सा ब्लाक कहां जायगा, इस वजह से चुनाव होने से रह गये । इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की पात्रता को कैसे ठेस पहुंची यह संदर्भ से परे की बात है ?

श्री जसवंत सिंह बिष्ट–

मा0 नेता विरोधी दल एक स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बिष्ट जी क्या आपका अभिभाषण पर बोलने का इरादा नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल जिसका सम्बोधन मुझे नहीं है उसका स्पष्टीकरण न दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, एक बात जो राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है कि लोकतंत्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाते हुये उनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा को पुरःस्थापित करने के लिये सरकार कृत संकल्प है, तो मैं समझता हूं कि क्या उनको कोई अधिकार दिये जायेंगे । ग्राम सभाओं, जिला परिषदों और अधिक अधिकार दिये जायेंगे । चलिये जवाहर रोजगार योजना को आपने मंजूर नहीं किया तो उसकी जगह पर क्या कोई दूसरी योजना लायेंगे और ग्राम सभाओं, नगर पालिकाओं, ब्लाकों को स्थानीय शासन का अधिकार देंगे जो हम नहीं दे पाये । इसके लिये हम संविधान में संशोधन कर

रहे थे जो आपको मंजूर नहीं हुआ । आप क्या करेंगे इसके बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है । बल्कि इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि आज 2 विधेयक यहां पर पुर:स्थापित हुये हैं । उन विधेयकों में महानगर पालिकाओं के अध्यक्ष और जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लाक प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव बजाय 2 साल के एक साल में लाने का कार्य किया गया है । यह विधेयक अभी-अभी पुर: स्थापित हुये हैं क्या अर्थ है इसका, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा ? क्या अस्थिरता नहीं आयेगी ? दो साल के बजाय एक साल क्यों किया जा रहा है ? श्रीमन्, यह मेरे पास विधेयक रखा है । क्या इससे जिला परिषदें मजबूत होंगी, नगरपालिकाएं मजबूत होंगी ? इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं । यह दो साल का क्यों रखा गया था । यह सारी सेलेक्ट कमेटी ने दो साल बनाया था । इस सदन की प्रवर समिति में सारी पार्टी के लोगों ने मिलकर दो साल का किया था । पहले उनको स्थिरता देना चाहिए । स्थिर सरकार हम चाहते हैं कि पांच साल तक चले । हम तो स्थिर रहें, अविश्वास के प्रस्ताव एकदम तुरन्त आयेंगे । ऐसे प्रदेश में ऐसा माहौल हम बना रहे हैं, उससे जिला परिषदों में कारपोरेशनों में अविश्वास के प्रस्ताव को प्रोत्साहित कर रहे हैं । हम उनको इनकरेज कर रहे हैं । क्या यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है ? उस समय सर्वदलीय समिति ने इसे रखा था । और कुछ लोग कहें कि क्योंकि कांग्रेस का बहुमत है जिला परिषदों में, नगरपालिकाओं में, टाउन एरियाज में, या ब्लाकों में इसीलिए किया जा रहा है कि वहां पर विश्वास हो, यह सवाल उठ सकता है । भारतीय जनता पार्टी नम्बर दो में है, मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी से इसमें कोई परामर्श हुई या नहीं हुई । लेकिन मैं यह कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार कर लें ।

श्री राम तेज–

इस सदन में नम्बर दो में तो आप हैं, मान्यवर ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

संख्या के स्थान पर नम्बर 2 बी0 जे0 पी0 का है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब आपस में बातों का आदान-प्रदान न करें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एक लाख के आबादी के नगरपालिकायें हैं, वहां पर चुनाव सीधे हुए हैं, वहां के चेयरमैन को एक साल का समय करने की जो बात है, वैसे वह प्रजातांत्रिक सिद्धान्त के विरुद्ध है और यह दो साल जैसा मैंने कहा कि यह सोच-समझ करके इसीलिए किया गया था, क्योंकि डाइरेक्ट एलेक्शन चेयरमैन का हो रहा है । पहले एक बार डाइरेक्ट चुनाव हर एक का हुआ, फिर इनडाइरेक्ट हुआ, फिर डाइरेक्ट हुआ, फिर इनडाइरेक्ट हुआ । कई बार इसमें

बड़ी गम्भीरता से सब दलों ने बैठकर विचार किया, तब दो साल का आया । एक और विरोधाभास इस शासन में देखने को हमें मिला । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करें कृपा पूर्वक । एक ओर तो जो नामजद हुए हैं जिला परिषदों में, उनकी नामजदगी का समय घटकर एक साल किया जा रहा है, जो पांच साल के लिए हुए हैं, उनकी नामजदगी को घटाकर एक साल किया जा रहा है ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

अरे विजय सिंह जी, आपकी विजय तो हमेशा है, जरा मुझे बोल लेने दीजिए । दूसरी ओर जो नगर पालिकाएं हैं 2 माननीय सदस्य इसमें रहते हैं पहले एक थे । उनकी जो समस्या है वह गवर्नमेन्ट के ऊपर परिषद् स्वरूप लगी है । जो आप नामजद करेंगे वह सरकार की इच्छा पर है और जो नामांकित पिछली सरकार ने कर दिए वह एक ही साल के लिए, यह मानदण्ड कैसा है अलग-अलग उसको भी एक साल के लिए रखते । तो हम लोगों ने यह दर्जा बराबर कर दिया जिलापरिषदों में नामांकित किया जो एक साल है और जो म्युनिसिपल बोर्ड में नामांकित हैं उनमें भी एक साल है तो मैंने महिलाओं का आरक्षण जिला परिषद में भी कर दिया ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

तो यह विरोधाभास है एक तरफ का । आप नामांकन करेंगे वह सरकार की मर्जी पर निर्भर है और हमारे नामांकन किये गये हैं वह एक साल में खत्म हो जायेंगे । मैं समझता हूं कि इससे बहुत आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी नहीं । मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी और उनके सहयोगी हमारे स्वायत्तशासन मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी आज नहीं हैं, मिलकर विचार इस पर जरूर करेंगे क्योंकि स्पष्ट विरोधाभास है । ऐसा विरोधाभास मैं समझता हूं कि जो 27 प्रसार में रखा गया है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । अब आरक्षण पर आइये ।

आरक्षण को हमने, कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाते समय और उसके पश्चात लगातार अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण किया है और आरक्षण का समर्थन किया है इसके लिए पूरी तरह से हम बचनबद्ध हैं । इस तरह से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत हुआ है, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगदान करने का और इसे 77 से किया है, 77 से 15 फीसदी आरक्षण किया, 2 प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का, 3 प्रतिशत इक्स सर्विसमेन का है उसको भी कुल मिलाकर सुप्रीमकोर्ट के आदेश हैं कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण न हो उसके अन्दर ही हो सकता है । लेकिन हुआ क्या है कि आरक्षण के बारे में खुद अलग-अलग कंठों से अलग-अलग घोषणा हो गयी जो बात अभिभाषण में भी लिखी हुई है यह भी स्पष्ट है पृष्ठ 14 में पैरा 28 में लिखा है "मेरी सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप वर्तमान आरक्षण नीति को मजबूती से लागू करेगी" तो वर्तमान आरक्षण नीति जो है उसका हम समर्थन करते ही हैं, सारा सदन समर्थन करता है तो लागू तो है ही 18 फीसदी अनुसूचित जाति, 2 फीसदी अनुसूचित जन जाति 20 फीसदी, 15 फीसदी पिछड़ी जाति 35 फीसदी 2 फीसदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 37 फीसदी और 3 फीसदी इक्स सर्विसमैन के लिए तो यह चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किये गये हैं वह वायदे भी स्पष्ट नहीं हैं जो केन्द्र में किये जा रहे हैं ।

आज एक वरिष्ठतम मंत्री उपप्रधान मंत्री भी हैं वह कहते हैं कि आर्थिक आरक्षण के लिए संघर्ष करूंगा, मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करूंगा। दूसरी तरफ सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान आता है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण लागू करने का संकेत दिया गया है, तीसरे मंत्री बोलते हैं लखनऊ में वाराणसी में कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के बाद यह सरकार इस विषय पर पुनः विचार करेगी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण जारी रखा जाय या नहीं तो यह अलग अलग वाणी अलग-अलग केन्द्रीय मंत्री बोल रहे हैं। उससे स्थिति विषम हो रही है और यह परिस्थिति पेश हो रही है। हम नहीं चाहते हैं, हिंसात्मक आन्दोलन का विरोध करते हैं, 4 विद्यार्थियों की मौत हो गयी गोली से तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए वर्तमान आरक्षण नीति जारी रहेगी यह मंडल आयोग जो है यह केन्द्रीय आयोग था केन्द्र ने इसमें पहले कैबिनेट बनाया था। तो साफ-साफ बात होनी चाहिए लेकिन कोई कहता है कि आरक्षण होगा कोई कहता है इसको देखेंगे। मेरे पास सारी कटिंग अखबारों की मौजूद है।

(4 बजकर 20 मिनट)

यह सभी प्रकार के अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, जागरण, नवजीवन, हिन्दुस्तान सभी अखबार हैं, अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग समाचार पत्र हैं। एक नीति होनी चाहिये केन्द्र की और राज्य की। वर्तमान आरक्षण नीति जो अभिभाषण में कही गयी है, यह ठीक है, हम सहमत हैं। वर्तमान आरक्षण नीति को सुदृढ़ रखने में हम आपके साथ हैं। अब यह नहीं कह दीजियेगा कि रोजगार का अधिकार हो जायगा तो दूसरी बात हो जायगी। मुण्डे मुण्डे मतों भिन्ना नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कर्मचारियों का जो प्रश्न है, जो राज्य कर्मचारी हैं, अधिवर्षता के आधार पर जो सेवा विस्तार की बात कही गयी, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कर्मचारियों की है, जो विसंगति समिति बनाई थी, उसकी कुछ संस्तुतियां मान ली थीं, हमने मान ली थीं, लेकिन नयी सरकार बनने के बाद आपको माननी थीं, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी या अध्यापक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको यह निश्चित हो जाय कि उनकी केन्द्र के बराबर तनख्वाह हो गयी है। दिक्कत की बात यह है कि प्रदेश में हड़तालों का वातावरण है। हमको किसी न किसी तरह ऐसी मशीनरी बनानी है कि हड़ताल का जो वातावरण है, उनकी केन्द्र के बराबर वेतन की जो मांग है, वह एक बार पूरी हो जाय क्योंकि दूसरे अन्य प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र ने भी केन्द्र के समान दे दिया तो हमने भी यहां के कर्मचारियों को केन्द्र के समान ला दिया। जो विसंगतियां हो गयीं जो 500 के करीब हैं उनमें से 257 में सिफारिश हो गयी, दूसरी जो रह गयी हैं, उनको भी दूर हो जाना चाहिये। तब राज्य में कर्मचारी वर्ग पूरे मनोयोग से काम करेंगे और हम कह सकेंगे कि सारी मांगें पूरी हो गयी हैं

आप स्थानीय निकायों के बारे में विचार कर लें, उसकी रिपोर्ट देर से आयी थी, हम चाहेंगे कि स्थानीय निकाय और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के बारे में विचार

करके अपना निर्णय दे दें जिससे कि उनकी हड़ताल रुक जाय और हम कह सकें कि उनकी बुनियादी मांगें मान ली गयी हैं और अब वे काम में लग जायं । कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा और वे पूरे मनोयोग से काम नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार हो, असफल हो जायगी । इसलिए हम चाहेंगे कि जो विसंगति हो गयी है और जो दो रिपोर्टें विचार के लिये बाकी हैं, उन पर अवश्य मंत्रिमण्डल विचार करे । उद्योग नीति के बारे में कह चुका हूं । इसी तरह से पेंशन का मामला है । सरकार ने अच्छा काम किया है कि उसे 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया । हम भी करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन नजदीक आ गया था, लोग कहते कि इलेक्शन के कारण कर दिया । लेकिन आप देखें, अखबारों में घोषणा हुई है कि प्रत्येक वृद्ध और विधवा को पेंशन दी जायगी । रेडियो और अखबारों में यह घोषणा हुई और अखबारों में छपा कि प्रत्येक वृद्ध को वहीं पर पेंशन मिल जायगी, विधवा को मिल जायगी और वृद्ध को खास तौर पर देखा । लेकिन बाद को वृद्ध, वृद्धा और विधवा भी मैंने सुना । एक ही में रखा गया कि बढ़ाया जायेगा इससे 20 करोड़ रु0 खर्च होंगे । हम भी जानते हैं कि संसाधन की हालत भी क्या है । हमने भी हिसाब लगाया, आपके लिये नहीं छोड़ दिया इतनी आसानी से । हमने जो हिसाब लगाया, जो वृद्ध हैं 90 लाख लोग हैं जहां तक मुझे याद है कि जो पेंशन के पात्र होते हैं 60 साल से ऊपर के । 45 लाख ऐसे हैं जो निराश्रित हैं अगर आप उनका हिसाब लगायें, विधवाओं को छोड़ दें, बारह सौ करोड़ रु0 पेंशनों के लिये केवल, हमें 12 सौ करोड़ रु0 देना होगा, इसका साल भर में प्रबन्ध करना होगा, अगर सबको देने लगे । लेकिन क्षमा करें शासन के लोग यह जो बाहर खबर पहुंची है लोग समझ रहे हैं कि सबको पेंशन मिल जायेगी, एक आशा उनमें घर कर गयी है । पेंशन बढ़ायी गयी 60 रु0 से 100 रु0, उम्र घटायी गयी 65 वर्ष से 60 वर्ष, आज जो उत्तर आया है प्रश्न को, उसमें स्थिति दूसरी है । अब इस हिसाब से बाकी लोगों का क्या होगा ।

पहले के समाचार पत्र हमारे पास रखे हुए हैं, आपके पास भी होंगे । पूरी चीज स्पष्ट होनी चाहिये । आधिकारिक रूप से घोषणा पर सोचना होगा कि अब क्या किया जाये किस तरह से समाधान निकले यह बात भी बहुत जरूरी है । इसी तरह से गन्ने के दाम की बात है । गन्ने के दाम बढ़े अखबारों में पढ़ा अच्छा लगा । हमने भी बढ़ाये थे गन्ने क दाम 2 सीजन में गन्ने के दाम 9 रु0 तक बढ़ाये । पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के दाम एक किये । गन्ने की कीमत को आपने 3 रु0 और बढ़ा दिया । इसमें एक रु0 तो हमने कम कर ही दिया था जो ट्रांसपोर्ट चार्ज 2 रु0 था वह घटाकर 1 रु0 कर दिया गया था । लेकिन, आपका वायदा तो पूरा नहीं हुआ । वायदा तो आपका 50 रु0 क्विंटल का था ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

60 रु0 क्विंटल का वायदा था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आप 60 रु0 बता रहे हैं । खैर, मैंने तो 50 रु0 ही कहा । मेनिफेस्टो तो बना दिया लेकिन क्या सोचा गया कि इससे भार कितना पड़ेगा । अब देखना है कि

अंत में गन्ने की पूर्जियों में बकाया कितना रहता है । चीनी के दाम पर अभी असर नहीं पड़ा है लेकिन आगे जो चीनी के दाम हैं उससे किसान नाराज हो जायेगा । लेकिन, कोई बात नहीं । आपने 50 रु0 क्विंटल का जो वायदा किया था, वह दे पाये ? केवल गन्ने के दाम की बात नहीं है, गेहूं के दाम, चावल के दाम, सोयाबीन के दाम, हमें दाम नीति बनानी होगी । गन्ने की नीति की बात है, बड़ी बधाई दे रहा हूं, इस बारे में मुझे शिकायत नहीं है । लेकिन वायदे कितने बड़े हो जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं और वह बाद को परेशानी बन जाते हैं । इसी तरह से पुलिस के बारे में और बिजली के बारे में बात है । यह घोषणा हुई कि 14 घंटे बिजली गांवों को दे दी जायेगी आदेश दे दिये गये हैं । हमने भी आदेश दिये थे । 13 घंटे 45 मिनट का एवरेज हमारा पड़ा हमारी बिजली की सप्लाई में । कठिनाई क्या है आपके आदेश लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं । तमाम अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि फलां जगह बिजली नहीं मिल रही है, कहीं ग्रिड फेल हो गया है कहीं आंख मिचौली हो रही बिजली की । यही समस्या हमारे सामने भी थी, आपके सामने भी है । उसका कारण है ? इसको 8वीं योजना में हमको दूर करना है । हम 14 घंटे सप्लाई की घोषणा करें, आप किसान को 14 घंटे बिजली दे ही नहीं सकते हैं । कहीं ट्रांसमीशन लाइन खराब है, कहीं डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिम में दिक्कत है, भारी मात्रा में बिजली की चोरी हो रही है, 8वीं योजना में सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना होगा जो सब स्टेशन खराब पड़े हैं उनको ठीक करना होगा ट्रांसमीशन लाइनों को ठीक करना होगा । हम लोगों ने 110 करोड़ रु0 की योजना बना रखी थी । मेहरबानी करके जो हम लोगों ने मेहनत कर रखी है उसको देखिये । क्योंकि सभी मसलों पर अध्ययन कर एक योजना बना रखी है । जो वर्तमान स्थिति है उसमें 14 घंटे बिजली देना सम्भव नहीं है किसानों को । जो बिजली बोर्ड की हालत है, वह बहुत कठिन है, मैं उससे सहमत हूं, वहां तमाम आर्थिक कठिनाइयां हैं, लगभग 400 करोड़ रुपये का घाटा है और सब्सिडी जो हो रही है, वह 34 रुपये प्रति यूनिट है । आप गांवों को 14 घंटे बिजली नहीं दे सकते हैं और न ही हम दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिये सारे सिस्टम को ठीक करना होगा । इसीलिए हमने आंठवी योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (पारेषण और वितरण) को ठीक करने के लिए बनायी है, मुझे आशा है कि आप उसको क्रियान्वित करेंगे ।

इसी तरह ग्रामीण विद्युतीकरण नियम से भी हमने सर्वे कराया था, नये किस्म के ट्रांसफारमर बनवाए हुए हैं । आपने कह दिया कि 14 घंटे गांवों को बिजली देंगे, इसकी वजह से आप कर्मचारियों पर कार्यवाई करें, यह ठीक नहीं है । आपस में टकराव हो, जैसा कि बिजली बोर्ड में होता रहा है । मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में कोई ठोस उपाय करेंगे और केन्द्र के पावर फाइनेन्स कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के पास जो पैसा है, उनसे उस पैसे को लेकर सबसे पहले बिजली के पारेषण और वितरण को मजबूत करेंगे । मेरा निवेदन है कि जैसे बनारस शहर है, फिरोजाबाबाद है, शाहजहांपुर है, ऐसे अन्य तमाम शहर हैं, जहां विद्युत की प्रणाली खराब है, उनको इस साल में पहली प्राथमिकता देंगे । इसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं हो

जायगा, जिससे बिजली की व्यवस्था न सुधरे । इसी तरह आपने कहा कि पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जायगा । पुलिस व्यवस्था में क्या परिवर्तन होगा, यह स्पष्ट नहीं है । इण्डियन पुलिस सर्विस और हर सर्विसेज के कुछ नियम कायदे बने हुए हैं और पुलिस की सेवा अखिल भारतीय है और संविधान के अन्दर इसकी गारन्टी है, इसमें आप आमूलचूल परिवर्तन कर ही नहीं सकते ।

आप कोई आमूलचूल परिवर्तन करना भी चाहें, तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको पुलिस के सैलेबस को बदलने की तरफ ध्यान देना होगा, उनकी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना होगा । जैसा कि डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस ने राजनैतिक हस्तक्षेप की बात कही है । तो यह बात भी सही है जैसे कि आपने किसी दरोगा से कहा कि फलां को गिरफ्तार कर लो और फलां को छोड़ दो, इस चीज से बचना होगा । क्योंकि जहां कानून का हस्तक्षेप होना चाहिए, वहां आप राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे, तो पुलिस व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता । एक घोषणा इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी, मुझे आशा है कि कहीं भी राजनीतिक बदले की भावना से हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । इस तरह की चीजें पहले भी हमने की हैं और हमने निर्देश दिए हैं । मुझे विश्वास है कि इसी तरह के निर्देश इस शासन के शुरू में ही हो जायेंगे और इसमें जो तेजस्वी विधायक हैं, उनका भी सहयोग होगा ।

(श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा बैठे-बैठे यह कहने पर)

[x x x]

(इस पर विपक्ष के तमाम सदस्य उत्तेजित हो गए और जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री शारदा नन्द अंचल–

[x x x]

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ओर से अपराधियों का नाम बता दिया जाय की आवाजें आने पर ।)

श्री भोला नाथ–

[x x x]

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर तथा श्री भोलानाथ के अपने स्थान पर खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री भोलानाथ जी आप कृपा करके बैठ जायं । श्री भोलानाथ जी जो बात कह रहे हैं, वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री भोलानाथ–

[x x x]

ससदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आप कार्यवाही को देख लें । अगर कहीं पर कोई असंसदीय शब्द कहा गया हो तो उसे कार्यवाही से निकाल दें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री भोलानाथ द्वारा अपने स्थान पर खड़े रहने और बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । यदि कोई आरोप इधर से लगा तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि यदि कोई बात होती तो उस पर विचार होता और उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाता । यदि उससे भी अधिक से अधिक शब्दों में आप कह दें जो कार्यवाही में लिखा ही नहीं जा रहा है तो कैसे कार्यवाही से निकाल देंगे । इस संबंध में जो आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं, मैं कार्यवाही को देख लूंगा यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री भोलानाथ–

माननीय सदस्य का नाम लिया गया है, उसे भी कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं तो कह रहा था कि शासन के निर्देश पर ही डी0 जी0 (पुलिस) ने जो अखबार में कहा है कि किसी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । वह ठीक ही कहा है । जब आपका अधिकार था, उस समय तो आपने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं । अब हमारी बात है । हम तो पार्लियामेन्टरी ढंग से कह रहे हैं ।

(श्री भोला नाथ के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं पाण्डेय जी ।

श्री भोला नाथ–

एक व्यवस्था दे दें कि मा0 नेता, विरोधी दल जब भाषण कर रहे हैं तो क्या इस तरह बोलना उचित है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैंने स्वयं ही कहा है कि इस तरह से बोलना उचित नहीं है । आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जो टिप्पणी की जा रही है, मैं माननीय सदस्य बलिया से कहना चाहूंगा, वह तो पुराने सदस्य हैं, मैं उनका ध्यान जो मेरी जिम्मेदारियां है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । कौल और शकधर की पुस्तक ''संसदीय प्रणाली और व्यवहार'' जो है....

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायन तिवारी–

इधर अखबारों में बराबर निकल रहा है पुलिस व्यवस्था में जो काम चल रहा है, परिवर्तन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की दखलन्दाजी से पुलिस अधिकारियों में रोष है । मैं चाहूंगा माननीय नेता विरोधी दल अपने भाषण में उसका भी जिक्र कर दें ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

शकधर और कौल की किताब आप पढ़ते होंगे । उसके पृष्ठ 127-128 में हेरल्ड मैकिमलन ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है–"मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता की स्थिति से अधिक कठिन तथा कम संतोषजनक स्थिति और किसी की नहीं होती । उसे आलोचना करनी पड़ती है, दोष निकालना उसका काम है लेकिन साथ ही उसे अपनी प्रस्थापनाओं और नीतियों को स्पष्ट करना है जब कि उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति उसके पास नहीं है । यह इस अर्थ में असंतोषजनक है कि जो भी व्यक्ति अपनी प्रशासन संबंधी क्षमता को जानता है और अपनी योजनाएं लागू करना चाहता है, उसे इस स्थिति में पड़कर निराशा और कुण्ठा होती है । जो ऐतिहासिक दायित्व विरोधी दल के नेता का है, जिसे शकधर और कौल की पुस्तक में भी स्थान दिया गया है, उसमें आप देखेंगे कि विरोधी दल के नेता का दायित्व क्या है । अगर मैं अपने दल के सदस्यों के विश्वास से उस दायित्व को पूरा करना चाहता हूं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है ।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

चूंकि मैं नेता, सदन भी रह चुका हूं, मैं अपने दायित्वों को जानते हुए मर्यादित और संयमित शब्दों में अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं । 5 सप्ताह पुरानी सरकार की रचनात्मक जो आलोचना होनी चाहिए, अगर उसका मर्यादित रूप भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या कह सकता हूं ?

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, इस तरह से अनुसूचित जाति, जन जाति, बुनकर, दस्तकार, अल्पसंख्यक, माईनारिटी यानी कि जो अकलियत के लोग हैं उनके बारे में जो कुछ अभिभाषण में कहा गया है उसमें कोई उनके लिए कोई कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का क्या होगा ? हमने तीन साल में उनके लिए मकान बनाने का प्रयास किया । आज जो हमारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिये है वैसा इसमें कुछ नहीं कहा गया है ।

साम्प्रदायिक एकता और सद्भाव के लिए क्या हो रहा है, साम्प्रदायिक एकता किस तरह से होगी इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है । हमारे वक्फ के प्रोजेक्ट जो मजबूत हो चुके, इसका कोई संकेत इसमें नहीं है । हरिजन और आदिवासियों की दिशा क्या होगी, कोई कार्यक्रम की झलक या नई दिशा क्या होगी इसका भी उल्लेख इसमें नहीं है ।

हां, इसमें छात्रों और युवकों के बारे में जरूर कहा गया है, लेकिन एक परिवार को एक रोजगार कहना आसान है, काम का अधिकार कहना आसान है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरे बारे में अभी यहां पर कुछ कहा गया है, मैं उसके संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने नेता को बोलने में समय न लें । आपके द्वारा व्यवधान करना, सदन का मूल्यवान समय जो नेता विरोधी दल का इस समय है,

उससे वे वंचित हो रहे हैं । मैं किसी को कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं । वह बोले तो मैंने कहा कि कोई ऐसी टिप्पणी दीजिये जो कि सुन्दर हो और सुन्दर लगे । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री भोला नाथ–

मान्यवर, अभी यहां पर जिनका नाम लिया गया, वे उस समय यहां पर उपस्थित नहीं थे, वह अब आ गये हैं और जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें । मैं बराबर निवेदन कर रहा हूं, आप कृपया बैठ जायं । आपने 5 मिनट ती हैं लिये ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं उस समय मौजूद नहीं था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वह कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । वह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

श्री भोला नाथ–

नेता सदन स्पष्ट करें, इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि कार्यवाही को देख कर उसे निकाल दिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

माननीय सदस्यगण मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कृपया बैठ जायं । यह परिपाटी गलत है । अभिभाषण के संशोधन में माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेताओं को सुनना चाहिए आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तो मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से एक परिवार को एक रोजगार दिया जायेगा । इतना बड़ा कमिटमेंट और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना यह तो बहुत ही अनिवार्य बात है, लेकिन यह किस प्रकार से संभव हो सकेगा इसका कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है ।

साथ ही एक बात की ओर आपका और इलाहाबाद के एक मा0 सदस्य का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि बार-बार यह कहा जा रहा है कि खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया और समाचार-पत्रों में भी एक जिम्मेदार का बयान पढ़ा कि खजाना हमें खाली मिला है (व्यवधान, एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर) इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संबंध में कोई वक्तव्य आना चाहिए कि यह बात बराबर कही जा रही है । दूसरे रिजर्व बैंक का रोजाना एक स्टेटमेंट आता है राज्य

सरकार के पास (फायनेंस विभाग) कि कुल कितना प्लस व माइनस घटा या बढ़ा और कितना पैसा राज्य सरकार के कोष में जमा है । रिजर्व बैंकों की ट्रेजरी नागपुर में है, उससे पूछा जा सकता है और तीसरी बात यह कि अगर खजाना खाली होता तो फिर हमें ओवर ड्राफ्ट करना पड़ता क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो ओवर ड्राफ्ट ही करना पड़ेगा तो उस ट्रेजरी से मालूम करिये कि कोई ओवर ड्राफ्ट इतने पीरियड में कहीं पर हुआ है ।

मैं बल्कि अपने वित्त विभाग के अधिकारियों व सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि एक तरफ तो हर योजना के लिए पर्याप्त रुपया उपलब्ध रहे दूसरी ओर कोई ओवर ड्राफ्ट की नौबत न होने पाये क्योंकि यहां पर एक पी0 एल0 ए0 एकाउंट खोल रखा है, जिससे ओवर ड्राफ्ट की नौबत आ ही नहीं सकती है और दूसरी बात क्या भारत सरकार आपको ओवर ड्राफ्ट की किसी प्रकार से भी इजाजत देगा । इसकी सावधानी आपको भी बरतनी पड़ेगी । इसलिए यह कहना बार-बार कि खजाना खाली हो गया उचित नहीं है । इस प्रकार के 9 बजट मैंने यहां पर प्रस्तुत किये हैं और एक बजट केन्द्र में प्रस्तुत किया है, इसी आधार पर यह अनुरोध कर रहा हूं कि खजाना खाली होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

आदरणीय नेता विरोधी दल से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह खजाना खाली होने की बात पर बहुत अधिक चिंतित हैं, यह उनके जिए स्वाभाविक बात है । लेकिन मैं इसीलिए उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे मा0 मुख्य मंत्री थे इस प्रदेश के तो उन्होंने इलाहाबाद के एक पुल का शिलान्यास किया था जो बरूणा पुल के नाम से वहां जाना जाता है, लेकिन उसे कोई रुपया नहीं दिया गया, जिससे उसकी शिला (शिलान्यास पत्थर) तो बाकी है, बाकी सारे का नाश हो गया । (हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं अपने छोटे भाई से यह कहना चाहूंगा . . . (व्यवधान) . . . कि उसे आप भी तो अपने मंत्रित्व काल में पूरा नहीं करा सके । लेकिन इस पुल के न बन पाने से खजाने के खाली होने का प्रश्न कहां से आ गया, यह नौबत एक पुल के न बन पाने से कैसे आ सकती है उसका क्या अर्थ है और क्या सन्दर्भ है अगर वह पुल नहीं बना है, उससे साबित कर दिया कि खजाना खाली है । इस तर्क का प्रयोग कर लिया होगा और उसका लाभ मिल गया होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह जानना चाहूंगा कि क्या स्पिल ओवरसिस्टम करके गवर्नमेंट के बजट के सारे दरवाजे बन्द कर दिये हैं । इतना स्पिल ओवर हो गया कि पुरानी योजनाओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध खजाने से नहीं है, इसका योजना से संबंध है और कभी-कभी ऐसा होता है कि यह हर योजना में होता है । पहली योजना से देखते आये हैं कि स्पिल ओवर होता है । जब रिहन्द बांध बना था, तो उस समय स्पिल

ओवर हुआ था । 3–4 साल तक कोई योजना चलती है, तो उसका स्पिल ओवर दूसरी योजना में किया जाता है । मैं इस आरोप का दोषी नहीं हूं । प्लानिंग कमीशन से स्वीकार करने के लिए माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं । 15 करोड़ रुपये के उद्योग मंजूर करवाये हैं । मैं चाहता हूं कि यह सरकार स्पिल करये । तो आज यह स्पिल ओवर होगा । जितना प्राविधान है, उतना खर्च होगा लेकिन फिर भी किसी योजना में कमी रह गई है तो आप माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि स्पिल ओवर न करें, उसको पूरा करें । मैंने बहुत समय ले लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं । आपका आभारी हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान से सुना । कुछ बातें कड़ुवी लग सकती हैं, मैंने इससे ज्यादा कड़वी बातें सुनी हैं, तो कड़वाहट में मिठास होती है । जब कुनैन को गोली दी जाती है तो मलेरिया समाप्त होता है । तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल का अभिभाषण अवश्य है, लेकिन इस सत्र में क्या काम किये जायेंगे, उनका उल्लेख नहीं है । कुछ नीतिगत बातें हैं, चुनाव घोषणापत्र का उल्लेख है । कुछ नीति की बातें की गयी हैं, लेकिन नीति को कार्यान्वित करने के लिए जो कुछ कार्यक्रमों की मोटी-मोटी रूपरेखा होनी चाहिए, वह इसमें नहीं है । सबसे बड़ी गलती हुई है कि टेहरी डैम का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है । अगर इस तरह की भयंकर भूल होगी, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा । मैं तो श्रीमन्, यह चाहूंगा कि हम सब मिलकर लोक कल्याण की भावना से उत्प्रेरित हों और उसी कसौटी में इस अभिभाषण को कसें । जो सत्य है उसे सत्य मानें । सत्य सत्य ही है । यदि सत्य को सत्य मानेंगे तो मेरे संशोधन को यह सदन स्वीकार करेगा । गीता में भी कहा गया है

सन्नियम्येन्द्रियगामं सर्वत्र समबुद्धय:
ते प्राप्नुवन्ति मामेंव सर्वभूतहितै रता: ।

श्रीमन्, सब के हित में 14 करोड़ की जनता जनार्दन के हित में कार्य करें और इस अभिभाषण को उस कसौटी में कसें । तभी हम प्रदेश की जनता के हित में न्याय कर सकते हैं । संसदीय इतिहास में, विधान सभा की संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हम एक सुन्दर मानदन्ड भी भविष्य के लिये कायम कर सकते हैं ।

श्री मुहम्मद सईद 'भ्रमर' और श्री राम तेज के मूल राजनीतिक दल लोक दल (ब) का जनता दल में विलय की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे एक आवश्यक सूचना देनी है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में लोकदल (ब) राजनीतिक दल से सम्बद्ध दोनों सदस्यों अर्थात् श्री मुहम्मद सईद 'भ्रमर' और श्री राम तेज ने दिनांक 11 जनवरी, 1990 को अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा मुझे सूचित किया है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि उनकी पार्टी के विधान मंडल दल का विलय जनता दल में कर दिया जाये । माननीय सदस्यों के पत्र पर उक्त विलय से माननीय नेता सदन एवं नेता जनता विधान मंडल दल, ने भी अपनी सहमति लिखित रूप में अंकित की है । इसके उपरान्त उक्त दोनों सदस्यगण मेरे कक्ष में आये और मुझसे विलय की अनुमति देने का अनुरोध भी किया ।

अतः संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-4 के अन्तर्गत मैं श्री मुहम्मद सईद 'भ्रमर' और श्री राम तेज के मूल राजनीतिक दल लोक दल (ब) का जनता दल में विलय स्वीकार करता हूं । तद्नुसार अब श्री मुहमद सईद 'भ्रमर' तथा श्री राम तेज के नाम विधान सभा की दलीय सूची में "जनता दल" से सम्बद्ध सदस्यों के रूप में दिखाये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

*नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में टाउन एरिया कमेटी हरैया, टाउन एरिया कमेटी लक्सर, टाउन एरिया कमेटी बांसगांव, टाउन एरिया कमेटी शक्तिगढ़, नोटीफाइड एरिया कमेटी ओबरा, टाउन एरिया कमेटी एलम, टाउन एरिया कमेटी गहमर, नगर पालिका गाजीपुर, नगरपालिका नवाबगंज, तथा नगर पालिका मवाना जनपद मेरठ, यह 10 टाउन एरिया कमेटियां और नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनका चुनाव नहीं हो पाया है । 31 दिसम्बर तक के लिये इनकी व्यवस्था थी । चूंकि 31 दिसम्बर को सदन नहीं था । प्रशासन के लिये आवश्यक था कि इसके लिये अध्यादेश कर लिया जाय । उसी के संशोधन के विषय में यह बिल लाया गया है । मैं चाहूंगा कि यह सदन इसको पारित करे ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

आपने इसमें लिखा नहीं कि क्यों अध्यादेश किया, इसको स्पष्ट करें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय सदस्य को संदेह हो रहा है । इसकी चुनाव की सारी प्रक्रियायें शुरू कर दी गई हैं और 30 मार्च, तक इसका चुनाव करा देंगे ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

जून से लेकर मार्च 90 तक आप इसका समय बढ़ा रहे हैं और चुनाव टाल रहे हैं । यह भी हो सकता है कि आप दूसरा संशोधन ले आयें । मैं चाहता हूं कि आप कोई निश्चित तिथि घोषित कर दें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मैं कहना चाहता हूं कि 30 मार्च तक का समय दिया गया है । 31 दिसम्बर इसकी लास्ट डेट थी और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको सम्पन्न करने के लिये जितना कम से कम समय हो सकता था वह दिया गया । ऐसी परिस्थिति में माननीय सदस्य का यह कहना कि समय क्यों दिया गया, ठीक नहीं है । मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि हमने प्रयास किया है कि कम से कम अवधि में चुनाव हो जाय और जनहित में आप इसको स्वीकार करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

आपने यह समझाने का प्रयास किया है अब आप कह रहे हैं कि चुनाव करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक ही तो है जो सरकारी भाषा है वही कह रहे हैं । आप बैठें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4 खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1990" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1990" रख दिए जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 198

कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990

आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी, (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय

मान्यवर, यह एक औपचारिक विधेयक मात्र है 4 जून 75 में वीयर में इक्साइज ड्यूटी 2 रु0 प्रति लीटर से बढ़ाये जाने की अधिसूचना जारी की गयी थी और उसमें 2.30 प्रति लीटर के हिसाब से वसूली भी हो चुकी है । लेकिन इस सम्बन्ध में एक बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया कि यह नियम विरुद्ध है । सरकार की ओर से सपथ पत्र लगाने में दिक्कत आ रही थी इसलिये यह काम किया गया है कि यह 1975 से लागू माना जाय ताकि संसाधन जो प्राप्त हुये हैं उसमें ऐसा न हो कि न्यायालय के आदेश से वापस करने पड़ें । इसलिये यह संशोधन लाया गया है माननीय सदस्य इसे पारित कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

(2) यह 23 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन।

2–संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के खण्ड (ई) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए एल, बियर, पोर्टर, साइडर और अन्य किण्वित शराब पर शुल्क की अधिकतम दर 4 जून, 1975 से 5 रुपये प्रति लीटर समझी जाएगी और 4 जून, 1975 को या इसके पश्चात् जारी की गई कोई अधिसूचना जो इस उपधारा के उपबन्धों के अनुरूप हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जाएगी मानो इस उपधारा के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कृत या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1989

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 के अनुसमर्थन का संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:—

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा, भारत का संविधान, में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 जनवरी, 1990 की बैठक में सदन के दिनांक 16 जनवरी, 1990 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (5 बजे अपराह्न तक)

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1990 — आधा घंटा

(ख) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 — आधा घंटा

(ग) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1990 — आधा घंटा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव अभी संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-1-90 को नियम 51 के अंतगत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री पंचानन राय की सूचना—"प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में है," को स्वीकार किया गया है । शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत कर दी गई हैं ।

अब हम उठते हैं और दिनांक 15 जनवरी, 1990 को 11 बजे (पूर्वाह्न) पुनः मिलेंगे — राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर सोमवार, दिनांक 15-1-90 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

12 जनवरी, 1990

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 65 पर)

क्रम सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1—श्री राज किशोर सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—वर्तमान भूमि सुधार व हदबन्दी कानून में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए कान्तिकारी भूमि सुधार कानून बनाने और अतिरिक्त कृषि भूमि को खेत मजदूरों भूमिहीन हरिजनों, गरीब किसानों में तत्काल वितरित कर ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के संबंध मे तथा जोत हदबन्दी की सीमा सिंचित व असिंचित भूमि क्रमश: साढ़े बारह एकड़ व 20 एकड़ करने के संबंध में ।

2—सिंचाई विभाग व जंगल की जमीनों को बड़े-बड़े भू-स्वामियों को पट्टा न देकर आदिवासियों व हरिजनों, भूमिहीनों को आवंटन करने के संबंध में भूमि समाज की जमीनों व सीलिंग की अतिरिक्त जमीनों से बड़े भू-स्वामियों का अवैध कब्जा हटा कर भूमिहीनों को आवंटित करने के संबंध में ।

3—छोटी जोत के किसानों तथा बुनकरों, दस्तकारों आदि के सभी प्रकार के कर्जे माफ करने तथा सस्ते ब्याज की दर पर नये कर्जे देने के संबंध में ।

4—मध्यम किसानों के कर्जों की वसूली आसान किस्तों में किए जाने तथा किसी के खेत कर्जे में नीलाम न करने के संबंध में ।

5—किसानों को सस्ती बिजली, सिंचाई के लिए सस्ता पानी, सस्ती खाद व कीटनाशक दवायें देने के संबंध में ।

6—किसानों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति, किसानों को जाड़े के दिनों में सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने, प्रत्येक ब्लाक में प्रति वर्ष कम से कम पचास गांवों का विद्युतीकरण करने सभी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने स्टेट व निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन देने तथा कार्य में रुकावट न पड़ने देने के उद्देश्य से राज्य विद्युत परिषद् के जनपदीय कार्यालय के स्टोर में हर वक्त पर्याप्त मात्रा में तार, खम्भा, ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–बटाईदारों के नाम भू-राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करने तथा पैदावार का 3/4 भाग उन्हें देने के संबंध में।
		8–राज्य सरकार द्वारा खेत मजदूरों के लिए बनाये गये कानूनों को सख्ती से लागू करने, उनका सामाजिक उत्पीड़न रोकने, मजदूरी व काम की दशा को सुधारने हेतु केन्द्रीय कानून बनाने की संस्तुति के संबंध में।
		9–खेत मजदूरों, निर्बल वर्ग के लोगों, गरीब किसानों को एक वर्ष के अन्दर आवास स्थल देने, भवन निर्माण हेतु पर्याप्त अनुदान और बिना ब्याज के कर्ज तथा हरिजनों, मुसहरों, आदिवासियों को मकान बनाने हेतु कम से कम 12 हजार रुपया प्रति परिवार अनुदान के रूप में देने के संबंध में।
		10–ग्राम समाज के जिन भूमि खण्डों पर खेत मजदूरों, हरिजनों, गरीब किसानों, भूमिहीनों ने कोई निर्माण कर लिया हो, उसे आबादी मानकर उनसे संबंधित न्यायालयों में चल रहे मुकदमें वापस लेने के संबंध में।
		11–महिलाओं व हरिजनों आदि पर हो रहे अत्याचार को रोके जाने के संबंध में।
		12–विधवाओं व विकलांगों को तत्काल पेन्शन देने और पेंशन मानकर उसकी धनराशि बढ़ाकर सौ रुपया प्रतिमाह करने तथा 60 वर्ष की आयु के खेत मजदूरों व गरीब किसानों व निर्धनों को सौ रुपया मासिक वृद्धावस्था पेंशन देने के संबंध में।
		13–कृषि उपजों के लाभकारी मूल्य देने और फसल तैयार होते ही खरीद शुरू करने हेतु हर ब्लाक में अधिक से अधिक क्रय केन्द्र खोलने के संबंध में।
		14–सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त व दुरुस्त करने के संबंध में।
		15–महंगाई व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्यवाहियों के संबंध में।
		16–पूरे प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने, नहरों व ट्यूबवेलों के नालियों के रिसाब से किसानों की हुई नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि देने के सम्बन्ध में।
		17–सूखा, बाढ़ से निबटने के लिए स्थायी योजना बनाने तथा नलकूपों के क्षेत्रों में नये सिरे से सर्वेक्षण कराकर नये नलकूप लगाने की नयी योजना लागू करने के संबंध में।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18—ग्रामीण भूमिहीन व गरीब किसानों को रोजगार की गारण्टी के लिए व्यापक निर्माण कार्य किये जाने तथा ठेकेदारी प्रथा समाप्त किये जाने के संबंध में ।
		19—गांवों व शहरों में शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के संबंध में ।
		20—बढ़ते हुए प्रदूषणों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने के संबंध में ।
		21—सिंचाई के लिए बनी नहरों, नालियों की सफाई ट्यूबवेल की नालियों की मरम्मत रख रखाव के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने, गूलों का निर्माण नि:शुल्क कराये जाने के संबंध में।
		22—प्रदेश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में रिंग बोरिंग नि:शुल्क व्यवस्था करने के संबंध में ।
		23—वृक्ष विहीन पहाड़ियों से पत्थर खदान की छूट देने तथा वाराणसी जनपद के चकिया जंगल में स्थित वनस्पति विहीन पहाड़ियों से वहां के हरिजनों, आदिवासियों आदि को भुखमरी की स्थिति से बचाने के लिए पत्थर खदान की सुविधा देने के संबंध में ।
		24—सम्पर्क मार्गों को पक्का व लेपन करने के संबंध में वाराणसी जनपद में पांचों शिवाला टिकरी, अहरक बाबतपुर, कोरउती, भटौली, भाउपुर-सत्तनपुर-जोगापुर-जक्खिनी, कर्नडीड़ी, काशीपुर, मिर्जामुराद, चक्रपानपुर, काजी सराय-वीरापट्टी मार्गों के लेपन करने तथा रूपापुर लच्छापुर, रूपापुर नयेपुरा बच्छांव बेटावर मार्ग, पंचक्रोशी-अवसानपुर, बावतपुर हथिवार आदि मार्गों को पक्का करने के सम्बन्ध में।
		25—वाराणसी में वरुणा नदी के कोरउतघाट, सत्तनपुर घाट, सुरवा घाट पर सेतु निर्माण तथा रामेश्वर के पास पंचक्रोशी मार्ग पर वरुणा नदी के जर्जर पुल का पुनर्निर्माण करने के संबंध में तथा माउपुर सत्तनपुर मार्ग के नाले पर पुल निर्माण के संबंध में।
		26—जनपद के प्रत्येक खण्ड विकास क्षेत्र में एक कन्या हाई स्कूल तथा सबको शिक्षा उपलब्ध करने के लिए प्रति डेढ़ हजार की जनसंख्या पर एक प्रा0 पा0 खोलने की योजना, ग्राम शाहपुर, चिंडररापुर, ढढोरपुर बसन्त पट्टी में विद्यालय खोलने के संबंध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		27–समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को वार्षिक अनुदान स्वीकृत करने व वेतन वितरण नियम लागू करने के संबंध में ।
		28–इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था के संबंध में ।
		29–भवन हीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के संबंध में ।
		30–कक्षा 12 तक नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था करने छात्रवृत्ति की पर्याप्त व्यवस्था करने, गरीब छात्रों को किताब इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता देने, स्कूल के छोटे बच्चों को नाश्ता देने आदि के संबंध में ।
		31–काम का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति करने के संबंध में ।
		32–बेरोजगार स्नातक इन्जीनियर, कृषि व अन्य ट्रेड के डिप्लोमा धारकों को काम देने व बेकार होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक यूनानी डाक्टरों की राजकीय चिकित्सालयों व प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त करने प्रशिक्षण प्राप्त आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्तियों के संबंध में ।
		33–शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन कर रोजगार-परक बनाने के संबंध में ।
		34–अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने का अभियान तेज करने के संबंध में ।
		35–सामान्य प्रशासन चुस्त दुरुस्त करने, माफिया गिरोहों व अपराधी तत्वों पर अंकुश लगाने, जनजीवन की सुरक्षा की गारन्टी पुलिस की मनमानी रोकने हेतु 129 साल पुराने पुलिस कानून को जनहित में बदलने तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जन शिकायतों की जांच हेतु अलग प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में ।
		36–तदर्थ व अंशकालिक माध्यमिक अध्यापकों को विनियमित करने तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में । अंशकालिक आयुर्वेदिक एवं यूनानी डाक्टरों को विनियमित करने के संबंध में ।
		37–अंशकालिक नलकूप चालकों को पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		38–शिक्षित विकलांगों एवं आयु सीमा पार कर रहे शिक्षित युवकों व युवतियों को योग्यतानुसार काम देने के संबंध में ।
		39–जन स्वास्थ्य रक्षकों को 6 माह के देय मानदेय का भुगतान करने तथा मानदेय व दवा की आपूर्ति बढ़ाने के संबंध में ।
		40–साम्प्रदायवाद, विघटनवाद, आतंकवाद, जातिवाद के विरुद्ध निर्मम संघर्ष चलाने, राष्ट्रीय एकता व अखण्डता की रक्षा करने के संबंध में ।
		41–लघु उद्योगों पर बढ़ी हुई बिजली की दरों को छोटे उद्यमियों व श्रमिकों के हित में वापस लेने के संबंध में ।
		42–प्रदेश में न्यूनतम कानून के अन्तर्गत असंगठित उद्योगों के मजदूरों के मजदूरी दरों का निर्धारण गरीबी की रेखा को आधार मानकर करने के संबंध में ।
		43–पावरलूम हैण्डलूम आदि नियोजनों में लम्बे अर्से से निर्धारित मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करने के संबंध में ।
		44–मजदूरी की वृद्धि के आन्दोलन के दौरान कालीन मजदूरों पर चलाये गये मुकदमों को वापस करने के संबंध में ।
		45–चीनी उद्योग के श्रमिकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए तामिलनाडु तथा महाराष्ट्र में हुए समझौता के अनुसार चीनी उद्योग के श्रमिकों के समान वेतन दिलाने के संबंध में ।
		46–सूती उद्योग में समान वेतन की दरें तथा राज्य सरकार की कताई मिलों व सहकारी कताई मिलों में समान वेतन की दरें लागू करने के संबंध में ।
		47–राज्य सीमेंट निगम, सरकारी व सहकारी कताई मिलों, सेतु निगम, जल निगम, निर्माण निगम व तमाम सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत श्रमिकों को अस्थायी व आकस्मिक मानने की प्रथा खतम करने और न्यूनतम वेतन से कम नाम मात्र की मजदूरी देने की परम्परा समाप्त करने के संबंध में ।
		48–श्रम कानूनों में मजदूरों के हित में संशोधन करने के संबंध में ।

49—कारखाना बन्दी पर अंकुश लगाए जाने, बीमार मिलों को चलाने, मजदूरों की कटनी छटनी रोकने उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के संबंध में ।

50—जन स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए अधिक से अधिक प्रा0 स्वा0 केन्द्र, उपकेन्द्र खोलने, सरकारी अस्पतालों में नि:-शुल्क चिकित्सा व्यवस्था, वाराणसी में कोटवां, का0 वि0 ब्लाक, कपर कोरवां (आ0 ला0) रसूलपुर (पिंडरा ब्लाक) में प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने तथा पिंडरा प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर हुई फर्जी नसवन्दी की जांच कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के संबंध में ।

51—पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिलों का पिछड़ापन दूर करने के लिए औद्योगिक विकास के संबंध में ।"

2 श्री राजधारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

1—प्रदेश में समान शिक्षा की नीति को लागू किया जाय ।

2—प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा को समाप्त कर शिक्षा को प्रभावी बनाया जाय ।

3—पूर्वान्चल के विकास के लिए पूर्वान्चल विकास प्राधिकरण बनाया जाय ।

4—महंगाई पर रोक लगाने के लिए दाम बांधो नीति अपनाई जाय ।

5—कृषि का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

6—सरकारी साधनों के दुरुपयोग को समाप्त किया जाय ।

7—मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाय ।

8—पुलिस बल के मालिकाना हक को समाप्त कर सेवक का हक प्रदान करने की स्थिति बनाई जाय ।

9—प्रदेश के गरीब बुनकर, धुनकर के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाय ।

10—औद्योगिक विकास की दशा में खादी ग्रामोद्योग को अधिक महत्व दिया जाय ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–सिकन्दरपुर (बलिया) को तहसील केन्द्र बनाया जाय ।
		12–बलिया जनपद के दहताल, मुड़ियारी, बहादुरा-ताल एवं कठौड़ाताल के पानी निकास हेतु लिफ्ट पम्प लगाया जाय ।
		13–बलिया के दहताल पर हालपुर के सामने पुल बनाया जाय । एवं
		14–सिकन्दरपुर एवं मनियर (बलिया) में उद्योग लगाया जाय ।
3	श्री कुंवर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है :–
		1–पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं दुर्गमता को देखते हुए प्रशासनिक इकाइयों को छोटी करने तथा उनके पुनर्गठन करने तथा जनपद चमोली में स्थान पोखरी एवं गैरसैण में तहसील खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
		2–सत्ता एवं नियोजन का विकेन्द्रीयकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		3–पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के सुचारु रूप एवं नियमित रूप से निष्पादन हेतु पृथक पर्वतीय संवर्ग (हिलकाडर) को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं पर्वतीय क्षेत्र में लम्बे अर्से से भारी संख्या में रिक्त पड़े डाक्टरों एवं अध्यापकों आदि के पदों पर शीघ्र नियुक्ति कराने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
		4–पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उन्नयन हेतु, इसे अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु तथा कास्तकारों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने हेतु किसी ठोस योजना और जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		5–वर्तमान में जनपद चमोली में आलू म्लाटा, गलगल उचित विपणन के अभाव में मिट्टी के भाव बिक रहे हैं । कास्तकारों को उचित विपणन सुविधा प्रदान कर उन्हें लाभ-कारी मूल्य दिलाये जाने हेतु किसी प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–सरकारी साधनों के दुरुपयोग को समाप्त किया जाय ।
		7–मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाय ।
		8–पुलिस बल के मालिकाना हक को समाप्त कर सेवक का हक प्रदान करने की स्थिति बनायी जाय ।
		9–प्रदेश के गरीब बुनकर, धुनकर के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाय ।
		10–औद्योगिक विकास की दशा में खादी ग्रामोद्योग को अधिक महत्व दिया जाय ।
		11–सिकन्दरपुर (बलिया) को तहसील केन्द्र बनाया जाय ।
		12–बलिया जनपद के दहताल, मुड़ियारी, बहदुरा-ताल एवं कठौड़ाताल के पानी निकास हेतु लिफ्ट पम्प लगाया जाय ।
		13–बलिया के दहताल पर हालपुर के सामने पुल बनाया जाय । एवं
		14–सिकन्दरपुर एवं मनियर (बलिया) में उद्योग लगाया जाय ।
3–श्री कुंवर सिंह नेगी		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है:–
		1–पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं दुर्गमता को देखते हुए प्रशासनिक इकाइयों को छोटी करने तथा उनके पुनर्गठन करने तथा जनपद चमोली में स्थान पोखरी एवं गैरसैण में तहसील खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
		2–सत्ता एवं नियोजन का विकेन्द्रीकरण करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		3–पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के सुचारुरूप एवं नियमित रूप से निष्पादन हेतु पृथक पर्वतीय संवर्ग (हिल-काडर) को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं पर्वतीय क्षेत्र में लम्बे अर्से से भारी संख्या में रिक्त पड़े डाक्टरों एवं अध्यापकों आदि के पदों पर शीघ्र नियुक्ति कराने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

4—पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं बागवानी उन्नयन हेतु, इसे अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु तथा कास्तकारों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु किसी ठोस योजना और जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

5—वर्तमान में जनपद चमोली में आलू म्लाटा, गलगल उचित विपणन के अभाव में मिट्टी के भाव बिक रहे हैं । इन कास्तकारों को उचित विपणन सुविधा प्रदान कर उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु किसी प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है ।

6—पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई समय बद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है ।

7—प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही पर्वतीय क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए किसी ठोस योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है । उद्योग शून्य जनपद चमोली के औद्योगीकरण करने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

8—प्रदेश में निरन्तर बढ़ती महंगाई की रोक थाम करके उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं । दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ता राशन एवं मिट्टो तेल प्रचुर मात्रा एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है न ही इनके ढुलाई पर शत प्रतिशत ट्रान्सपोर्ट सबसीडी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक दी जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है ।

9—पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने तथा गढ़वाल एवं कुमायूं जल संस्थानों द्वारा नगर क्षेत्रों में भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के 12.5 प्रतिशत की दर से वसूली जा रहे जल कर को जन भावना के अनुरूप व्यापक हित में समाप्त करने तथा उसके स्थान पर उपभोक्ताओं से वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार वाटर चार्जेज लिए जाने हेतु किसी प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं किया गया ।

10—विद्युत व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने, बढ़ाई गई विद्युत दरों को कम करने तथा जनपद चमोली में 33 एव 66 के0 वी0 विद्युत लाइनों के शीघ्र निर्माण हेतु किसी

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख नहीं है । जनपद चमोली में विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना को त्वरित गति से पूर्ण किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । 11–प्रदेश में निरन्तर बिगड़ती जन स्वास्थ्य की समस्या के सुधार हेतु किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है । 12–जनपद चमोली के विकास खण्ड जांशीमठ को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । 13–पर्वतीय क्षेत्र के अन्य जनपदों की भांति जनपद चमोली मे भी जलागम योजनाओं को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है । 14–बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु ठोस एवं कारगर कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है । 15–पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान वन नीति में आमूल चूल परिवर्तन कर उसे जनोपयोगी एवं विकासोन्मुख बनाने हेतु तथा जनपद चमोली में नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क को पर्यटकों को खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया ।''
4–श्री सुरेन्द्र सिह चौहान		प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है:– . 1–अनु0 जाति, जन जाति, विमुक्त जाति, स्वतंत्रता सेनानी तथा पिछड़ी जाति के सम्बन्ध में आरक्षण नीति । 2–आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में । 3–जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र इगलौली के सा0 नि0 वि0 द्वारा निम्नलिखित अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिये शीघ्र ही धन स्वीकृत कर अविलम्ब पूरा करा दिया जायेगा:– अ–चन्दौसि से डावर रेलवे स्टेशन । ब–चन्दौसि से रामपुर शाहपुर । स–गभाना से बरौली मार्ग । द–हरदुआगंज रेलवे स्टेशन से साथा ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4–जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली में 10 नलकूपों की आवश्यकता है उस हेतु शीघ्र ही शासन द्वारा स्वीकृत कर अविलम्ब निर्माण कराने के सम्बन्ध में ।
		5–जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र बरौली में 10 प्रा0 पा0 भवनों के निर्माण की आवश्यकता है, उसके निर्माण कराने के सम्बन्ध में ।''
5	श्री राम प्रसाद देशमुख	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–
		''उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की ब्रांच खोलने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा वर्षों से चलाये जा रहे हड़ताल, आन्दोलन तथा न्यायालयों का बहिष्कार को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की पीठ खोली जायेगी ताकि जनता को सस्ता तथा शीघ्र न्याय मिल सके ।''
6	श्री राम पाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–
		1–वर्तमान सरकार प्रदेश में शान्ति, सुरक्षा, कायम करने में नकारा शाबित हुई है । साम्प्रदायिकता को रोकने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में भी सरकार अक्षम है के बारे में;
		2–महंगाई व बेरोजगारी समस्या का कोई स्थायी हल वर्तमान सरकार के पास नहीं है । सरकार का खोखले वादे कर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कराने के संबंध में ।
		3–दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त करने का सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम न होने के संबंध में ।
		4–किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है तथा किसानों की जरूरत के साधन, खाद, बीज, पानी, कृषि उपकरण विद्युत आपूर्ति आदि उचित मूल्य व समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के संबंध में ।
		5–जनपद हरदोई के पूर्वी क्षेत्र अतरौली भटपुर मार्ग पर गोमती नदी पर पुल का न बनाया जाना तथा अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र को शीघ्र चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–प्रदेश की जनता के सामान्य हितों की पूर्ति, व सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने तथा प्रदेश प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के अपने वायदे में भी सरकार की असफलता के सम्बन्ध में ।''
7	श्री अकबाल हुसैन	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–
		1–बलरामपुर को नया जिला बनाया जायगा ।
		2–राप्ती नदी पिपराघाट जनपद गोंडा में पक्का पुल बनाया जायगा ।
		3–किसानों, दस्तकारों का दस हजार रुपया कर्ज माफ कर दिया जायगा ।
		4–पचपेड़वा विकास खण्ड जनपद गोंडा के थारू जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज खोला जायेगा ।
		5–अष्ठम् विधान सभा की याचिका समिति की संस्तुति पर लक्ष्मीनगर पचपेड़वा जनपद गोंडा में सरकारी चीनी मिल लगायी जायगी ।
		6–गौंसड़ी, पचपेड़वा, तुलसीपुर, बलरामपुर, विकास खण्डों का आकार व जनसंख्या अत्यधिक है इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए गौरा चौराहा, गौरा थाना क्षेत्र के गांवों को लेकर नया विकास खण्ड स्थापित किया जायगा ।
		7–पचपेड़वा उतरौला मार्ग, सा0 नि0 वि0 सड़क पर धोवहा घाट पर पुल बनाकर तीर्थ यात्रियों व जनता के विकास का द्वार खोला जायगा ।
		8–प्रदेश में फैली साम्प्रदायिकता को समाप्त करने हेतु साम्प्रदायिकता विरोधी समितियों का गठन किया जायगा एवं प्रोत्साहन दिया जायगा ।
		9–अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु विशेष साम्प्रदायिक दंगा निवारण (बल) फोर्स का गठन किया जायगा ।
		10–बढ़नी, सिद्धार्थनगर, पचपेड़वा को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध करायी जायगी ।''

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
8	श्री देव कुमार यादव	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–

1–काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ने और बेरोजगार शिक्षित और अशिक्षित यूवक युवतियों को बेरोजगारी का भत्ता देने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

2–बी0 पी0 मण्डल आयोग की शिक्षारिसों को लागू करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

3–साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा कर राष्ट्र की एकता और अखण्डता को मजबूत करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

4–उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों और क्षेत्रों को एकीकरण करके बुन्देल खण्ड राज्य के निर्माण करने की उल्लेख नहीं किया गया है ।

5–बांदा जनपद को अशान्त क्षेत्र घोषित करके सामान्य स्थिति आने तक सेना के हवाले करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

6–बांदा जनपद में पिछले दस वर्षों से फिरौती के लिए किये गये अपहरणों, हत्याओं, सामूहिक हत्याओं, बलात्कारों के सही आंकड़ों और वसूल की गयी करोड़ों रुपये की धनराशि का पता लगाने हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने का उल्लेख नहीं किा गया है ।

7–बांदा जनपद में पिछले दस वर्षों से हत्याओं और फिरौती के शिकार परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा देने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

8–बांदा जनपद की समाजिक सुरक्षा को मजबूत कराने हेतु लाइसेन्स कानून को रद्द करके शस्त्र खरीदने की आजादी का उल्लेख नहीं किया गया है ।

9–रंनगवां में, गंगऊ और वरियापुर बांधों का राष्ट्रीय करण करके दोनों प्रदेशों के किसानों की सिंचाई हेतु जल देने के हित में व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

10–ग्रैटर गंगऊ बहुउद्देशीय योजना को स्वीकृत करके बांध के निर्माण का कार्य शुरू करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—बांदा जनपद में यमुना नदी पर ग्राम चरका, (हरीपुर) कठार, लखनपुर और वरियारी कलां पर डाल सिंचाई योजनायों और बागै नदी पर ग्राम भदावल, ममसी खुर्द तथा लोहरा में भी डाल सिंचाई योजनायें चालू कराने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		12—पाठा क्षेत्र एवं बांदा नगर के पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु यमुना नदी पर ग्राम मऊ तथा केन नदी पर जनरेटर युक्त भारी पेयजल योजनायें लगाने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		13—1857 के क्रान्तिकारी योद्धा नवाब अली बहादुर शानी और उनकी बेटी राबिया बेगम की यादगार में नवाब बांदा संग्रहालय एवं सभागार का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		14—कवीं सम्भाग के समुचित विकास के हित में कवीं को जिला बनाने की घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		15—विशेष दस्यु प्रभावित बांदा जनपद के कमासिन क्षेत्र में यातायात की सुविधा प्रदान कराने हेतु कमासिन-ओरन, कमासिन—मर्का सड़कों और धुधुई ममसी खुर्द सम्पर्क मार्गों को पक्का करानें की घोषणा कराने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		16—बबेरू तहसील के ब्लाक केन्द्र कमासिन, बिसड़ा में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और ग्राम मर्का तथा सिंह पुर में बालकों के उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		17—बबेरू क्षेत्र की सोचनीय कानून व्यवस्था को देखते हुए ग्राम औंगासी, बीरा, जामू और मुरवल तथा सिमौनी में पुलिस चौकियां और सिंहपुर में प्रस्तावित थाने के खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		18—योजना आयोग द्वारा दस्यु प्रभावित बांदा जनपद के विकास हेतु 1985 से लम्बित योजनाओं को तत्काल स्वीकृत कराने की घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		19—बांदा जनपद में चित्रकूट, राजापुर, गणेशबाग, कालिन्जर और बाल्मीकी आश्रम (लालापुर) को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों के रूप में मान्यता देकर इन स्थानों का संवर्गीण विकास करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20—बांदा जनपद और बुन्देलखण्ड में हर गांव में पीने के पानी और सिंचाई सुविधायें बढ़ाने और हर गांव का विद्युतीकरण कराने का उल्लेख नहीं किया गया है ।''
9	श्री कासिम अली	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—माठ सेवरही जिला देवरिया में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत चीनी मिल स्थापित करने का कोई संकेत नहीं दिया है । 2—देवरिया जिले की घनी आबादी को देखते हुये नवयुवक तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए किसी रोजगार परक योजना का संकेत नहीं दिया है । 3—बड़ी गण्डक नदी से प्रति वर्ष राज्य सरकार को लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ती है । ए0 पी0 तटबन्ध सेवरही को टूटे लगभग 8 माह हो रहे हैं किन्तु इसकी मरम्मत करने हेतु कोई संकेत नहीं दिया है ।''
10	श्री अमर मणि त्रिपाठी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया है । अत: निम्न जोड़ दिया जाय:— 1—अनुसूचित जाति में मुस्लिम वर्ग के अन्सारी, भंगी आदि जातियों को रखा जाने हेतु कार्यवाही की जाय । 2—लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र सिंचाई के मामले में नहीं के बराबर है, प्रत्येक गांव में सिंचाई के लिए नलकूपों की व्यवस्था की जाय । 3—लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था किन्हीं गांवों में नहीं है । पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने के लिए जल निगम के हैण्ड पाइप गड़वाये जायं । 4—लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र दो तरफ से नेपाल की सीमा से घिरा हुआ है सटे पहाड़ होने के कारण लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक बनावट अत्यन्त दुरूह है ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

ज्यों ही पहाड़ों पर बरसात होती है त्योंही भरही नदी, सोनिया नाला महान नदी, बगेला नदी, डूंडी नदी, डांडा नदी, रोहिन नदी, बसमनिया नदी में तुरन्त बाढ़ आ जाती जाती है जिसके कारण लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाता है, फसल, धन, जन की अपार क्षति होती है, उक्त नदियों पर कोई बांध न होने के कारण क्षति जनता को पहुंचती है तुरन्त उक्त नदियों पर बांध एवं ठोकर बनाये जाये एवं बाढ़ रोकने हेतु कार्यवाही की जायं ।

5—लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक बनावट की दुरूपता के कारण यहां पर आज तक मार्गों का अत्यन्त अभाव है बरगदवा बाजार से गणेश पुर तक, पढ़िया काल से सिंहाभार तक महोदया से चकदर तक रूरिया से नौतनवां, तक अड्डा से टेडी घाट तक, राजपुर मुरली से भगीरथ तक अड्डा से टेडी घाट तक, भगीरथपुर से लक्ष्मीपुर तक, एवं भगीरथपुर से पकडडीहा तक, राजपुर मुरली से भगीरथ पुर तक थरियाललाइन से अचलगढ़ तक परमश्रा पुर से डकही (अकरौली) तक स्मरधीरा से लक्ष्मीपुर बाजार तक बगदवा से भोतहर रिसालपुर तक मोहनापुर से खरोली राजधानी तक, सुबेदारपुर से मठियारी पुर तक तथा मोहनापुर से रानीपुर तक नई पोट से परसौन तक सुनौली से लक्ष्मी नगर तक परसामलिक से सेवतरी तक, सड़के बनवायी जायं ।

6—डांडा नदी, सोनियानाला, रोही नदी, डूंडी नदी पर स्थित मार्गों पर तत्काल पुल बनवाया जायं ।

7—लक्ष्मीपुर बाजार, अड्डा बाजार, सुनौली बाजार, कोल्हई बाजार को तत्काल टाउन एरिया बनाया जाय ।

8—नौतनवां बाजार भारत नेपाल की सीमा पर बसा एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है जहां पर समस्त विभागों के दफ्तर एवं समस्त सुविधा सम्पन्न होने के बावजूद बच्चों को उच्चतर शिक्षा हेतु कोई महाविद्यालय न होने के कारण यहां से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर में उच्च शिक्षा हेतु जाना पड़ता है । अतः नौतनवां बाजार में एक महाविद्यालय की तत्काल व्यवस्था की जांय ।

9—नौतनवां तहसील एवं फरेन्दा तहसील, जो भौतिक रूप से गोरखपुर से जुड़े हुए हैं । एवं भौगोलिक रूप से महराजगंज से पूर्णतः अलग है के लोगों के जनहित को देखते हुए गोरखपुर जनपद में ही रहने दिया जाय ।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–फरेन्दा तहसील एवं नौतनवां तहसील का पुनः सीमांकन कराके जन सुविधा अनुसार तहसीलों की सीमा बनाई जाय ।
		11–लक्ष्मीपुर विधान सभा क्षेत्र में पांच हजार एकड़ सीलिंग की जमीन भूमिचोरों द्वारा चराई गई है जिसे तत्काल पात्र व्यक्तियों में वितरित कराया जाय ।
		12–नौतनवां बाजार में राजकीय चिकित्सालय, जो अत्यन्त ही जीर्ण-शीर्ण दशा एवं निम्न स्तर का है को तत्काल उच्चीकृत कर स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करायी जाये ।
		13–जंगल के टांगिया मजदूरों को कोई भी नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है न ही रहने के लिए मकान पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था यातायात के लिए सड़क रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है, न ही तो इनके पास कोई भूमि है । तत्काल टांगिया मजदूरों को स्थायी व्यवस्था करके उन्हें स्थायी रूप से बसाने की एवं समस्त नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।
		14–संस्कृत एवं उर्दू के अध्यापकों को सामान्य अध्यापकों के बराबर वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जायं ।
		15–लक्ष्मीपुर बाजार अड्डा बाजार भगवानपुर बाजार संवतरी बाजार में तत्काल पुलिस चौकी खोली जाय ठुठीबारी परसामलिक, सोनोली बाज़ार कुलही बाजार में तत्काल थाना खोला जाय ।
		16–लक्ष्मीपुर विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त विद्युतीकरण गांव जो मात्र कागजों पर विद्युतीकरण है के गांवों में विद्युतीकरण तत्काल पहुंचाया जाय शेष गांव में भी तत्काल विद्युतीकरण कराया जाय ।''
11–श्री श्याम नारायण		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :–
		1–अनुसूचित जाति के सूची में मुस्लिम वर्ग के अंसारी, नदाफ, भंगी आदि जातियों को रखे जाने हेतु कार्यवाही की जाय ।
		2–फरेन्दा क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं सरकारी नलकूप हर गांव में लगायें जायं ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

3–फरेन्दा क्षेत्र के गांव में पीने के पानी के लिए जल निगम के नल लगवाये जाय और विद्युतीकरण कराया जाय ।

4–फरेन्दा क्षेत्र में जहां हर वर्ष भयंकर बाढ़ की तबाही होती है चितापुर, घांघी, नगवा, लहेरा, वनदेइया, रोहिन बंधे बनवाये जायं । अधूरे कामों को पूरा करवाया जाय ।

5–महदेवा दूबे से समरधीरा व मोहनापुर तक और बैसार लहेरा, खुरमपुर होते हुए आगे सोनाबन्दी से राजपुर लोटन मार्गों को पक्का बनवाया जाय तथा इन पर बड़े पुल लगाये जायं ।

6–धानी बाजार राप्ती नदी पर तुरन्त पीपे का पुल बनवाकर महदावल तक सड़क बनाई जाये।

7–आनन्द नगर को नगरपालिका घोषित किया जाय ।

8–आनन्द नगर में कन्या डिग्री कालेज तथा टैक्निकल शिक्षा की व्यवस्था करायी जाय ।

9–फरेन्दा व नौतनवां तहसीलों को गोरखपुर जिले में ही रखा जाय ।

10–लक्ष्मीपुर की दक्षिण के गांवों को फरेन्दा तहसील में तथा कौल्हई के उत्तर के गांवों को नौतनवां तहसील में रखा जाय ।

11–सीलिंग के कानून को प्रभावी बनाकर जमीन चोरों से जमीन निकाल कर गरीबों में बांटा जाय।

12–जंगल में टागिया काश्तकारों को जहां रह रहे हैं उनको जमीन व मकान दिया जाय उसे रेवन्यु गांव माना जाय और उन्हें भूमि पर हक दिया जाय ।

13–वन निगम समाज वानिकी और जंगल विभाग में काम करने वाले ठूठ लिपिकों मालियों और कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ।

14–स्वास्थ्य रक्षकों और आंगन बाड़ी में कार्यरत महिलाओं और दाइयों को स्थायी किया जाय।

15–मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को अनुदान सूची में रख दिया जाय ।

16–बृजमनगंज मोहनगढ़ से सहजनवां बाबू तक मोहनापुर से राजधानी तक मनिकोरा से दाही रोहिन नदी तक और कवलदह से लालपुर तक की सड़कों को पक्का कराया जाये और सभी पुलों को बनाया जाये।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17–फरेन्दा धानी और बृजमनगंज के चिकित्सालयों को उच्च स्तर देकर सभी आधुनिक सुविधा सम्पन्न कराया जाय तथा महदेवा दूबे, मैया फरेन्दा, लेहरड़ा, सहजनवां बाबू साल्ही मोहनापुर, कोल्हुई और हरपुर में सरकारी चिकित्सालय खुलवाया जाय । 18–उर्दू मदरसों को सरकारी अनुदान दिलाया जाये ।''
12	श्री ऊदल–	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में कुछ नहीं कहा है :– 1–(क) सिंचाई की व्यवस्था राजकीय नलकूपों, पब्लिक नलकूपों एवं नहरों के सुधार के बारे में, जबकि प्रदेश में सैकड़ों नलकूप फेल हो गए हैं उनकी नालियां क्षतिग्रस्त हैं उनकी बोरिंग तथा नालियों की मरम्मत के संबंध में । (ख) ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा, वाराणसी में नए पब्लिक नलकूप लगाने के संबंध में । (ग) ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा, वाराणसी में नए पब्लिक नलकूप लगाने के संबंध में । (घ) बाबतपुर तथा केराकत राजबाहा की अधूरी माइनरों को पूरा कराने के संबंध में । (ङ) पब्लिक नलकूपों तथा राजकीय नलकूपों पर अंशकालिक आपरेटरों को स्थायी करने के संबंध में । खास कर वाराणसी तहसील के 200 अंशकालिकों को स्थायी करने के संबंध में । 2–प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को सुचारु रूप से सुधारने और विद्युत परिषद् की गलत नीतियों को सुधारने के संबंध में :– (क) राज्य विद्युत परिषद् तथा खासकर विद्युत विभाग वाराणसी में कण्डक्टर, ट्रान्सफार्मर क्लेम, खम्भे तथा अन्य सामानों की कमी को दूर करने के संबंध में। (ख) वाराणसी विद्युत विभाग में हजारों लोगों द्वारा वर्षों से एग्रीमेन्ट करने के बाद उनको कनेक्शन न देने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(ग) पूरे प्रदेश में खासकर वाराणसी विद्युत विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा विभाग में प्रशासनिक खर्चों को कम करने के संबंध में तथा जरूरत से ज्यादे अधिकारियों को परिषद् में रखने के संबंध में ।

(घ) पूरे प्रदेश में तथा खासकर वाराणसी जिले के गांवों में अधूरा विद्युतीकरल करने के संबंध में ।

3–(1) प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में यहत्व-पूर्ण सड़कों को गुड्डा सेक्टर में न रखने के संबंध में खासकर कोलअसला विधान सभा कोंच वाराणसी में मंगारी से सिंधौरा मार्ग, (2) अनेई से कुवार कठिरांव मार्ग (3) बड़ागांव से कुवार रामपुर मार्ग (4) खालिसपुर से ऊदपुर मार्ग (5) देवराई बरवां मार्ग (6) गांगकला से खरीरयां मार्ग एवं (7) अपसेठी से महराजपुर मार्ग, (8) मगारी से समौगरा मार्ग (9) देउली से हिरामनपुर पतिराजपुर मार्ग (10) मगारी से बाबतपुर तथा बाबतपुर से बड़ागांव मार्ग (11) पिंडरा से बेलवा निन्दनपुर मार्ग (12) गोहुरा से घोघली मार्ग (14) नादनदी में सरांय घरसोना के पास पुल तथा नादनदी में ओदार के पास पुल एवं नाद नदी में मदौं एवं छतांवगांव के पास पुल न बनाने के संबंध में ।

(15) वाराणसी जिले में बड़ा गांव, कूड़ी, कुरू सड़क में सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी द्वारा सन् 82 से अब तक किसानों की जमीन का मुआवजा न देने के संबंध में।

4–प्रदेश में शिक्षा विभाग की अव्यवस्था के संबंध में:–

(क) सभी हाईस्कूलों, इण्टर कालेजों में सेक्शन न खोलने तथा अध्यापकों की नियुक्तियां न करने के संबंध में।

(ख) इण्टर कालेजों एवं हाईस्कूलों में साइंस की मान्यता के रोक के संबंध में।

(ग) विद्यालयों को अनुदान न देने के सम्बन्ध में।

(घ) अंशकालिक अध्यापकों को रेगुलर न करने के संबंध में।

(ङ) प्रदेश में हजारों जूनियर स्कूलों जो स्थायी मान्यता प्राप्त हैं उनको ग्रांट की सूची में वर्षों से न रखने के संबंध में। उदाहरण हेतु जनता जूनियर हाई स्कूल विश्वनाथपुर कमियर, (2) जूनियर हाई स्कूल फतेपुर कटौना तथा नवयुग जनता जूनियर हाई स्कूल सहमलपुर, जिला वाराणसी।

(च) प्रदेश में हजारों बी0 टी0 सी0 ट्रेंड अध्यापक जो सन् 74 से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं उनकी नियुक्तियों के संबंध में।

(छ) प्रदेश में नये प्राइमरी स्कूलों को बड़े पैमाने पर न खोलने उदाहरण के लिए मदौं, चमरू, माडर, तीन गांव सभाओं तथा शाहपुर, दशरथपुर मुल्का तथा गिरधौलपुर, शाहपुर जिला वाराणसी में अब तक प्राइमरी पाठशाला न खोलने के संबंध में तथा प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की गिरी इमारतों एवं नयी इमारतों उदाहरण स्वरूप जू0 हा0 स्कूल सिंधौरा, प्रा0 स्कूल सिंधौरा, प्रा0 स्कूल राजपुर, ब्लाक पिंडरा एवं प्रा0 स्कूल अनेई की गिरी इमारत व जू0 हाई स्कड़ल कुवार, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी की इमारत न बनवाने के संबंध में।

(ज) पहाड़ी जिलों में ट्रेंड अध्यापकों को मैदान से ले जाकर नियुक्ति करने के संबंध में तथा शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश को जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया उसको भंग करने के संबंध में।

5–(क) प्रदेश में चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के संबंध में तथा जिलों में बीस-बीस हजार रु0 लेकर वार्ड ब्वाय तथा स्वीपरों एवं धोबियों की नियुक्तियों के बारे में चिकित्सालयों में समुचित दवाइयों के अभाव को दूर करने के संबंध में।

(ख) समस्त अंशकालिक पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत वर्षों से चिकित्सकों तथा मैदानी क्षेत्र में अंशकालिक महिला डाक्टरों को अब तक नियमित न करने के संबंध में।

(ग) गोपीगंज राजकीय अस्पताल में गलत तरीके से वर्तमान सरकार के आने से पहले से कार्यरत एक व्यक्ति को बिना सूचना के हटाकर और उसके परिवार के धोबी सदस्य की नियुक्ति न करके दूसरे व्यक्ति को जो 60/70 किलोमीटर दूरी का और लगता है वह धोबी जाति का नहीं है उसकी गलत नियुक्ति के संबंध में और जांच करने के संबंध में।

(घ) स्थान कुवार, अनेक ब्लाक बड़ागांव तथा रसूलपुर अदार ब्लाक पिंडरा वाराणसी में एलोपैथिक अस्पताल खोलने के संबंध में।

6–वाराणसी में गंगा प्रदूषण को खत्म करने के लिए करोड़ों रु0 का दुरुपयोग करने की जांच कराने के संबंध में।

क्रम0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—पराग डेरी फार्म तथा पराग पशु आहार कार्यशाला रामनगर, वाराणसी में करोड़ों रु0 के घाटे की तथा गबन करने की जांच तथा पराग पशु आहार में कर्मचारियों को निलम्बित करने एवं 8 मैनेजरों की जांच के संबंध में।
		8—पराग डेरी फार्म, पराग पशु आहार कार्यशाला, वरुणा नदी का पुल जो वर्षों से खराब हो गया है और चन्दवक में गोमती नदी का पुल जो वर्षों से खराब हो गया है उसको न बनवाने के संबंध में।
		9—कचहरी वाराणसी के पास दूसरा पुल गरीबों की जमीन लेकर बनाने के संबंध में।''
13	डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया:—
		1—बुन्देलखण्ड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अलग विशेष बजट के लिए संस्तुति करें।
		2—गंगऊ, सगवां, बरियरपुर बांधों में केन रिवर कन्ट्रोल बोर्ड का गठन किया जाय।
		3—बांदा जनपद की सिंचाई हेतु ग्रेटर गंगऊ का निर्माण कराया जाय।
		4—बांदा जनपद में केन नदी से रायपुर कोलावल गांव के पास से, तथा विन्ध्याचल एम्प कैनाल तथा बागै नदी में अर्द्धनिर्मित मसौनी एम्प कैनाल तथा रंज नदी में नेढुवा बडैछा पंचमपुर गांव के पास से तथा बागै नदी से बदौसी के पास तथा बागै नदी से काजीपुर गांव के पास पम्प कैनालों का निर्माण कराया जाय।
		5—बांदा जनपद में लूक, धौरही, मऊ टिरिहरा रौली कल्यानपुर, जबरापुर, लघेलाबारी, फतेहवंज तरसूया, तमरार, गजपतीपुर, महाई, छतैनी कालिंजर सड़ा, नोबी मटखना रानीपुर, जरूवा कालिंजर, पूरैनियां बरियारपुर रेहूची, बडैछा, नेलवा, नहरी, तरखरी, पहाड़पुर, रीना बन्डे, बछेई, तेरा (बदौसा) पथरा महुरा दिवली, पल्हरी, हस्तम, अधरोरी, अनयुवा, खम्हौरा आदि गांवों में टेस्ट बोर कराकर राजकीय नलकूप लगवायें जायं।
		6—बांदा जनपद मरौनी के निर्वाचन क्षेत्र के नालों में जगह-जगह चेक डैमों का निर्माण कराया जाय।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—बांदा जनपद में रंज और बागै नदी के मध्य के गांवों का विकास युद्ध स्तर पर किया जाय ।
		8—बांदा जनपद के कालिंजर एवं रामनगर के मध्य बागै नदी में पुल का निर्माण कराया जाय ।
		9—बांदा जनपद में रंज नदी में रेहुची पुकारी तथा शाहपाटन के पास रपटा का निर्माण कराया जाय ।
		10—बांदा जनपद में बरछा सड़ा तथा रायपुर कोलावल आदि समस्त नरैनी क्षेत्रों के गांवों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाय ।
		11—बांदा जनपद की केन नहर अतर्रा ब्रांच को पनगरा कोठी से लेकर गढ़ांव तक बाईं ओर पटरी में पक्का मार्ग बनवाया जाय ।
		12—बांदा जनपद के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कालिंजर तथा विन्ध्याचल को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाय ।
		13—बांदा जनपद में कालिंजर, करतल तथा बदौसा एवं गिरवां में तथा इन क्षेत्रों के गांवों में पेयजल हेतु पानी की टंकियों का निर्माण कराया जाय ।
		14—बुन्देलखण्ड छितरी आबादी को देखते पचास आबादी एक हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाय ।
		15—बांदा जनपद में पुलिस चौकी करतल तथा पुलिस चौकी खुरहन्ड को थाना बनाया जाय ।
		16—बांदा जनपद में पुकारी, गोवरा, सक्म, महुई कुलसारी, बहेरी, खौरही आदि गांवों में पुलिस चौकी कायम की जाय ।
		17—बांदा जनपद के अतर्रा, नरैनी, करतल तथा कालिंजर के व्यापारियों की सुरक्षा की गारन्टी दी जाय ।
		18—बादा जनपद को अतर्रा नगरपालिका की बढ़ी प्रस्तावित चुंगी वापस किया जाय तथा अतर्रा नगरपालिका व नरैनी टाउन एरिया के विकास के लिए विशेष धनराशि अनुदान के रूप में दी जाय ।
		19—बांदा जनपद के कालिंजर में इण्टर कालेज, करतल तथा फतेहगंज में हाई स्कूल खोला जाय ।
		20—बांदा जनपद के नरैनी तहसील मुख्यालय में राजकीय बालिका हाई स्कूल खोला जाय ।
		21—बांदा जनपद अतर्रा करबे में बालिका हाईस्कूल का भवन निर्माण कराते हुए राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोला जाय ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22—बांदा जनपद की तहसील अतर्रा तथा नरैनी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय स्थापित किया जाय ।
		23—बांदा जनपद के अतर्रा तहसील मुख्यालय में पुलिस उपअधीक्षक की नियुक्ति की जाय और कार्यालय खोला जाय ।
		24—बांदा जनपद की तहसील अतर्रा में ट्रेजरी आफिस एवं रजिस्ट्री दफ्तर खोला जाय ।
		25—बांदा जनपद के तहसील नरैनी मुख्यालय में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल 25 शैय्याओं का खोला जाय ।
		26—बांदा जनपद अतर्रा राजकीय एलोपैथिक अस्पताल अपग्रेड करके 100 शैय्याओं का अस्पताल बनाया जाय ।
		27—बांदा जनपद के करतल, कालिंजर, बधेलाबारी गिरवां, बदौसा आदि गांवों में बड़े पशु अस्पताल खोले जायं ।
		28—बांदा जनपद के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के गांवों का सर्वेक्षण कराकर ऊबड़, खाबड़ भूमि को खेती योग्य सरकारी खर्चे पर किया जाय ।
		29—बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के क्षेत्र कालिंजर एवं रंज बागे के मध्य के गांवों एवं लूक धौरही क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलागम का कार्यक्रम चलाया जाय ।
		30—बांदा जनपद के फतेहगंज बदौसा गोरिवया अतर्रा आदि मार्गों का डामरीकरण अविलम्ब कराया जाय ।
		31—बांदा जनपद के शहर अतर्रा में रोडवेज बसों का डिपो खोला जाय ।
		32—बांदा जनपद के करतल से इलाहाबाद, कालिंजर से फैजाबाद तथा बांदा से पोंहार तथा बांदा से अनुथुवा दवेरार सम्पर्क मार्ग से होते हुए नरैनी तक रोडवेज बसें चलाई जायं ।
		33—बांदा जनपद में रिक्त पड़े महिला डाक्टर तथा डाक्टरों के पदों को तुरन्त भरा जाय ।
		34—बांदा जनपद अतर्रा ब्रांच केन नहर के राजबहा एवं माइनरों की टेलों में राजकीय नलकूप लगवाये जायं ।
		35—बांदा जनपद के अतर्रा ब्रान्च केन नहर के महुटा राजबहा को नरैनी और बदौसा के मध्य पटरी में सम्पर्क मार्ग पक्का बनाया जाय तथा बांदा ब्रांच केन नहर अलिहा राजबहा की पटरी को दवेरार से खरहन्ड तक पक्का कराया जाय ।
		36—बांदा जनपद की नदियां केन, बागै तथा रंज के किनारों में विद्युतीकरण किया जाय ताकि क्षेत्रीय किसान

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

37—बांदा जनपद में हो रहे हरिजन उत्पीड़न को रोका जाय ।

38—बांदा जनपद के भूमिहीन हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों को तुरन्त भूमि के पट्टे दिए जायं तथा दिए गए पट्टों पर तुरन्त कब्जा दिया जाय ।

39—बांदा जनपद में दस्यु समस्या देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाय ।

40—बांदा जनपद के सभी पुलिस थानों एवं ब्लाकों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।

41—बांदा जनपद के केन नहर अतर्रा ब्रांच एवं बांदा ब्रांच तथा उसकी माइनरों राजबहों की टूटी फूटी पटरियों को तुरन्त ठीक करवया जाय ।

42—बांदा जनपद सिंचाई सुविधा के लिए केन डेवलपमेंट एथारिटी का गठन किया जाय ।

43—प्रदेश के सभी बेरोजगारों को तुरन्त कार्य दिया जाय अथवा बेरोजगारी का भत्ता दिया जाय

44—प्रदेश में शस्त्रों के लाइसेंसों का नवीनीकरण सरल किया जाय और सभी देश तथा प्रदेश स्तर के लाइसेंसों का नवीनीकरण जनपद स्तर पर किया जाय ।

45—नए शस्त्रों के लाइसेंस तात्कालिक प्रभाव से खोले जायं ।

46—प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय ।

47—प्रदेश में कृषि उपज का मूल्य बढ़ाया जाय ।

48—बांदा जनपद पाले से हुई फसल के नुकसान को देखते हुए किसानों को अगली फसल के लिए खाद, बीज कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था मुफ्त किया जाय ।

49—सरकारी कर्मी एवं जनता ग्रीन कार्ड धारकों को सुविधाएं बढ़ाई जायं तथा नौकरी में भी सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध कराई जायं ।

50—बांदा के दस्यु प्रभावी क्षेत्र को प्रदेश स्तर से विभिन्न [illegible]यों के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाय ।"

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-
14	श्री रियाज अहमद	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :-
		1–उ0 प्र0 में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करने तथा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में ।
		2–किसानों के कर्जे की माफी के बारे में स्पष्ट नीति घोषित करने के बारे में ।
		3–उ0 प्र0 में साम्प्रदायिकता के बढ़ते कदमों को रोकने के बारे में । और अल्प संख्यक समुदाय में जो अविश्वास का संकट पैदा हो गया है उसे समाप्त किए जाने के बारे में ।
		4–कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद की कीमतों में एक निश्चित रिस्ता कायम करने के बारे में ।
		5–कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था के बारे में ।
		6–सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले भारी घाटा के लिए उपक्रम के प्रबन्धक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराए जाने के एवं उपक्रम को व्यवसायिक भावना से चलाने के बारे में ।
		7–मंत्रियों और अधिकारियों के आवास एवं कार्यालय की साज-सज्जा पर होने वाला भारी खर्चा, तथा मंत्रियों के सार्वजनिक अभिनन्दनों, भोज एवं दिखावे पर होने वाले भारी खर्च को बन्द करने तथा अधिकारियों द्वारा कारों के अनावश्यक एवं निजी प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में ।
		8–न्याय को सुलभ, सस्ता एवं शीघ्र बनाने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ स्थापित किए जाने के बारे में ।
		9–जनपद पीलीभीत, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है तथा पीलीभीत शहर में अंग्रेजी शासन के समय से केवल 3 इण्टर कालेज व एक कन्या इण्टर कालेज ही चल रहा है तथा एक प्राइवेट डिग्री कालेज जो कि साइंस की शिक्षा से अनभिज्ञ है, के उत्थान के बारे में ।
		10–जनपद पीलीभीत औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की पूर्ण कच्ची सामग्री होते हुए भी उद्योग न लगाने के बारे में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—जनपद पीलीभीत में लिंक रोडों (सड़कें) की दुर्दशा के बारे में तथा पीलीभीत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की शोचनीय व्यवस्था के बारे में ।
		12—जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल के भारी अभाव के बारे में ।"
15	श्री पंचानन राय	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—
		1—प्रत्येक हाथ को काम अथवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में ।
		2—रु0 दस हजार के ऋण माफ करने के संबंध में ।
		3—60 वर्ष के सभी वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने के संबंध में ।
		4—कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के संबंध में ।
		5—नदियों के कटाव तथा बाढ़ को रोकने की योजना और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास एवं राहत के संबंध में ।
		6—आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों को रोजगार एवं राहत का अवसर दिए जाने के संबंध में ।
		7—अनियमित विद्युत आपूर्ति में सुधार की योजना के संबंध में ।
		8—दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त करने तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किए जाने के संबंध में ।
		9—सभी माध्यमिक तथा पूर्व माध्यमिक गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने के संबंध में ।
		10—माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं का विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में ।
		11—पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में ।
		12—उद्योग शून्य जनपदों का औद्योगिक विकास किए जाने के संबंध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
16	श्री नरेश अग्रवाल, श्री अजय प्रताप सिंह, श्री जय प्रताप सिंह तथा श्री भूपेन्द्र शर्मा	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :— (1) बिक्री कर के कारण व्यापारियों में व्याप्त असंतोष को देखते हुए उसे समाप्त कर उत्पादन कर लगाया जाय । (2) प्रदेश के किसानों को उनके उत्पादन का लागत मूल्य दिलाया जाए तथा केन्द्र सरकार से सिफारिश करें कि कृषि उत्पादन आयोग के सभी सदस्य किसान ही होंगे । (3) महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के उपरान्त अचल जायदाद में स्वतः हक दिलाने हेतु कानून में संशोधन किया जाएगा । (4) परगनाधिकारियों पर बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए उनकी अदालत में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत चलने वाले मुकदमों में न्याय देर से मिलने के कारण उन मुकदमों के निस्तारण हेतु अलग अदालतें गठित की जाएंगी । (5) प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस उत्पीड़न से जनता में व्याप्त रोष को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी । (6) प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक उपलब्ध कराए जायेंगे । (7) हरदोई जनपद में बी0 ए0 तथा एम0 ए0 के छात्रों के प्राइवेट फार्म जो जमा नहीं हो रहे हैं को जमा करवाया जाएगा । (8) हरदोई जनपद में लाखों एकड़ जमीन जो ड्रेनेज के अभाव में जलमग्न है के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था होगी । (9) शिक्षा के क्षेत्र में जनपद हरदोई अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण वहां हर तहसील में कन्या इण्टर कालेज तथा एल0 एल0 बी0 एवं बी0 एड0 की कक्षायें खुलवायी जायेंगी। (10) ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक 60 वर्षीय वृद्ध एवं विधवा को 100 रुपये मासिक पेंशन दिलवायी जायेगी । (11) लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर वहां के किसानों एवं कर्मचारियों का बकाया करोड़ों रुपया दिलवाया जायेगा । (12) प्रदेश के प्रत्येक नौजवान को रोजगार या जब तक रोजगार नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता दिलवाया जायेगा ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(13) विद्युत विभाग द्वारा लघु उद्योगों एवं चक्की व स्पेलरों पर तीन गुनी बढ़ाई गई विद्युत दरों को तुरन्त वापस लिया जायेगा ।
		(14) सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य किया जायेगा ।
		(15) हरदोई नगर में बढ़त हुए जल-भराव को देखते हुए ड्रेनेज का निर्माण किया जायेगा ।
		(16) प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य 50 रुपये क्विन्टल दिलवाया जायेगा ।
		(17) विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना एवं विद्युत उत्पादन शत प्रतिशत कर किसानों को 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध कराया जायेगा ।
		(18) प्रदेश में स्थित सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की गारण्टी एवं मण्डी समितियों के चुनाव तुरन्त करवाये जायेंगे ।
		(19) प्रदेश के प्रत्येक गांव को पक्की सड़क, बिजली, पानी व स्कूल उपलब्ध कराया जायेगा ।
		(20) ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्थित प्रत्येक प्राइमरी पाठशाला को भवन व शिक्षक उपलब्ध कराया जायेगा ।
		(21) निर्माण के कार्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कमीशन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जायेगा ।
		(22) प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सरकारी नौकरी में लगे प्रतिबन्ध को हटाया जायेगा ।
		(23) प्रदेश में मिलों द्वारा नदियों में प्रदूषित कचरा डालने से उत्पन्न स्थिति पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।
		(24) विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग द्वारा किसानों की ली गई जमीनों पर किसानों को भुगतान प्राधिकरण द्वारा बेचे जा रहे दामों पर दिलाया जाएगा ।
		(25) दस हजार रुपये तक के ऋण की माफी की घोषणा पर कार्यवाही की जायेगी ।''
17	श्री राम प्रसाद सिंह	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं है :— 1—यह कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा एवं समस्याग्रस्त है

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

बुन्देलखण्ड की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी ताकि बुन्देलखण्ड के अधिक से अधिक निवासी लाभान्वित हो सकें । उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर क्षेत्र को विकसित किया जाय । साथ-साथ उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें । बुन्देलखण्ड एवं उनसे लगे पाठा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप लघु एवं बड़े उद्योगों का विस्तार करके प्रगति की ओर बढ़ाया जाए ।

2—यह कि जनपद बांदा के मुख्यालय से सुदूर क्षेत्र कर्वी (चित्रकूट) को अलग जिला बनाया जाय ।

3—यह कि पैयस्वनी परियोजना (सिंचाई) को पूरा करा कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाय ।

4—यह कि बागै नदी में यह डिया बुजुर्ग सानी व गढ़ी घाट गांवों के पास अलग-अलग डाल सिंचाई योजनाएं बना-कर चालू किया जाय ।

5—यह कि चिल्ली राकस पम्प कैनाल डाल सिंचाई याजना की क्षमता बढ़ाकर दुगुना किया जाय तथा इसके क्षेत्र में आगे विस्तार किया जाय ।

6—यह कि राजापुर में जमुना नदी में पुल निर्माण कराया जाय तथा यातायात सुविधा में वृद्धि की जाय ।

7—यह कि पहाड़ी सिन्डा बांदा सड़क में पैयस्वनी नदी में ग्राम कहेरामादी के पास एवं बागै नदी में साईंपुर गांव के पास पुलों का निर्माण कराया जाय ।

8—यह कि पहाड़ी कुल बारा रघुवंशीपुर बरेठी, लोहदा मिर्जापुर, सुरसेन बरद्वारा अतरौली खोया सड़क निर्माण कराया जाय ।

9—यह कि कर्वी में चालू राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जाय ।

10—यह कि कर्वी में विशेष न्यायालय (एन्टी डकैती) की स्थापना यथा शीघ्र कराया जाय ।

11—यह कि घुरेटेनपुर दरसेन्डा एवं बद्दूवारा में पुलिस चौकियों की स्थापना की जाय ।

12—यह कि कर्वी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाय ।

क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

13—यह कि कवीं बूढ़ा राजापुर मार्ग को पूरा कराया जाय ।

14—यह कि मुन्ता बाध सिंचाई परियोजना को पूरा कराकर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा यथा शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

15—यह कि ओहन नदी में गांव देवकली के पास डाल सिंचाई योजना बनाकर ओहन नहर शाखा लाखापुर को फीड करके उस क्षेत्र में पूरे वर्ष सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय ।

16—यह कि बुन्देलखण्ड एवं बांदा में पठारी तहसीलें कवीं । मऊ जैसे अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां वर्षा अनियमित है तथा विगत कई वर्षों से खेती लायक पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है सूखा आम चरित्र हो गया है क्षेत्र में कोई ऐसी शास्वत धारायें नहीं हैं जिनसे पूरे क्षेत्र को सिंचाई साधन उपलब्ध कराया जा सके नीचे धरा तक में पर्याप्त पानी का अभाव है वर्तमान राजकीय नलकूप के मानक का पानी न मिलने से कामयाब नहीं हैं ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में राजकीय नलकूप का मानक दस हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित करके नलकूपों की व्यापक व्यवस्था की जाय प्रबन्धकीय व्यय भार की यूनिट के बराबर क्षेत्र में आने वाले नलकूपों की एक यूनिट बनाई जाय साथ-साथ ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को प्रबन्ध दायित्व सौंपकर व्यय भार में कमी किया जा सकता है सघन खेती का विस्तार करने के लिए प्रत्येक खेत को पानी दिया जाय ।

17—यह कि बुन्देलखण्ड में पठारी क्षेत्रों की सिंचाई क्षेत्र में विस्तार एवं समस्याओं के हल के लिए सभी श्रेणी के काश्तकारों को निःशुल्क बोर की सुविधा दी जाय ।

18—यह कि प्रत्येक गांव सभा में बेसिक प्राइमरी पाठशाला की स्थापना अनिवार्य रूप से कर दिया जाय ?

19—यह कि प्रत्येक न्याय पंचायत में माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था की जाय ।

20—यह कि मौजूदा समय में एक हजार से ऊपर की आबादी का भाव सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाय ।

21—यह कि हरिजन एवं खेतिहर मजदूरों को आवासीय भूमि व्यवस्था का प्राथामकता दा जाय ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22—यह कि कर्वी मऊ सब डिवीजन को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय तथा राहत कार्य चालू किया जाय ।"
18	श्री निरबैन्द्र कुमार मुन्ना	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड दिया जाय । "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न समस्याओं का उल्लेख नहीं किया है :— 1—वर्षों से दुधवा नेशनल पार्क से चली आ रही माफी-दारी को जलौनी लकडी व घास-फूस पर लगी रोक को समाप्त किये जाने के सबध म । 2—निधासन विधान सभा क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के वन विभाग का व भू-भाग जिस पर अनेकों बार वृक्षारोपण किया गया तथा जिसे बाढ़ व सूखा से बचाने में वन विभाग असफल रहा, को हरिजन थारू जनजाति एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पूर्व की भांति खेती करने के लिए पट्टे पर दिए जाने के संबंध में । 3—थारू जनजाति के आर्थिक उत्थान के हित में सह-कारी चीनी मिल का सृजन किये जाने के संबंध में । 4—स्थानीय सुहेली नदी पर जनहित में बांध निर्माण व नदी की सफाई आदि के संबंध में। 5—शासन द्वारा सीलिंग भूमि एवं ग्राम समाज भूमि के पट्टेदारों को कब्जा दिये जाने के संबंध में। 6—निधासन विधान सभा क्षेत्र के समस्त सीलिंग पट्टे-दारों को सेन्ट्रल सेक्टर योजना के तहत अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में। 7—निधासन तहसील में चकबन्दी निरस्त कराने हेतु बन्दोबस्त कराये जाने के सम्बन्ध में। 8—आग से ध्वस्त गावों को तत्कालीन अनुदान व गृह अनुदान दिये जाने के संबंध में। 9—निधासन विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम गन्ना उत्पादन होने के बाद भी सट्टा नीति तथा भू-अभिलेखों के सरलीकरण न करने के संबंध में। 10—सैकड़ों वर्षों से बसे थारू जनजाति के लोगों को बेदखल न किये जाने के सम्बन्ध में। 11—विकास कार्यों का बटवारा समानता के अनुपालन में किये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12–विद्युतीकरण से संबंधित सामग्री उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
19	सर्वश्री निर्देन्द्र कुमार (मुन्ना) उमानाथ सिंह तथा राम बचन धुसिया	प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न समस्याओं का उल्लेख नहीं किया है :– (1) प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की भारी कमी को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में। (2) "स्वास्थ्य नीति" के अन्तर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों के हित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुलभ "तृतीय चिकित्साधिकारी" के पदों को समाप्त न किये जाने के संबंध में। (3) "होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी" पद हेतु चयन में डिप्लोमा की तुलना में डिग्री को दिये जा रहे "वेटेज" को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में। (4) प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में सेवारत "दैनिक वेतन भोगी" अंशकालिक चिकित्साधिकारियों की सेवाओं को तदर्थ/नियमित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।"
20	डा0 शिवानन्द नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:– (1) कि पर्वतीय अंचल में विकास के कार्य जो वन अधिनियम के कारण रुके हुए हैं उनके समाधान हेतु कोई उल्लेख नहीं किया है, (2) कि पर्वतीय अंचल में प्राय: सभी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है-सभी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय इसका उल्लेख नहीं है, (3) कि पर्वतीय अंचल तथा प्रदेश के अंशकालिक अध्यापकों को नियमित नियुक्ति दिलाने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया है,

क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

(4) कि अंशकालिक डाक्टरों को नियमित नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया है,

(5) कि पर्वतीय अंचल में पेयजल की विकट समस्या को हल करने हेतु कोई ठोस संकेत नहीं दिया है,

(6) कि प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने हेतु कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है,

(7) कि मंहगाई कम करने हेतु स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया है,

(8) कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया है,

(9) कि पर्वतीय अंचल में उद्योग नीति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है,

(10) कि पर्वतीय अंचल में बेरोजगारों और शिक्षित युवकों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है,

(11) कि प्रदेश स्तर पर विकास की ठोस योजना का कोई उल्लेख नहीं है,

(12) कि पर्वतीय अंचल में प्रचुर मात्रा में होने वाली जड़ी-बूटियों के विकास व उनके भरपूर उपयोग हेतु उद्योगों की स्थापना के संबंध में,

(13) कि प्रदेश में व विशेषकर पर्वतीय अंचल में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा शिक्षित बेरोजगारों को उसमें सम्मिलित कर प्रोत्साहन देने के संबंध में,

(14) कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में लम्बे अर्से से चली आ रही रिक्तियों को तत्काल भरने के संबंध में कोई स्पष्ट नीति,

(15) कि प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थान पर नियमित नियुक्ति करने के संबंध में,

(16) कि प्रदेश में व खासकर पर्वतीय अंचल में खेलकूद को बढ़ावा देने के संबंध में,

(17) कि प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों तथा सेना में मरे हुए सैनिकों की विधवाओं व उनके बच्चों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में,,

(18) कि पर्वतीय अंचल में फलोद्यान को बढ़ावा देने तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में,

(19) कि पर्वतीय अंचल में दैवीय आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसानों की प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।''

क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

21 श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है":–

1–पिछड़ी जाति, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जातियों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किए जाने तथा इसे तब तक जारी रखे जाने के सम्बन्ध में जब तक प्रतिशत पूरा न हो जाय ।

2–कक्षा 12 तक छात्रों की फीस माफी की घोषणा के सम्बन्ध में ।

3–पिछड़ी जाति के छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में ।

4–बुन्देलखण्ड के विकास हेतु शासन की स्पष्ट नीति के सम्बन्ध में ।

5–प्रदेश में बीस हजार से अधिक तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

6–प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन हेतु सीमाओं की नीति के सम्बन्ध में ।

7–असहायता प्राप्त स्थायी जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लेने हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

8–कृषि डिप्लोमा प्राप्त लगभग दो हजार प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की नीति के सम्बन्ध में ।

9–दस हजार तक कर्जे माफ हेतु नीति के सम्बन्ध में ।

10–ग्रामीण अंचलों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के सम्बन्ध में ।

12–जनपद में डाकू ग्रस्त बीहड़ क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण एवं पुरानी सड़कों का डामरीकरण के सम्बन्ध में ।

13–जनपद में बीहड़ क्षेत्रों में पुलिस चौकियों की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर स्थापना के सम्बन्ध में ।

14–जनपद के एक हजार से अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना एवं उनके विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ।

15–जनपद में लगभग 100 बन्द नलकूपों को अविलम्ब चालू कराने हेतु संबंधित विभागों द्वारा मगी गयी सामग्रियां शीघ्र उपलब्ध कराई जायं एवं भविष्य में नलकूप बन्द न होने देने के आदेश अधिकारियों को दिए जाने के सम्बन्ध में ।

16–जनपद में फसलों की सिंचाई हेतु नहरों में पानी की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में ।

17–जनपद में असिंचित भूमि को सिंचित कर अधिकतम उपज पैदा करने हेतु 1989-90 वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ नए नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

18–जनपद में किसानों को कृषि यंत्र उर्वरक एवं उन्नत बीज उचित मूल्य पर सरकारी दुकानों पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

क्रम संख्या प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

19–जनपद में प्रत्येक गांव में उपभोक्ता दुकानों की व्यवस्था तथा प्रति यूनिट शक्कर की मात्रा बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में ।

20–जनपद में बड़े पैमाने पर हो रही विद्युत चोरी को रोका जाना एवं विद्युत चोरी से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में ।

21–जनपद में विद्युतीकरण हेतु जमा धनराशि वाले समस्त ग्रामों का अविलम्ब विद्युतीकरण कराया जाय ।

22–जनपद में कन्या महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में ।

23–डी0 बी0 महाविद्यालय उरई में बी0 एस-सी0 कक्षाओं में सीटें बढ़ाये जाने एवं कोंच जालौन, कालपी के महाविद्यालयों में भी बी0 एस-सी0 कक्षाएं खोले जाने के सम्बन्ध में ।

24–डी0 बी0 महाविद्यालय उरई में गणित, भौतिक शास्त्र विषयों में एम0 एस-सी0 कक्षाएं खोलने की अनुमति दी जाने के सम्बन्ध में ।

25–विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ में 10 इण्टर कालेजों के छात्रों को परेशानी मुक्त उच्च शिक्षा हेतु गोहन में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की जाने के सम्बन्ध में ।

26–जनपद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र स्तर पर लघु उद्योगों की स्थापना किया जाना तथा माधवगढ़ में बन्द चीनी मिल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में ।

27–माधवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लगभग पिछले 10 वर्षों से प्रस्तावित तहसील की स्थापना माधवगढ़ में ही किए जाने के सम्बन्ध में ।

28–प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

29–जनपद में दो नालों परवई (जालौन) एवं परहा (जालौन) उरई पर पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

30–जनपद के विकास एवं निर्माण से सम्बन्धित कार्यों के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय विधायकों को टिप्पणी करने का अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में ।

31–पत्रकारों की सुरक्षा स्वायत्तता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में ।

32–500 ग्राम वाली वृहत तहसील जालौन के मुख्यालय जालौन के एक मात्र सरकारी अस्पताल में पांच शैय्या के स्थान पर पचास शैय्याओं की व्यवस्था की जाय एवं तहसील स्तर पर संचालित अन्य अस्पतालों में भी शैय्याओं की बढ़ोत्तरी किए जाने के सम्बन्ध में ।''

22 श्री जयराज गौतम–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–

पुलिस द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र के तहत निर्दोष लोगों को 302 जैसे जघन्य

क्रम0 सं0 प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

अपराधों में झूठा फंसाया जा रहा है जिससे प्रदेश में असुरक्षा व भय का वातावरण व्याप्त है । इस दमन चक्र को रोकने के सम्बन्ध में।''

23 श्री राम सिंह सैनी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है–:

मूल्यवृद्धि एवं भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय तथा नवयुवकों को काम का अधिकार देने के विषय में कोई स्पष्ट नीति की घोषणा के सम्बन्ध में ।''

24 डा0 बृज भूषण त्रिपाठी–

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है:–

1–अभिभाषण के प्रस्तर 8 में निर्धन, निर्बल, अक्षम निराश्रित व्यक्तियों को विशेष सुविधा दिलाने की बात कही गई है लेकिन मुख्य मंत्री द्वारा सत्ता पाने के बाद कि इस घोषणा का कि कृषकों के कर्ज दस हजार तक कर्ज माफ कर दिया जायेगा व 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति चाहे जिस वर्ग समुदाय व स्तर के हों उनको पेंशन दी जायेगी का उल्लेख नहीं किया गया है ।

2–अभिभाषण के प्रस्तर 12 में 29 लाख गन्ना कृषकों की गन्ना आपूर्ति करने वाली 152 गन्ना समितियों की माध्यम से 104 चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किए जाने को कृषकों को खाद बीज देने की आर्थिक दशा का उल्लेख नहीं किया गया है ।

3–चीनी मिलों द्वारा समितियों को दी जाने वाली देय कमीशन की बढ़ोत्तरी का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिससे गन्ना समितियों की दशा में सुधार हो सके ।

पी0एस0यू0पी0–एल0 383 विधान सभा (633)–1990–813 ।